


जिल्ला विपद् पूर्वान्यारी तथा प्रतिकार्य योजना २०६३



जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति कपिलवस्तु

प्राविधिक सहयोग



आर्थिक सहयोग




प्रकाशक



जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति

जिल्ला विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

कपिलवस्तु



जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति
कपिलवस्तु

जिल्ला विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

(District Disaster Preparedness & Response Plan 2016)

योजना निर्माण कार्यदल

- | | |
|-----------------|---|
| पर्शुराम पोखरेल | - जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तु |
| राजन पोखरेल | - जिविस कपिलवस्तु |
| चित्र महतो | - यू एन एफ पी ए |
| केशव सिंह | - नेपाल रेडक्रस जिल्ला शाखा कपिलवस्तु |
| प्रदीप शाह | - इन्ड्रेणी ग्रामीण विकास केन्द्र नेपाल |

प्रकाशक

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, कपिलवस्तु

समन्वय


जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, कपिलवस्तु

आर्थिक सहयोग

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA)

प्राविधिक सहयोग तथा सहजीकरण

इन्ड्रेणी ग्रामीण विकास केन्द्र नेपाल, बुद्धबाटिका कपिलवस्तु



जिल्ला प्रशासन कार्यालय



पत्र संख्या: प्र.००७२।०३

च.नं.: ५६६४

फ्याक्स नं.: ०७६-५६००५१
प्र.जि.अ. निवास:- ०७६-५६०१७०
प्र.जि.अ. कक्ष:- ०७६-५६०१५५
कार्यालय:- ०७६-५६०१५८
कार्यालय:- ०७६-५६०२३०
कार्यालय:- ०७६-५६०११५

मिति:- २०७३।०२।०९

शुभकामना !!!

कपिलवस्तु जिल्लामा बाढी, आगलागी, हावाहुरी, शीतलहर जस्ता प्रकोपबाट वर्षेनी धेरै जनधनको क्षति धईरहेको छ । त्यस्तै सर्पदंश, महामारी, भुकम्प सडक दुर्घटना, द्वन्द्व आदिबाट समेत मानवीय तथा भौतिक क्षति भईरहेको छ । भुकम्पीय जोखिम न्यूनिकरणका लागी प्रत्येक गाउँ, शहर, वस्तिहरुमा विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाको निर्माण र कार्यान्वयनले भूकम्पीय विपदवाट धनजनको क्षतिलाई न्यूनिकरण गर्न सघाउ पुने छ । यस प्रकार हुने क्षतिलाई न्यूनिकरण गर्न जिल्ला दैवि प्रकोप उद्धार समिति (जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति) को अगुवाईमा विषयगत क्षेत्रहरुको छलफल तथा प्रयासबाट विगतका वर्षेनी यस वर्ष पनि कपिलवस्तु जिल्लाको विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तयार भएको छ । यस योजनाले जिल्लामा घट्ने विपदको घटनाहरूलाई पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहतको माध्यमबाट सम्बोधन गरी जनधनको क्षतिलाई न्यूनिकरण गर्ने कार्यमा मार्गदर्शन गर्न सफल हुने छ, भन्ने विश्वास गरिएको छ । सबै विषयगत क्षेत्र र सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको सहभागितामा यो विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाको निर्माण भएको हुँदा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सबैले आ-आफ्नो भुमिका निर्वाह गर्नु हुन आग्रह गर्दछु ।

यो योजना निर्माणमा सहयोग गर्नु हुने सबै सरकारी तथा गैरसरकारी संघ/संस्थाहरु र लेखन कार्यमा सहजीकरण गर्ने इन्ड्रेणी ग्रामीण विकास केन्द्र नेपाललाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

इन्दु धिमिरे
(प्रमुख जिल्ला अधिकारी)
कपिलवस्तु
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



नेपाल सरकार
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय
कपिलवस्तु, तौलिहवा

info@ddckapilvastu.gov.np

पत्र संख्या : ०७२/७३
चलानी नं. :

मिति : २०७३/०२/१६

शुभकामना

कपिलवस्तु जिल्लाको विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३ परिमार्जन सहित प्रकाशन भएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै यसको सफल तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा शुभकामना व्यक्त गर्दछु।

विपदबाट हुने संभावित जनधनको क्षतिलाई न्यूनिकरण गर्न पूर्वतयारीका योजना बनाउने र विपदको समय तथा तत्पश्चातको अवस्थालाई आँकलन गरेर प्रतिकार्य योजना बनाउने मान्यता अनुरूप कपिलवस्तु जिल्लाको यो योजना निर्माण भएको छ। यस योजनाको कार्यान्वयनबाट जिल्लामा बाढी, आगलागी, भूकम्प, शीतलहर, तातोहावा, महामारी आदिको कारणबाट उत्पन्न हुने विपदको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न र समयमै त्यस्ता विपद्हरुबाट जोगिन पूर्वतयारी गर्न सहयोग पुने अपेक्षा गरिएको छ।

जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको अगुवाई र जिल्ला विकास समितिको कार्यालयको समन्वयमा यू.एन.एफ.पी.ए.को आर्थिक सहयोग तथा इन्ड्रेणी ग्रामीण विकास केन्द्र नेपालको सहजीकरणमा सबै सरोकारवालाहरूको सहभागितामा यो योजना निर्माण भएको छ। योजनामा उल्लेख भए अनुरूप विपद व्यवस्थापनको लागि सबै सरोकारवालाहरू तयारी अवस्थामा रहेमा आईपर्ने विपदको समयमा र तत्पश्चात गर्नु पर्ने उद्धार, राहत, पुनर्नाम्र र पुनर्स्थापनको कार्यमा समेत यो योजनाले मार्ग निर्देशन गर्न सहयोगी हुने कुरामा म विश्वस्त छु।

अन्त्यमा यस योजना तयारीमा सहयोग गर्ने तथा निर्माण कार्यमा खटिने सबै निकायका प्रमुख एवं प्रतिनीधिहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।



चन्द्रकान्त न्यौपाने
स्थानीय विकास अधिकारी

विषयसूची

Contents

जिल्ला विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

शुभकामना

शब्द संक्षेप

क) विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

| | |
|---|----|
| १. पृष्ठभुमि | १ |
| २. विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाको अपेक्षित नतिजा | १ |
| ३. मानवीय सहायतामा संलग्न साझेदार निकायहरुको विवरण | १ |
| ४. सन्दर्भ सामग्री पुनरावलोकन | २ |
| ५. विभिन्न वैठक तथा निर्णयहरु | २ |
| ६. विपद जोखिम विश्लेषण | २ |
| ७. विपद्को विगतको अवस्था र संभावना | ६ |
| ८. विषयगत क्षेत्रको पहिचान तथा निकायगत भूमिका र जिम्मेवारी | ७ |
| ९. विषयगतक्षेत्रको अगुवा तथा सहयोगी संस्थाको विवरण | ८ |
| ख) विषयगत विपद्को प्रकृतिमा आधारित प्रतिकार्य योजना | |
| १. सूचना तथा समन्वय (Information & Coordination) | ११ |
| २. खोजी तथा उद्धार (Search and Rescue) | १५ |
| ३. आवास तथा गैर खाद्य सामग्री (Shelter & Non Food Items) | १८ |
| ४. स्वास्थ्य तथा पोषण (Health and Nutrition) | २४ |
| ५. शिक्षा (Education) | २९ |
| ६. संरक्षण (Protection) | ३३ |
| ७. खानेपानी तथा सरसफाई (WASH) | ३९ |
| ८. कृषि, खाद्य तथा जिविकोपार्जन (Agriculture, Food & Livelihood) | ४५ |
| ग) आगलागी रोकथाम तथा न्यूनिकरणका लागि पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना | ४९ |
| घ) भूकम्पीय जोखिम न्यूनिकरणका लागि पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना | ५४ |
| ङ) योजना कार्यान्वयन तथा पुनरावलोकन रणनीति | ५९ |
| च) प्रतिवेदन तथा अभिलेखन र सूचना प्रवाह | ५९ |
| छ) अनुसूचीहरु | |
| अनुसूची १ : मानवीय क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरु | ६० |
| अनुसूची २ : जिल्लामा उपलब्ध एम्बुलेन्स सेवाहरु | ६१ |
| अनुसूची ३ : दमकल सेवाहरु | ६१ |
| अनुसूची ४ : खाद्य तथा गैरखाद्य सामग्रीको लागि सम्पर्क संस्थाहरु | ६१ |

| | |
|---|--------|
| अनुसूची ५ : हेलिप्याडहरु | ६१ |
| अनुसूची ६ : आपदकालीन आश्रयस्थलहरु | ६२ |
| अनुसूची ७ : समूदाय तथा कार्यालयहरु रहेका उद्धार सामाग्रीहरु | ६२ |
| अनुसूची ८ : सर्पदँस उपचार केन्द्र | ६३ |
| अनुसूची ९ : पूर्व सचेतना संजाल | ६३ |
| अनुसूची १० : दैनिक/साप्ताहिक प्रतिवेदन फाराम | ६४ |
| अनुसूची ११ : बहू-क्षेत्रगत प्रारम्भिक द्रुत लेखाजोखा (MIRA) फाराम | ६५ |
| ज) विपद् व्यवस्थापन कोष संचालन निर्देशिका २०७३ | ७४ |
| झ) एकिकृत स्वास्थ्य तथा पोषण आकस्मिक योजना २०७३ | ७९-९३ |
| ञ) कपिलवस्तु जिल्लाको जनसाँख्यकीय विवरण | ९४-१०४ |

शब्द संक्षेप

| | |
|-----------|---|
| गाविस | गाउँ विकास समिति |
| गैसस | गैर सरकारी संस्था |
| जिविस | जिल्ला विकास समिति |
| जिदैप्रउस | जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति |
| जिवका | जिल्ला वन कार्यालय |
| जिकृविका | जिल्ला कृषि विकास कार्यालय |
| जिप्राका | जिल्ला प्राविधिक कार्यालय |
| जिशिअ | जिल्ला शिक्षा अधिकारी |
| जिशिका | जिल्ला शिक्षा कार्यालय |
| जिस्वाका | जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय |
| जिभूस्का | जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालय |
| जिपसेका | जिल्ला पशु सेवा कार्यालय |
| नेरेसो | नेपाल रेडक्रस सोसाईटी |
| प्रजिअ | प्रमुख जिल्ला अधिकारी |
| मविअ | महिला विकास अधिकृत |
| मबाका | महिला तथा बालबालिका कार्यालय |
| स्थाविअ | स्थानीय विकास अधिकारी |
| ARI | Acute Respiratory Infection |
| DDC | District Development Committee |
| DDRC | District Disaster Relief Committee |
| DTO | District Technical Office |
| DHO | District Health Office |
| FCHV | Female Community Health Volunteer |
| GBV | Gender Based Violence |
| H/N | Health and Nutrition |
| HW | Health Worker |
| IEC | Information, Education and Communication |
| IRA | Initial Rapid Assessment |
| MIRA | Multi Sectoral Initial Rapid Assessment |
| MISP | Minimum Initial Service Package |
| MoU | Memorandum of Understanding |
| NFI | Non Food Items |
| NGO | Non-Governmental Organization |
| NRCS | Nepal Red cross Society |
| ORT | Oral Re-hydration Therapy |
| PCVA | Participatory Capacity and Vulnerability Assessment |
| RRT | Rapid Response Team |
| SAM | Severe Acute Malnutrition |
| SFP | Supplementary Feeding Programme |
| VDC | Village Development Committee |
| WASH | Water Supply, Sanitation and Health Promotion |
| WDO | Women Development Officer |

विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

१. पृष्ठभूमि

संकट प्राकृतिक वा मानवीय क्रियाकलापहरुद्वारा सृजित घटना हो र जब यस्ता घटनाले मानिसको ज्यान जाने वा जनधनको नाश गर्छ, त्यसलाई विपद भनिन्छ। विपदको परिणाम स्वरूप ठुलो जनधनको क्षति हुने, आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय असन्तुलन पैदा गराउने साथै सम्बन्धित समुदायको आन्तरीक श्रोतहरुबाट विपदलाई प्रतिकार गर्ने र सहने क्षमतालाई कमजोर बनाउछ। विकासशील तथा विकासोन्मुख राष्ट्रहरुमा विपदबाट हुने क्षति विकसित राष्ट्रहरुको तुलनामा धेरै छ। त्यसको मुख्य कारणहरु मध्ये विपद जोखिम न्यूनिकरण गर्ने क्षमता तथा संयन्त्र कम हुनु पनि एक हो। त्यसै कुरालाई मनन गरी विद्यमान साधन स्रोतको पहिचान तथा परिचालन गर्दै विपद जोखिम न्यूनिकरण गर्ने र संभावित जनधनको क्षतिलाई रोक्न वा घटाउन सबै सरोकारवालाहरुको संयुक्त प्रयास हुनु आवश्यक छ। यसै संदर्भ तथा पृष्ठभूमिमा यो योजना तयार भएको छ।

विश्वव्यापी विपद् जोखिम न्यूनीकरणको लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्गठक सदस्य राष्ट्रहरूले अनुमोदन गरेको साभा रणनीति “ह्योगो कार्यसंरचना” (Hyogo Framework for Action) हो। सन् २००५ को जनवरी १८ देखि २२ तारिखमा जापानको कोबे सहरमा अयोजित दोश्रो संयुक्त राष्ट्रसंघीय विपद् न्यूनीकरण विश्व सम्मेलनमा विश्वका १६८ राष्ट्रले सर्वसम्मत रूपमा द्योगो कार्यसंरचनालाई अनुमोदन गर्दै अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। यस कार्यसंरचनाले सन् २०१५ सम्ममा विपद्को कारणले हुने मानवीय, सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय क्षतिलाई उल्लेख्य रूपमा कम गराई हरेक राष्ट्र र समुदायलाई विपद विरुद्ध उत्थानशील (Resilience) बनाउने अपेक्षा राखेको छ। ह्योगो कार्यसंरचनाले पाँचवटा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र निर्धारण गरेको छ। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि मार्ग-निर्देशक सिद्धान्तहरू तय गरिनुको साथै विपद्को जोखिममा रहेका समुदायलाई दिगो विकासको पृष्ठभूमिमा उत्थानशील तुल्याउन यसले व्यवहारिक तौरतरिकाहरू समेत सिफारिश गरेको छ। विकासका योजना र रणनीतिको केन्द्रविन्दुको रूपमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण हुनुपर्ने अवधारणालाई ह्योगो कार्यसंरचनाले जोड दिएको छ। विपदले विकासको उपलब्धिलाई चुनौती दिने र गरिबी बढाउने हुनाले बेलैमा गम्भीर कदम नचालिए सहश्राब्दी विकास लक्ष्यको प्रमुख तगारो नै विपदसिर्जित क्षति हुनसक्नेतर्फ द्योगो कार्यसंरचनाले सचेत गराएको छ। नेपालले पनि यस कार्ययोजना आफ्नो देशमा पनि लागु गर्ने प्रतिबद्धता अनुरूप नेपाल सरकारले प्रत्येक जिल्लामा विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना निर्माण गरी त्यसलाई लागु गर्ने कार्यको थालनी गरेको छ। सोहि अनुरूप यस जिल्लामा पनि विपद पूर्वतयारी एवं प्रतिकार्य योजना तयार गरिएको छ।

२. विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाको अपेक्षित नतिजा

- मानवीय सहायतामा संलग्न निकायहरुको पहिचान भई सबैको भूमिका, कार्य पद्धति, मूल्यांकन, सहयोग तथा प्रतिकार्यका संदर्भमा समन्वयात्मक तथा साभा मापदण्डमा सहमति भएको हुनेछ।
- विपद जोखिम न्यूनिकरणका लागि समन्वयात्मकरूपमा पर्याप्त पूर्व तयारी भएको हुनुका साथै आपतकालीन अवस्थालाई सम्बोधन गर्न पूर्ण तयारी भई मानवीय क्षति न्यून भएको हुने छ।

३. मानवीय सहायतामा संलग्न साभेदार निकायहरूको विवरण

कपिलवस्तु जिल्लामा मानवीय सहायताको क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी तथा अन्य संघ संस्थाहरु कार्यरत छन्। मानवीय राहत तथा सहयोगको क्षेत्रमा जिल्ला दैवि प्रकोप उद्धार समिति/जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिविस, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, महिला तथा वालवालिका कार्यालय आदि सरकारी निकायहरुमध्ये हुन भने नेपाल रेडक्रस, यूनिसेफ, यूएनएफपीए, पत्रकार महासंघ, गैसस महासंघ, इन्ड्रेणी/म्नृष्ट, कालिका, सिद्धार्थ, सनसाइन, सहज नेपाल, माउण्ड एभरेष्ट, राइज आदि गैरसरकारी क्षेत्रबाट कार्यरत संस्थाहरु हुन्। कपिलवस्तु जिल्लामा कार्यरत सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुको विवरण अनुसूचीमा दिइएको छ।

विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

४. संदर्भ सामग्री पुनरावलोकन

यो विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना तर्जुमा गर्दा दैवि प्रकोप उद्धार ऐन, २०३९, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५, कपिलवस्तु जिल्लाको विपद पूर्व तयारी योजना (२०६४-२०७१), प्रकोप जोखिम स्तरीकरण (इन्ड्रेणी २०६३) आदि संदर्भ सामाग्रीहरुको पुनरावलोकन गरिएको थियो।

नेपालमा विपद व्यवस्थापनको कानूनी संरचनाको शुरुवात २०३९ सालमा जारी भएको दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन, २०३९ वाट भएको हो। यो ऐनले सरकारलाई विपदको सामना गर्न तयार हुने र विपदको समयमा प्रतिकार्य गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ। यो ऐनले मुलुकको इतिहासमै पहिलो पटक विपद व्यवस्थापनको लागि संस्थागत संरचनाको व्यवस्था गरेको छ।

त्यस्तै स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले स्थानीय स्वशासनको अवधारणामा आधारित भै स्थानीयतहमा वातावरण मैत्री विकासका लागि विकेन्द्रित कार्यदाँचाको व्यवस्था गरेको छ। यो ऐनले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपबाट विकास, वातावरण र विपदकावीच भएको अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई पर्याप्त मात्रामा जोड दिएको छ। यसले जि.वि.स.तथा न.पा./गाविस जस्ता स्थानीय निकायहरूलाई स्थानीय स्तरका विपदका समस्याको समाधान गर्न उत्प्रेरित गरेको छ।

जिविस कपिलवस्तुबाट तयार गरेको कपिलवस्तु जिल्लाको विपद पूर्व तयारी योजना (२०६४ इन्ड्रेणी/अक्सफाम) मा जिल्लाको विपद जोखिम स्तरीकरणको साथै पूर्वतयारीका उपायहरू उल्लेख भएको छ।


यिनै ऐन नियम तथा प्रयासहरू अन्तर्गत रहेर केन्द्रिय, क्षेत्रिय तथा जिल्ला स्तरमा दैविप्रकोप उद्धार समितिहरू गठन भएका छन्। साथै यस जिल्लाका केही गाविसहरूमा पनि समुदायस्तरमा गैर सरकारी संस्थाहरुको सहयोगमा सामुदायिक प्रकोप व्यवस्थापन समितिहरू र जिल्लास्तरमा प्रकोप प्रभावित समुदायको जिल्ला संजाल समेत गठन भई विपद न्युनीकरण तथा पूर्व तयारीका कार्यहरू भैरहेको अवस्था छ।

५. विभिन्न वैठक तथा निर्णयहरू

कपिलवस्तु जिल्ला प्रकोपको दृष्टिले निकै संबेदनशिल जिल्ला हो। यस जिल्लामा वर्षेनी विपदबाट प्रभावित हुने जनसंख्यालाई यथाशीघ्र आवश्यक उद्धार तथा राहत पुर्याउन जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले जिल्ला विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०६७ मा प्रथम पटक यूनिसेफ लगायत अन्य संघसंस्थाहरुको सहभागितामा तयार गरी त्यसमा प्रति वर्ष समयानुकूल परिमार्जन गर्दै आइरहेको छ। यस संदर्भमा विभिन्न मितिमा पटक पटक वैठक तथा छलफल भई यो विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७२ पनि परिमार्जितरुपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। यस विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजनालाई समयानुकूल परिमार्जन गरी प्रस्तुत गर्न जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको मिति २०७२/११/१० को निर्णय अनुसार इन्ड्रेणी ग्रामीण विकास केन्द्रलाई दिइएको जिम्मेवारी अनुरुप कपिलवस्तु जिल्लाको यो विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजनालाई प्रस्तुत गरिएको छ।

६. विपद जोखिम विश्लेषण

२०६८ को जनगणना अनुसार ५७०६१२ (पुरुष २८४८१३ र महिला २८५७९९) जनसंख्या भएको कपिलवस्तु जिल्ला प्राकृतिक प्रकोप विशेष गरी आगलागी, वाढी, सर्पदंश, हावाहुरी, शीतलहर, खडेरी, द्वन्द्व, जस्ता समस्याहरू उच्च रहेको जिल्लाहरू मध्ये एक हो। यस जिल्लाको कुल ५३ गाविस र ६ न.पा. मध्ये उत्तरका ३ गाविस तथा ४ नगरपालिकामा जंगल तथा पहाडी क्षेत्रको केही भाग समेत समेटिएको छ। र अन्य गाविसको सम्पूर्ण भाग तराईमा पर्दछ। १४ गा.वि.स. र १ नगरपालिका भारतको सिमानासंग जोडिएका छन्।



कपिलवस्तु जिल्ला चुरे पहाडको काखमा अवस्थित मैदानी भू-भागमा पर्दछ । यस मैदानी क्षेत्रमा पहाडी भागबाट साना ठूला नदीनालाहरु बगेर आएका छन् । बाणगांगा, सूराई, बेल तथा चिराई नदि आदि यस जिल्लाका प्रमुख नदीहरु हुन् । मनसुनी मुसलधारे वर्षाले यस जिल्लाको उत्तरी पहाडी क्षेत्रमा प्रायः वर्षेनी पहिरो र भु-क्षय जस्ता समस्या आउने गरेका छन् भने त्यही पानीले समथर तराई क्षेत्रलाई बाढीको चपेटामा पार्ने गरेको छ । यसको साथै दक्षिणतर्फ भारतीय भूमीमा झराई, महलीसागर जस्ता बाँधहरुको कारणबाट जिल्लाको दक्षिण भू भाग डुवानमा पर्ने गरेको छ । त्यसै गरी गर्मीको समयमा आगलागी, हावाहुरी, महामारी, खडेरी, सर्पदंश आदिले धेरै जनधनको क्षति हुने गर्दछ भने मानव द्वन्द्व, सवारी दुर्घटना आदि पनि यस जिल्लाका अन्य प्रमुख संकटहरु हुन् ।

कपिलवस्तु जिल्लाका विगतका तथ्यांकहरु केलाउदा बाढि तथा डुवान, आगजनी र द्वन्द्व तथा त्यसबाट हुने प्रकोप अन्य संकटहरुको तुलनामा अधिक देखिन्छ । मुख्य गरी यस जिल्लामा बाढीको घटनाहरु पूर्वमा बाणगांगा र पश्चिममा सुराई र चिराईजस्ता वेगवान नदी र खोलाहरुको कारणबाट हुने गर्दछन् । त्यसमा पनि नदी छेउमा बसेको बस्ति, कमसल जमीनमा पनि खेती विस्तार गर्दै जानुपर्ने स्थिति, अव्यवस्थित बसाई सराई, अव्यवस्थित बसोवास, धेरैजस्तो कच्ची फुसको घर र तीव्रगतिमा भैरहेको वन जंगल लगायतका प्राकृतिक सम्पदाको विनाशले कपिलवस्तुलाई बाढी तथा आगजनीले प्रभावित पारेको छ ।

बाढीका अलावा विभिन्न समयमा हुने आगलागी, सडक दुर्घटना, हावाहुरी, असिना, खडेरी जस्ता समस्याले गर्ने क्षति अलगै छ ।

यी प्रकोपहरुको न्यूनिकरण, प्रभावितहरुलाई उद्धार तथा राहत र पुनर्स्थापनाका लागि जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति, जिल्ला विकास समिति, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरु, गा.वि.स./न.पा. साथै नागरिक स्तरबाट समेत विभिन्न प्रयासहरु भएका पाइन्छन् । यी प्रयासहरु प्रकोप घटिसके पश्चात् उद्धार, राहत वितरण र प्रभावितहरुको अस्थायी पुनर्स्थापनामा केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

यस जिल्लाको विभिन्न गाविस तथा नगरपालिकाहरुमा घट्ने विपदका घटनाहरुको आधारमा जोखिम विश्लेषण गर्दा निम्नानुसार पाइएको छ।


| क्र. सं. | गाविस/नपा | सम्भावित प्रक्रोपको प्रकार (१ निम्न - ५ उच्च) | | | | | | | विपद्को प्रभाव | संकट सन्तास्तर |
|----------|-----------------|---|-------|--------|---------|--------|--------|-------------|----------------|----------------|
| | | वाढी | पहिरो | आगलागि | महामारी | भूकम्प | शीतलहर | वा. प्रदूषण | | |
| १ | अभिराव | | | २ | २ | १ | १ | | | |
| २ | अजीगरा | | | २ | २ | १ | १ | | | |
| ३ | बहादुरगंज | | | ३ | २ | २ | १ | २ | | |
| ४ | बलरामपुर | | | ४ | २ | १ | १ | | | |
| ५ | बलुहवा | | | २ | २ | १ | १ | | | |
| ६ | बाणगंगा नपा | ४ | | २ | १ | २ | १ | २ | उच्च | |
| ७ | बरेपुर | | | ४ | २ | १ | १ | | | |
| ८ | बसन्तपुर | | | २ | २ | १ | १ | | | |
| ९ | बांसखोर | | | ३ | २ | १ | १ | | | |
| १० | बैदौली | ४ | | २ | २ | १ | १ | | उच्च | |
| ११ | भगवानपुर | | | ४ | २ | १ | १ | | | |
| १२ | भलवारी | | | २ | २ | १ | १ | | | |
| १३ | विजुवा | | | २ | २ | १ | १ | | | |
| १४ | विथुवा | | | ४ | २ | १ | १ | | | |
| १५ | भूकुटी नपा | ३ | | ४ | २ | २ | १ | | मध्यम | |
| १६ | बुद्धबाटिका नपा | | | २ | १ | २ | १ | | | |
| १७ | धनकौली | ४ | | ४ | २ | १ | १ | | उच्च | |
| १८ | धरमपानिया | | | ३ | २ | १ | १ | | | |
| १९ | दोहनी | | | २ | २ | १ | १ | | | |
| २० | डुमरा | | | २ | २ | १ | १ | | | |
| २१ | फुलिका | | | ३ | २ | १ | १ | | | |
| २२ | गनेशपुर | | | ४ | २ | १ | १ | | | |
| २३ | गौरी | | | २ | २ | १ | १ | | | |
| २४ | गोटीहवा | | | २ | २ | १ | १ | | | |
| २५ | गुर्गोली | | | ४ | २ | १ | १ | | | |
| २६ | हरनामपुर | | | ३ | २ | १ | १ | | | |
| २७ | हरदौना | ५ | | ४ | २ | १ | १ | | उच्च | |
| २८ | हथिहवा | | | ४ | २ | १ | १ | | | |
| २९ | जहदी | | | ४ | २ | १ | १ | | | |
| ३० | कंजरहवा | ५ | | ३ | २ | १ | १ | | उच्च | |
| ३१ | कपिलवस्तु न.पा. | ४ | | २ | २ | ३ | १ | २ | उच्च | |
| ३२ | खरहुरिया | | | ४ | २ | १ | १ | | | |
| ३३ | कृष्णनगर न.पा. | | | २ | २ | ३ | १ | २ | | |
| ३४ | कृशाहवा | | | ४ | २ | १ | १ | | | |
| ३५ | लवनी | | | २ | २ | १ | १ | | | |
| ३६ | लालपुर | | | ४ | २ | १ | १ | | | |
| ३७ | महाराजगंज | ४ | | २ | २ | १ | १ | | उच्च | |
| ३८ | महुवा | | | ३ | २ | १ | १ | | | |
| ३९ | मानपुर | | | ४ | २ | १ | १ | | | |
| ४० | भीलमी | | | २ | २ | १ | १ | | | |
| ४१ | नन्दनगर | | | २ | २ | १ | १ | | | |
| ४२ | निम्नलहरा | ४ | | ३ | २ | १ | १ | | उच्च | |
| ४३ | पकडी | | | ४ | २ | १ | १ | | | |
| ४४ | परसोहिया | | | २ | २ | १ | १ | | | |
| ४५ | पतरीया | | | ४ | २ | १ | १ | | | |
| ४६ | पत्थरदेइया | ३ | | ५ | २ | १ | १ | | मध्यम | |

विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---|---|---|---|---|---|---|--|-------|
| ४७ | पिपरा | | | २ | २ | १ | १ | | | |
| ४८ | पुरुषोत्तमपुर | | | ४ | २ | १ | १ | | | |
| ४९ | रामनगर | | | ४ | २ | १ | १ | | | |
| ५० | रंगपुर | ३ | | २ | २ | १ | १ | | | मध्यम |
| ५० | सौराहा | ५ | | ४ | २ | १ | १ | | | उच्च |
| ५१ | शिवगढी | | २ | ५ | २ | १ | १ | | | |
| ५२ | शिवराज न.पा. | ४ | | ४ | २ | २ | १ | | | उच्च |
| ५३ | सिंहोद्धोर | ५ | | ४ | ३ | १ | १ | २ | | उच्च |
| ५४ | सिसवा | | | ४ | २ | १ | १ | | | |
| ५५ | सोमडिह | ४ | | २ | २ | १ | १ | | | उच्च |
| ५६ | थनिया | | | ४ | २ | १ | १ | | | |
| ५७ | तितरखी | ४ | | ४ | २ | १ | १ | | | मध्यम |
| ५८ | उदयपुर | | | ४ | २ | १ | १ | | | |
| ५९ | विद्यानगर | | | ४ | २ | १ | १ | | | |


माथिको जोखिम स्तरीकरणमा ५ तथा ४ अंकलाई उच्च जोखिम, ३ अंकलाई मध्यम जोखिम र २ अंकलाई न्यून जोखिममा राखिएको छ।

जस अनुसार कपिलवस्तु जिल्लामा बाढीबाट ३ नगरपालिका तथा ९ गाविसहरु उच्च जोखिममा र ३ गाविसहरु मध्यम जोखिममा रहेका छन्।



बाढी अति प्रभावित गाविस तथा नगरपालिकाहरु

विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३



आगलागी प्रभावित गाविस तथा नगरपालिकाहरु

- आगलागी अति प्रभावित २४ देखि ५७ प्रतिशत खरको छाना हुने घर भएका गाविसहरु २९
- आगलागी प्रभावित २० देखि २३ प्रतिशत खरको छाना हुने घर भएका गाविसहरु ८
- आगलागी कम प्रभावित १० देखि १९ प्रतिशत खरको छाना हुने घर भएका गाविसहरु २२

७. विपद्को विगतको अवस्था र संभावना

कपिलवस्तु जिल्लाको विपद पूर्व तयारी योजना (२०६४) अनुसार जिल्लामा आगलागी, बाढी, भुकम्प, खेत कटान, नदीको धार परिवर्तन, माटो पटान, डुवान, हावाहुरी, चट्याङ्ग, खडेरी, शितलहर, तातो हावा (लू), महामारी जस्ता विपद्वाट जिउ धनको क्षति भएको अभिलेख छ। साथै द्वन्द्वाट सिर्जित घटनाहरुवाट समय समयमा धनजनको क्षती तथा विस्थापन भएको पाइन्छ।

विगतका वर्षहरुमा कपिलवस्तु जिल्लामा बाढीजन्य प्रकोपबाट धेरै मात्रामा धनजनको क्षति भएको थियो। २०६१ साल भाद्रमा सौराह गाविसको बर्गदीधाटमा बाढीले ढुङ्गा पल्टाउँदा १२० जना मानिसको मृत्यु भएको थियो भने प्रत्येक वर्ष ४ देखि ७ जना सम्म मानिसहरुको बाढीको कारणबाट मृत्यु हुने गरेको छ।

वर्षेनी आउने बाढी लगायतका प्रकोपहरुले जिल्लाको भौतिक पूर्वाधार तथा विकासका संरचनाहरु नष्ट हुन गै सम्पूर्ण जनजीवन प्रभावित हुने गरेका छन्। जिल्लाको मध्ये तथा दक्षिण क्षेत्रमा डुवान, खेत कटान जस्ता समस्याले धेरै धनजनको नोक्सानी हुने गरेको छ। यस जिल्लामा आगलागीबाट पनि वर्षेनी लगभग ५०० घर टहरा नष्ट हुनुको साथै ४/५ जना मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ। भर्खर २०७२ को चैत्र र २०७३ को बैशाखमा भएको आगलागीबाट यस जिल्लका कुशबाह, कजरहवा, हदौना, गुगौली आदि स्थानहरुमा भएको आगलागीबाट २ जनाको मृत्यु हुनुको साथै ४०० घरहरु र धेरै संपत्तिको क्षति भएको छ। यसको साथै सर्पदंशबाट वर्षेनी ५/७ जना मानिसहरुको मृत्यु हुन्छ। यी सबै विपदहरुलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ।

विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

माथि उल्लेखित जोखिम स्तरीकरण अनुसार बाढीजन्य विपदबाट ३ न.पा. र ९ गाविसहरु बढी प्रभावित रहेको देखिन्छ भने आगलागीबाट ४० भन्दा बढी गाविस/नपाहरु प्रभावित रहेको पाइन्छ। यहाँ यस योजनामा विशेषगरेर बाढीजन्य विपदलाई सम्बोधन गरी यसबाट हुने जनधनको क्षतिलाई न्यूनिकरण गर्न विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तयारी भएको छ। बाढीजन्य विपदको साथै आगलागी यस जिल्लाको प्रमुख विपदकोरूपमा भएकोले त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्न आगलागी संबन्धी छूटै पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना पनि यसैसाथ संलग्न गरिएको छ।

यो योजना तयार गर्दा विपद पश्चात प्रभावित हुन सक्ने जनसंख्यालाई निम्नानुसार प्रक्षेपण गरी आवश्यक पर्ने सामग्रीहरुको आँकलन गरिएको छ।

कपिलवस्तु जिल्लामा बाढीजन्य प्रकोपबाट ३ नगरपालिका र ९ गाविसका २३६०९८ जनसंख्याको ३५ प्रतिशत अर्थात ८२६३४ जनसंख्या अति प्रभावित रहेका छन्। त्यस्तै आगलागीबाट २ नगरपालिका र २७ गाविसका २४२०५१ जनसंख्या मध्ये ४० प्रतिशत अर्थात ९६८२० भन्दा बढी जनसंख्या अति जोखिममा रहेका छन्। तातोहवा (लू) तथा शीतलहरबाट ३ वर्ष कम उमेरका बालबालिकाहरु (४१०७१), सुन्केरी/गर्भवती महिला (१६१२२), ७५ वर्ष बढीउमेरका जेष्ठ नागरिकहरु (७५२५) बढी जोखिममा रहेका छन्। एवंप्रकार जिल्लाको शहरोन्मुख नगरपालिका तथा गाविसहरुमा बनेका ठूला भवन तथा भौतिक संरचनाहरु गैरइन्जिनियरिंग तरिकाबाट बनेका हुँदा भूकम्पीय जोखिममा रहेका छन्। तिनीहरु मध्ये नगरपालिकामा रहेका ४३२८१ घरधुरी मध्ये लगभग ४० प्रतिशत अर्थात १७३१२ भवन तथा संरचनाहरु भूकम्पीय उच्च जोखिममा रहेको अनुमान गरिएको छ।

यो योजना तयार गर्दा विपद पश्चात प्रभावित हुन सक्ने जनसंख्यालाई माथि उल्लेख भए अनुसार प्रक्षेपण गरी पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यको लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरुको आँकलन योजनामा समावेश गर्ने प्रयास गरिएको छ।

८. विषयगत क्षेत्रको पहिचान तथा निकायगत भूमिका र जिम्मेवारी

प्रभावकारी मानवीय प्रतिकार्यका लागि नेपाल सरकारले विपद व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति २०६६ मार्फत विषयगत अवधारणा (Cluster approach) लाई औपचारिक रूपमा मान्यता प्रदान गरिसकेको छ। यसका साथै २००८ को सेप्टेम्बरमा कोशी नदीमा आएको बाढीबाट सिर्जित आपतकालमा प्रतिकार्य गर्न यो अवधारणालाई विभिन्न क्षेत्रमा प्रयोग समेत गरिसकिएको छ। कपिलवस्तु जिल्लामा विभिन्न ८ वटा विषयगत क्षेत्रको पहिचान गरी आपतकालमा प्रतिकार्य गर्न निश्चित भूमिका प्रदान गरिएको छ। निश्चित विषयगत क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरुलाई एक अर्कोमा समन्वय गरी कार्य गर्न तिनीहरु मध्ये एउटालाई अगुवाको भूमिका प्रदान गरिएको छ।

कपिलवस्तु जिल्लामा बाढीजन्य प्रकोपलाई सम्बोधन गर्न पहिचान गरिएका विषयगत क्षेत्रहरु निम्नानुसार छन्।

१. सूचना तथा समन्वय (Information & Coordination)
२. खोजी तथा उद्धार (Search and Rescue)
३. आवास तथा गैर खाद्य सामग्री (Shelter & Non Food Items)
४. स्वास्थ्य तथा पोषण (Health and Nutrition)
५. शिक्षा (Education)
६. संरक्षण (Protection)
७. खानेपानी तथा सरसफाई (WASH)
८. कृषि, खाद्य तथा जिविकोपार्जन (Agriculture, Food and Livelihood)

विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

५. विषयगतक्षेत्रको अगुवा तथा सहयोगी संस्थाको विवरण

१. सूचना तथा समन्वय (Information & Coordination)

| क्र.सं | संस्थाको नाम | भूमिका | सम्पर्क व्यक्ति | सम्पर्क नम्बर |
|--------|--------------------|---------------|-------------------|---------------|
| १ | जि.दै.प्र.उ.समिति | अगुवा संस्था | पर्शुराम पोखरेल | ०७६ ५६०९९५ |
| २ | जिविस | सहयोगी संस्था | राजन पोखरेल | ०७६५६०००५ |
| ३ | जिल्ला वन कार्यालय | सहयोगी संस्था | कार्यालय प्रमुख | ०७६५६००१४ |
| ४ | कपिवलस्तु न.पा | सहयोगी संस्था | कार्यालय प्रमुख | ०७६५६००१९ |
| ५ | नेपाल रेडक्रस | सहयोगी संस्था | केशव सिंह | ०७६ ५६००१५ |
| ६ | पत्रकार महासंघ, | सहयोगी संस्था | बसन्त गिरी | ९८४७०६२४२६ |
| ७ | गैसस महासंघ | सहयोगी संस्था | प्रबीन श्रीवास्तव | ९८५७०५०४०८ |
| ८ | इन्ड्रेणी | सहयोगी संस्था | प्रदीप शाह | ९८५७०२१२३३ |

२. खोजी तथा उद्धार (Search and Rescue)

| क्र.सं | संस्थाको नाम | भूमिका | सम्पर्क व्यक्ति | सम्पर्क नम्बर |
|--------|----------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| १ | जि.दै.प्र.उ.समिति | अगुवा संस्था | पर्शुराम पोखरेल | ०७६ ५६०९९५ |
| २ | जिविस | सहयोगी संस्था | राजन पोखरेल | ०७६५६०००५ |
| ३ | नेपाली सेना | सहयोगी संस्था | गुल्मपति | ०७६५६००१६ |
| ४ | नेपाल प्रहरी | सहयोगी संस्था | प्रहरी उपरिक्षक | ०७६५६०४६५/१०० |
| ५ | नेपाल रेडक्रस | सहयोगी संस्था | केशव सिंह | ०७६ ५६००१५ |
| ६ | सशस्त्र प्रहरी | सहयोगी संस्था | स.प्र.उ. | ०७६५६१०५९ |
| ७ | जिवका | सहयोगी संस्था | कार्यालय प्रमुख | ०७६५६००१४ |
| ८ | समुदायिक प्रकोप व्य. संजाल | सहयोगी संस्था | कल्पना शर्मा | ९८४७०२३०४१ |
| ९ | गैसस महासंघ | सहयोगी संस्था | प्रबीन श्रीवास्तव | ९८५७०५०४०८ |

३. आवास तथा गैर खाद्य सामग्री (Shelter & Non Food Items)

| क्र.सं | संस्थाको नाम | भूमिका | सम्पर्क व्यक्ति | सम्पर्क नम्बर |
|--------|-----------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| १ | नेपाल रेडक्रस | अगुवा संस्था | केशव सिंह | ०७६ ५६००१५ |
| २ | जिविस | सहयोगी संस्था | राजन पोखरेल | ०७६५६०००५ |
| ३ | जिल्ला प्राविधिक कार्यालय | सहयोगी संस्था | कार्यालय प्रमुख | ०७६५६००८८ |
| ४ | नेपाली सेना | सहयोगी संस्था | गुल्मपति | ०७६५६००१६ |
| ५ | नेपाल प्रहरी | सहयोगी संस्था | प्रहरी उपरिक्षक | ०७६५६०४६५/१०० |
| ६ | सशस्त्र प्रहरी | सहयोगी संस्था | स.प्र.उ. | ०७६५६१०५९ |
| ७ | जिवका | सहयोगी संस्था | कार्यालय प्रमुख | ०७६५६००१४ |
| ८ | जिभूसंका | सहयोगी संस्था | कार्यालय प्रमुख | ९८५७०२२९६८ |
| ९ | गैसस महासंघ | सहयोगी संस्था | प्रबीन श्रीवास्तव | ९८५७०५०४०८ |
| १० | उद्योग वाणिज्य संघ, तौलिहवा | सहयोगी संस्था | गयादीन कुर्मी | ९८५७०२२२०३ |

विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

४. स्वास्थ्य तथा पोषण (Health and Nutrition)

| क्र.सं | संस्थाको नाम | भूमिका | सम्पर्क व्यक्ति | सम्पर्क नम्बर |
|--------|---------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| १ | जि.स्वा.का. | अगुवा संस्था | विष्णु जैसवाल | ९८४७०४०८९७ |
| २ | जिल्ला अस्पताल | सहयोगी संस्था | डा. गोपाल कैडल | ०७६५६०२०० |
| ३ | यूनिसेफ | सहयोगी संस्था | प्रकाश कैनी | ९८५१०१४८०८ |
| ४ | यूएनएफपिए | सहयोगी संस्था | चित्र महतो | ९७५७०५०३१३ |
| ५ | मेरीस्टोप | सहयोगी संस्था | मनिराम पाण्डे | ०७६५६१०५८ |
| ६ | सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्र | सहयोगी संस्था | गुणानीधि भुसाल | ०७६५५०९९७ |
| ७ | सहज नेपाल | सहयोगी संस्था | उमेश पौडेल | ०७६५४००३७ |
| ८ | आई एन एफ | सहयोगी संस्था | लेखनाथ न्यौपाने | ०७६५६०२९२ |

५. शिक्षा (Education)

| क्र.सं | संस्थाको नाम | भूमिका | सम्पर्क व्यक्ति | सम्पर्क नम्बर |
|--------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| १ | जि.शि.का. | अगुवा संस्था | जिशिअ | ०७६५६००११ |
| २ | यूनिसेफ | सहयोगी संस्था | प्रकाश कैनी | ९८५१०१४८०८ |
| ३ | सेभ द चिल्ड्रेन | सहयोगी संस्था | इश्वर खत्री | ९८५११५२७८० |
| ४ | इन्ड्रेणी | सहयोगी संस्था | प्रदीप शाह | ९८५७०२१२३३ |
| ५ | राइज | सहयोगी संस्था | रीता सिंह | ०७६५६०९७० |
| ६ | कालिका | सहयोगी संस्था | रामेन्द्र रावल | ०७६५६०२८२ |
| ७ | सिद्धार्थ | सहयोगी संस्था | गुणानीधि भुसाल | ०७६५५०९९७ |
| ८ | सनसाइन | सहयोगी संस्था | परशुराम यादव | ९८४७०६२००० |
| ९ | सहज नेपाल | सहयोगी संस्था | उमेश पौडेल | ०७६५४००३७ |

६. संरक्षण (Protection)

| क्र.सं | संस्थाको नाम | भूमिका | सम्पर्क व्यक्ति | सम्पर्क नम्बर |
|--------|-----------------------|---------------|------------------|---------------|
| १ | म.तथा वा. का. | अगुवा संस्था | कार्यालय प्रमुख | ०७६५६०२६४ |
| २ | जिप्रका | सहयोगी संस्था | जिल्ला प्रहरी | १०० |
| ३ | यूनिसेफ | सहयोगी संस्था | प्रकाश के सी | ९८५१०१४८०८ |
| ४ | यूएनएफपिए | सहयोगी संस्था | चित्र महतो | ९७५७०५०३१३ |
| ५ | नेपाल वार ऐस्सोशियसन | सहयोगी संस्था | राजेन्द्र पाण्डे | ०७६५६००७० |
| ६ | पत्रकार महासंघ, | सहयोगी संस्था | मनोज पौडेल | ९८४७०४०३३३ |
| ७ | पारालिगल/निगरानी समूह | सहयोगी संस्था | पुष्णा रेग्मी | ९८४७०४०३३२ |
| ८ | एडभोकेसी फोरम | सहयोगी संस्था | ओम प्रकाश अर्याल | ९८५७०५०६१० |
| ९ | इन्सेक | सहयोगी संस्था | नन्द राम पौडेल | ९८४७०२५४३३ |
| १० | इन्ड्रेणी | सहयोगी संस्था | प्रदीप शाह | ९८५७०२१२३३ |
| ११ | माहुरी होम | सहयोगी संस्था | रवि ठाकुर | ९८५७०२२०३८ |
| १२ | सिद्धार्थ | सहयोगी संस्था | गुणानीधि भुसाल | ०७६५५०९९७ |
| १३ | साथि | सहयोगी संस्था | खगप्रसाद चापागाई | ९८५७०५०४३६ |

विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

७. खानेपानी तथा सरसफाइ (WASH)

| क्र.सं | संस्थाको नाम | भूमिका | सम्पर्क व्यक्ति | सम्पर्क नम्बर |
|--------|---------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| १ | खापा. स.स.डि.का | अगुवा संस्था | कार्यालय प्रमुख | ०७६५६००७४ |
| २ | जिविस | सहयोगी संस्था | राजन पोखरेल | ०७६५६०००५ |
| ३ | जिल्ला प्राविधिक कार्यालय | सहयोगी संस्था | कार्यालय प्रमुख | ०७६५६००८८ |
| ४ | यूनिसेफ | सहयोगी संस्था | प्रकाश कैनी | ९८५१०९४८०८ |
| ५ | खापास | सहयोगी संस्था | कार्यालय प्रमुख | ०७६५६०५३५ |
| ६ | जिभूसंका | सहयोगी संस्था | कार्यालय प्रमुख | ९८५७०२२९६८ |
| ७ | इन्ड्रेणी | सहयोगी संस्था | प्रदीप शाह | ९८५७०२१२३३ |
| ८ | सिद्धार्थ | सहयोगी संस्था | गुणानिधि भुसाल | ०७६५५०९९७ |

७. कृषि, खाद्य तथा जिविकोपार्जन (Agriculture, Food and Livelihood)

| क्र.सं | संस्थाको नाम | भूमिका | सम्पर्क व्यक्ति | सम्पर्क नम्बर |
|--------|--|---------------|-------------------|---------------|
| १ | जिकृविका | अगुवा संस्था | कार्यालय प्रमुख | ०७६५६००६३ |
| २ | जिविस | सहयोगी संस्था | राजन पोखरेल | ०७६५६०००५ |
| ३ | जिविका | सहयोगी संस्था | कार्यालय प्रमुख | ०७६५६००१४ |
| ४ | जिभूसंका | सहयोगी संस्था | कार्यालय प्रमुख | ९८५७०२२९६८ |
| ५ | जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालय | सहयोगी संस्था | कार्यालय प्रमुख | ०७६५४५१९६ |
| ६ | सिंचाई विकास डि. कार्यालय | सहयोगी संस्था | कार्यालय प्रमुख | ०७६५६००३० |
| ७ | नेरेसो | सहयोगी संस्था | केशव सिंह | ०७६५६००१५ |
| ८ | उवासं तौलिहवा | सहयोगी संस्था | गयादीन कुर्मी | ९८५७०२२२०३ |
| ९ | गैसस महासंघ | सहयोगी संस्था | प्रबीन श्रीवास्तव | ९७४७००८६९७ |

विषयगत विपदको प्रकृतिमा आधारित प्रतिकार्य योजना

१. सूचना तथा समन्वय (Information & Coordination)

क) विपद पछिको अनुमानित परिदृश्य

- ⌚ सूचना प्रसारण प्रविधिहरु अवरुद्ध वा नष्ट।
- ⌚ सार्वजनिक पूर्वाधारहरू (सडक, पुल, बिद्युत, आपूर्ति, सञ्चार) नष्ट
- ⌚ आवागमन अवरुद्ध।
- ⌚ आवास तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति अस्थायी रूपमा क्षति, बाल-बालिका, महिला, वृद्ध-वृद्धा तथा फरक किसिमले सक्षम (अपाङ्ग) मुख्य रूपमा प्रभावित हुने गरी मानिसहरू विस्थापन
- ⌚ विद्यालयमा कक्षा कोठा, प्रहरीचौकी र स्वास्थ्य केन्द्र जस्ता उपलब्ध सार्वजनिक संस्थाहरूमाथि परेको चाप
- ⌚ आवाससम्बन्धी सहयोग आवश्यक हुने गरी विस्थापित परिवार।

ख) प्रस्तुत योजनाको उद्देश्य

- ⌚ सूचना प्रवाहका वैकल्पिक उपायहरु पहिचान गर्ने तथा सूचनाहरूलाई विश्लेषण गरी सम्बन्धित क्षेत्रहरूमा उपलब्ध गराई प्रतिकार्य सुनिश्चित गर्ने।
- ⌚ जिल्ला तथा गा.वि.स तहमा सूचना तथा समन्वय समिति गठन गर्ने।
- ⌚ तीनदेखि पाँच दिन भित्र गतिषःअगिकतभव्य क्लष्टष्वर्ब च्वउष्म व्यक्तिभक्तभलत ९:५८० गरी क्षति र पीडितहरूको विवरण तयार गर्ने।
- ⌚ नियमित रूपमा अनुगमन गरी क्षेत्रहरूलाई पृष्ठपोषण गर्ने।

ग) मानवीय सहयोगका मापदण्ड

- ⌚ टोल फ्री एक थान टेलीफोन लाइन उपलब्ध गराउने
- ⌚ समन्वय बैठक शुरुमा हरेक दुई दिनमा एक पटक र दोस्रो हप्ता देखि साप्ताहिक रूपमा बस्ने।
- ⌚ समन्वय बैठक र प्रतिवेदनका बारेमा जानकारी गराउने
- ⌚ जोखिममा परेका समुह तथा जनसंख्यालाई न्यायोचित रूपमा गरिएको उद्धार सामग्रीको वितरण तथा सहयोग
- ⌚ अवस्था तथा आवश्यकताको आधारमा रहेर-मिरा (MIRA) टीम परिचालन गर्ने।
- ⌚ पहिलो हप्तामा परिस्थितिका बारेमा दिनदिनै प्रतिवेदन तयार गर्ने। क्रमशः आवश्यकता अनुसार हरेक २ दिन तथा साप्ताहिक रूपमा निरन्तरता दिने।
- ⌚ २४ घण्टामित्र समाचार माध्यमका लागि समाचार पठाउने र पहिलो हप्तामा हरेक दिन
- ⌚ क्षेत्रीय/स्थानीय प्रकोप उद्धार समितिलाई सक्रिय पार्न प्रयास गर्ने।
- ⌚ समन्वय तथा शिविर व्यवस्थापनको अनुगमन गर्ने, प्रतिवेदन तयार गरि सबैलाई जानकारी गराउने।

१.१ विद्यमान श्रोत तथा क्षमताको विवरण

| क्र.सं. | कार्यालय/ संस्था | मानवीय श्रोत | सामग्री |
|---------|---|--|----------------------------------|
| १ | जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति | क्लष्टर समन्वयकर्ताहरू | सवारी साधन, इन्धन |
| २ | जि.वि.स.को कार्यालय | गा.वि.स. सचिवहरू, सामुदायिक संस्थाहरू, सामाजिक परिचालकहरू | गाडी २ मोटरसाइकल ५, इन्धन |
| ३ | सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी | सूचना संजाल, इलाका प्रहरी कार्यालय तथा प्रहरी पोष्टहरू | गाडी, संचार सेट |
| ४ | राजनीतिक दलहरू | जिल्ला, इलाका, गाउँ तथा टोल सम्मका संगठन तथा कार्यकर्ताहरू | स्थानीयरूपमा उपलब्ध साधनस्रोतहरू |
| ५ | संचार कर्मीहरू | करिव २५ जना | संचार पत्र पत्रिका, रेडियो |
| ६ | नागरिक समाज | संघ/संस्था/व्यक्ति | सहयोग |

विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

१.२ प्रमुख कार्यहरू :

- क्षातिग्रस्त स्थानहरूमा गई क्षति भएको भौतिक संरचना, कृषि वाली, पशुपक्षी, मानवीय क्षतिको सम्भव भएसम्म तस्विर सहित विवरण संकलन गर्ने गराउने ।
- MIRA Tools को प्रयोग गरी तथ्याक संकलन गर्ने र सो सूचनाहरूलाई विश्लेषण गरी तथ्य सूचनाहरूलाई सम्प्रेषण गर्ने ।
- समय समयमा क्लतभच ऋगिकतभच :भभतप्लन को आयोजना गरि अवस्थाको वारेमा जानकारी लिने दिने ।
- विपदबाट पीडितहरू को को हुन् ? पहिचान गरि अस्थायी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन पहल गर्ने ।
- गाउँस्तरमा गठन हुने गा.वि.स. स्तरीय सूचना तथा समन्वय समितिलाई सक्रिय तुल्याउन पहल गर्ने ।
- सत्य तथ्य सूचनाहरू समय समयमा सार्वजनिक गर्ने पत्रकार सम्मेलन तथा प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्ने ।
- सूचना संकलन तथा प्रशारण कार्यलाई व्यवस्थित गर्न जि.वि.स.को हाता भित्र छुटै आकस्मिक सूचना संकलन तथा प्रशारण केन्द्रको व्यवस्था गर्ने ।
- विपदका कारण संचार माध्यमहरू नष्ट हुने हुँदा वैकल्पिक संचार माध्यमको व्यवस्थापन गर्ने ।

१.३ विपद पश्चात संचालन गरिने कार्यहरू :

| क्र.स. | प्रमुख कार्यहरू | जिम्मेवार निकाय | समय सिमा |
|--------|--|---|----------------|
| १ | सूचनाको आधिकारिकता पत्ता लगाउने । | जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति | तुरन्तै |
| २ | जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक आयोजना गर्ने । जिम्मेवारी वांडफांड गर्ने, सम्पूर्ण सेक्टर वा क्लष्टरहरूलाई जानकारी गराई सक्रिय | जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति | २४ घण्टा भित्र |
| ३ | प्रभावित क्षेत्रमा राहत, उदार, खोज कार्यक्रम संचालनका लागि स्थानीय स्तरमा समिति गठन गरी समूह विभाजन सहित कामको जिम्मेवारी दिने । | जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति, जिविस, गाविस र स्थानीय संस्था | ३ दिन भित्र |
| ४. | संभावित प्रभावित क्षेत्रहरूमा/स्थानहरूमा काम भएको नभएको, राहत तथा उदार सामाग्री पुगे नपुगेको जानकारी लिने । | जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति, जिविस, गाविस र स्थानीय संघ /संस्था, पत्रकार | १ दिन भित्र |
| ५ | प्रभावित स्थानहरूमा भएको क्षति तथा अन्य गतिविधिको तथ्यांक विवरण लिने, विश्लेषण गर्ने, सामाग्री पुगे/नपुगेको एकीन गर्ने । | जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति बैठक | २ दिन भित्र |
| ६ | सम्पूर्ण तथ्यांक विवरणको क्षेत्रीय/मन्त्रालयमा जानकारी गराउने । | जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति बैठक | एक दिन भित्र |
| ७ | प्रभावित स्थानहरूमा वितरित राहत सामाग्रीको अनुगमन, समिक्षा र मूल्यांकन गर्ने । | जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति | तीन दिन भित्र |
| ८ | सूचना केन्द्रको रूपमा जिविसको सूचना केन्द्रलाई सशक्त बनाउने । प्रत्येक कार्यालयमा एक जना कर्मचारीलाई कार्यक्रम सम्पर्क व्यक्तिको रूपमा तोक्ने । | जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति | सात दिन भित्र |

विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

| | | | |
|----|--|------------------------------|--------------|
| ९. | जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिवाट प्रभावित क्षेत्र/स्थानको अनुगमन, निरक्षण पश्चात पुग/नपुग सामाग्रीहरु तथा अन्य व्यवस्थाको लागि पृष्ठपोषण लिने र यदि नपुग भएमा सरोकारवाला निकायहरुमा खवर तथा माग गर्ने । | जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति | १५ दिन भित्र |
|----|--|------------------------------|--------------|

१.४ सूचना तथा समन्वय पूर्व तयारी योजना :

| क्र.सं. | प्रमुख कार्यहरु | जिम्मेवार निकाय | समय सिमा |
|---------|--|--|-------------------|
| १ | सबै क्लष्टरहरुको बैठक वसी सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्ने र सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने । | जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति, जिविस, पत्रकार | फागुन महिना भित्र |
| २ | संभाव्य गाविसहरुमा सूचना समन्वय समिति गठन गर्ने । | जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति | फागुन - बैसाख |
| ३ | स्थानीय स्तरका समिति र संघ/संस्थाहरुलाई एक दिने अन्तरक्रिया सहित सचेतना तालिम, पर्चा, पोष्टर र पम्लेट सहित । | जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति | फागुन - बैसाख |
| ४. | संभावित गाविसमा हरेक समितिलाई एक टेलिफोन सेट, एक मोवाइल एवं संचार साधनको व्यवस्था गर्ने । | जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति, सम्बन्धित सरोकारवाला संस्था/निकाय, पत्रकार | फागुन - जेठ |
| ५ | सबै क्लष्टर संस्थाहरुले आ-आफ्नो जिम्मेवारी अनुसारका सामाग्री/साधन स्रोतहरु जुटाएको वारे जानकारी लिने/दिने । | जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति, सम्बन्धित सरोकारवाला संस्था/निकाय, पत्रकार | जेठ भित्र |
| ६ | जिविस भित्रको सूचना केन्द्रलाई स्थानीय स्तरसम्म समन्वय गर्न साधन स्रोत सम्पन्न गराई सक्रिय पार्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने । | जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति, जिविस | बैशाख भित्र |
| ७ | सम्पूर्ण योजनाको अनुगमन, समिक्षा, निरक्षण एवं मूल्यांकन गर्ने । | जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति, जिविस | जेठ भित्र |

विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

१.५ कार्यक्रम बजेट (सूचना तथा समन्वय)

| क्र. सं. | प्रमुख कार्यहरु | जिम्मेवार निकाय | ईकाई | परिमाण | दर | रकम |
|--------------|---|--|---------------|--------|--------|---------------|
| १ | सबै सेक्टरमा/क्लष्टरहरुको बैठक वसी सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्ने र सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने । | जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति, जिविस, पत्रकार | पटक | ८ | १००० | ८००० |
| २ | संभाव्य गाविस/नपाहरुमा सूचना समन्वय समिति गठन गर्ने । | जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति | गाविस /नपा | ९ ३ | १००० | १३००० |
| ३ | स्थानीय स्तरका समिति र संघ/संस्थाहरुलाई एक दिने अन्तरक्रिया सहित सचेतना तालिम, पर्चा, पोष्टर र पम्लेट सहित । | जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति | गाविस /नपा | ९ ३ | १०००० | १३०००० |
| ४. | संभावित गाविसमा हरेक समितिलाई एक टेलिफोन सेट, एक मोबाइल एवं संचार साधनको व्यवस्था गर्ने । | जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति, सम्बन्धित सरोकारवाला संस्था/निकाय, पत्रकार | गाविस | ९ ३ | ६५०० | ८४५०० |
| ५ | सबै क्लष्टर संस्थाहरुले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसारका सामाग्री साधन स्रोतहरु जुटाएको वारे जानकारी लिने/दिने । | जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति, सम्बन्धित सरोकारवाला संस्था/निकाय, पत्रकार | बैठक | ८ | १००० | ८००० |
| ६ | जिविस भित्रको सूचना केन्द्रलाई स्थानीय स्तरसम्म समन्वय गर्न साधन स्रोत सम्पन्न गराई सक्रिय पार्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने । (टोल फ़ि टेलिफोन, डिजिटल क्यामरा, भिडियो क्यामरा, मोटरसाईकल, फोटो कॉपी र फयाक्स, प्रिन्टर) | जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति, जिविस | सेट (प्याकेज) | १ | २७५००० | २७५००० |
| ७ | जनशक्ति ३ जना ३ महिनाको लागि | | जना | ३ | १००० | २७००० |
| ८ | सम्पूर्ण योजनाको अनुगमन, समिक्षा, निरक्षण एवं मूल्यांकन र प्रतिवेदन । | जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति, जिविस | पटक | १ | २५००० | २५००० |
| जम्मा | | | | | | ५६९५०० |

२. खोजी तथा उद्धार (Search and Rescue)

क) विपद पछिको अनुमानित परिदृश्य

कपिलवस्तु जिल्लाको बाणगांगा, सुराई, महलीसागर बाध, बेल, चिराई आदि ठूला साना नदिहरुको कटान, पटान तथा डुवानमा परी वर्षेनी मानिसहरुको मृत्यु, चोटपटक, घाइते, बेपत्ता, बस्तुभाउ, सम्पत्ति तथा खेतिपाती/जग्गा जमीनको नोक्सानी हुने।

ख) उद्देश्य

विपद प्रभावित व्यक्तिहरुलाई उद्धार गरी सहज तरिकाले सुरक्षित स्थान सम्म पुर्याउनु।

ग) मानवीय सहयोगका मापदण्डहरु

- ⌚ समन्वय वैठक विपद आएको पहिलो हप्तामा १ दिन विराएर र दोस्रो हप्ताबाट हप्तामा १ पटक बस्ने।
- ⌚ समन्वय वैठक र प्रतिवेदनका बारेमा जानकारी गराउने।
- ⌚ जोखिममा परेका समुह तथा समुदायलाई न्यायोचित रूपमा उद्धार र राहत सामग्रीको वितरण तथा सहयोग गर्ने।
- ⌚ आवश्यकताको आधारमा रहेका बहु क्षेत्रिय प्रारम्भिक द्रुत लेखाजोखा १:५०० टीम परिचालन गर्ने।
- ⌚ पहिलो हप्तामा परिस्थितिका बारेमा दिनदिनै प्रतिवेदन तयार गर्ने।
- ⌚ २४ घण्टाभित्र समाचार माध्यमका लागि समाचार पठाउने र पहिलो हप्तामा हरेक दिन पठाउने।
- ⌚ समन्वय तथा शिविर व्यवस्थापनको अनुगमन गर्ने, प्रतिवेदन तयार गरी सबैलाई जानकारी गराउने।

२.१ विद्यमान श्रोत तथा क्षमता

| क्र.सं. | कार्यालय/ संस्था | मानवीय श्रोत | मौज्दात उद्धार सामग्री |
|---------|---|--|---|
| १ | जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिती | १५ | समन्वय, संचार तथा परिचालन |
| २ | जिल्ला प्रहरी कार्यालय | २० जना | लाइफ ज्याकेट १०, गैंची, वेल्चा, डोरी |
| ३ | सशस्त्र प्रहरी कार्यालय | ४० जना | लाइफ ज्याकेट १०, ट्युव १०, डोरी १०० मिटर, क्यारोविना हुक, गैंची, वेल्चा, डोरी |
| ४ | नेपाली सेना | ३० जना | लाइफ ज्याकेट १०, पिक्स बोट, गैंची, वेल्चा, डोरी |
| ५ | ग्रामिणस्तरमा प्रकोप व्यवस्थापन समिति र इन्ड्रेणी | विभिन्न गाविसका (इन्ड्रेणीबाट सहजीकरण भएका समूहरुमा) व्यवस्थापन समितिसंग | डुंगा १, लाइफ ज्याकेट ५० पीस, डोरी, स्ट्रेचर १०, टर्च १५, हेल्मेट, प्राथमिक उपचारकीट, वेल्चा, गैंची आदि |
| ६ | रेडक्रस | ५ जना | गैर खाद्य सामग्री |

विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

२.२ विपद पश्चात गरिने गतिविधि (खोजी तथा उद्धार)

| क्र. सं. | प्रमुख कार्यहरु | जिम्मेवार निकाय | समय सिमा |
|----------|--|--|---|
| १ | सूचना संकलन : प्रहरी, स्थानीय जनता, संघ/संस्था | जिल्ला प्रशासन कार्यालय जिल्ला प्रहरी कार्यालय ससस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, नागररिक समाज पत्रकार/पत्रकार महासंघ, ईन्ड्रेणी, रेडक्स, गैसस र गैसस महासंघ | तुरुन्त गर्ने |
| २ | आकस्मिक बैठक | जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय ससस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, नागररिक समाज पत्रकार, ईन्ड्रेणी, रेडक्स, गैसस र गैसस | सूचना प्राप्त हुना साथ |
| ३ | उद्धार सामाग्री लिने (प्राथमिक उपचार सहित आकेजमा तयार भएको सामाग्री) | जिल्ला प्रहरी कार्यालय, ससस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, नागररिक समाज, पत्रकार, ईन्ड्रेणी, रेडक्स, गैसस र गैसस महासंघ | बैठक सकिए तुरुन्तै |
| ४ | जोखिममा परेकाव्यक्तिहरुलाई उद्धार गर्ने। | ” ” ” | छिटो भन्दा छिटो आश्रयस्थलमा ल्याउने। |

२.३. आपतकालिन खोज तथा उद्धार पूर्व तयारी योजना :

| क्र. सं. | प्रमुख कार्यहरु | जिम्मेवार निकाय | समय सिमा |
|----------|--|---|-------------------|
| १ | संभावित जोखिम हुने क्षेत्र पत्तालगाउन बैठक बस्ने। | DDRC | बैशाख १५ भित्र |
| २ | संभावित जोखिम हुने क्षेत्रमा गर्इ स्थानीय संघ/संस्था सरकारी निकाय, समाजसेवी, बुद्धिजीवी राखी पूर्वतयारी | DDRC प्रकोपमा काम गर्ने संघ संस्था र सरकारी कार्यालय। | बैशाख २५ भित्र |
| ३ | जोखिम क्षेत्रको उद्धारका लागि प्रशिक्षण दिने। | DDRC, प्रकोपमा काम गर्ने संघ संस्था र सरकारी कार्यालय। | जेठको पहिलो हप्ता |
| ४. | उद्धार सामाग्रीहरुको सूची तयार गरी खरिद गर्ने। | क्लष्टर सदस्य, जनपद, सशस्त्र र नेपाली सेना | जेठ १५ भित्र |

विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

| | | | |
|---|---|--|--------------|
| ५ | उदार सामग्री प्राप्ती, खरिद तथा भण्डारण गर्ने। | क्लष्टर सदस्य, जनपद, सशस्त्र र नेपाली सेना | जेठ २० भित्र |
| ६ | <u>आवश्यक सामग्रीहरुको विवरण :</u> <ul style="list-style-type: none"> ● लाइफ ज्याकेट : १०० ● डोरी : १०० ह १३०० मिटर ● टर्च : १०० वटा ● स्ट्रेचर : २५ वटा ● हेल्मेट : १०० वटा | <ul style="list-style-type: none"> ● कोदालो : ५० वटा ● बेल्चा : ५० ● प्राथमिक उपचार बाक्स : १५ वटा ● ट्यूब : २० वटा ● डुंगा : ५ वटा | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ● ट्रक, एम्बुलेन्स, सवारी साधन संभोता गर्ने ● ईन्धन | | |

२.४ खोजी तथा उदारको कार्यक्रम बजेट :

| क्र.सं. | आवश्यक सामग्री | इकाई | परिमाण | दर | बजेट |
|--------------|---------------------|------|--------|-------|---------------|
| १ | लाइफ ज्याकेट | वटा | ३० | ३००० | ९०००० |
| २ | डुंगा, बोट | वटा | १ | ५०००० | ५०००० |
| ३ | डोरी मोटो | मीटर | ५०० | ५० | २५००० |
| ४ | ट्यूब | वटा | ५० | ५०० | २५००० |
| ५ | सर्च लाइट | वटा | ५० | १०० | ५००० |
| ६ | रेनकोट | वटा | ५० | १००० | ५०००० |
| ७ | क्यारामेना हुक | थान | ३०० | ५० | १५००० |
| ८ | स्ट्रेचर | थान | २० | १५०० | ३०००० |
| ९ | बेल्चा, | थान | ५० | १७५ | ८७५० |
| १० | कोदालो | थान | ५० | २०० | १०००० |
| ११ | बन्चरो | थान | १० | १७५ | १७५० |
| १२ | हेलमेट | थान | ५० | ४०० | २०००० |
| १३ | खुकुरी | थान | १० | २०० | २००० |
| १४ | प्राथमिक उपचार बक्स | थान | २५ | ५०० | १२५०० |
| १५ | वाइनाकुलर | थान | १० | १००० | १०००० |
| १६ | खोज तथा उदार तालिम | जना | ५० | ५००० | २५०००० |
| जम्मा | | | | | ६०५००० |

विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

३. आवास तथा गैर खाद्य सामग्री (Shelter & Non Food Items)

क) विपद पछिको अनुमानित परिदृश्य

- ⌚ विपदका कारण उत्पन्न जोखिमयुक्त परिस्थितिका कारण आफ्नो र परिवारको जिऊ ज्यान जोगाई सुरक्षित ठाउंमा पुगेका विपद प्रभावित परिवारहरूलाई दैनिकी चलाउनका लागि न्यूनतम आवास, लत्ताकपडा, खाना पकाउने भाँडा आदिको आवश्यकता भएको अवस्था ।
- ⌚ यसरी विषम तथा जोखिमयुक्त परिस्थितिमा सबै जनसंख्याको साथै उमेर तथा लैगिंग आधारमा विशेष प्रकारको स्याहार आवश्यकता पर्ने जनसंख्या (गर्भवती, सुत्केरी, बाल बच्चाहरू, बृद्ध बृद्धा एवं अपांगता भएका व्यक्तिहरू) लाई गैर खाद्य सामग्रीहरूको तत्काल आवश्यकता पर्नेछ । जसको सयममा प्रतिकार्य गर्न नसकेको अवस्थामा विविध शारिरिक एवं रोगको संकमणको प्रवल सम्भावना ।
- ⌚ सामुदायिक स्थानहरूमा अस्थायी आवासको उपयोग गर्दा विद्यालयहरू प्रभावित हुने भएकोले बैकल्पिक आवास व्यवस्था गर्नु पर्ने आवश्यकता ।

ख) उद्देश्य

- ⌚ आवास : सुरक्षित तथा आरामदायी बस्ने ठाउँको प्राप्तिका लागि भौतिक एवं प्राथमिक सामाजिक आवश्यकताहरूमा व्यक्ति तथा परिवारहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्ने । यथासम्भव यस प्रक्रियामा बाहिरी भन्दा आफै व्यवस्थापन (Self-Management) लाई समावेश गरिने ।
- ⌚ शिविर समन्वय तथा शिविर व्यवस्थापन : प्राकृतिक विपद्का कारणले घरवारविहीन बनेका मानिसहरूका निमित्त स्थायी समाधानको खोजीका लागि प्रयत्न गर्नुका साथै विस्थापित व्यक्तिहरूलाई मानव अधिकारको उपभोग गर्न सक्षम पार्नका निमित्त शिविरहरूको रहनसहन/जीवन स्तरमा सुधार ल्याउने ।
- ⌚ विपदबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको आत्म सम्मान, सामाजिक मर्यादा संरक्षण गर्न र उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितिबाट हुन सक्ने सम्भावित मानविय क्षति हुन नदिनका लागि आवश्यक आवास तथा गैर खाद्य सामग्रीमा समान पहुँच पुर्याउने ।

ग) मानवीय सहयोग सम्बन्धी मापदण्ड

१. औसतमा एक व्यक्तिका लागि ३.५-४.५ वर्ग मिटरको छाना भएको क्षेत्र उपलब्ध हुनु पर्छ, औसतमा ५ सदस्यहरूको एक परिवारका लागि कम्तीमा पनि ४ ह ५ मिटरको ढोरीसहितको प्लास्टिक सिट र सहायता सामग्री आवश्यक हुन्छ ।
२. दुई वर्षसम्मका केटाकेटीहरूका लागि कम्तीमा एक सेट कपडा ।
३. महिला, केटी, पुरुष तथा केटाहरूको लागि कम्तीमा पनि एकसेट कपडा । यसका अतिरिक्त, महिला तथा केटीहरूका लागि नियमित सरसफाइ सम्बन्धी सामग्रीहरूको आपूर्ति ।
४. प्रत्येक परिवारसंग एक सेट भाँडा ।
५. शिविर बन्द गर्ने र वहिगमन रणनीति ।
६. शिविर खडा गर्नका लागि अग्रिम रूपमा जमिनको पहिचान ।
(SPHERE को मापदण्ड अनुसार) ।

घ) प्रमूख कृयाकलापहरू:

१. उपलब्ध सार्वजनिक स्थलहरूमा अस्थायी आवाशको व्यवस्था गर्ने ।
२. प्रतिकूल बाताबरणीय प्रभावबाट बचाउनका लागि र आत्म सम्मान र मर्यादा जोगाउनका लागि गैर खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउने ।
३. संभावित रोगहरूबाट सूरक्षा दिन मौसम अनुसारको उपयुक्त गैर खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउने ।
४. प्रजननयोग्य उमेरका र गर्भवती महिलाहरूको लागि परिस्थिति र आवश्यकताको आधारमा विशिष्ट थप सामग्री

विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

- उपलब्ध गराउने ।
५. तिन वर्ष मुनिका बालबालिकाहरु तथा जेष्ठ नागरिकहरुलाई उमेर र बातावरण सुहाउदा गैरखाच सामाग्रीहरु उपलब्ध गराउने ।

३.१ सम्भाव्य सुरक्षित स्थानहरूको पहिचान :

संभावित विपदवाट पीडित हुन सक्ने गा.वि.स.मा भएका सुरक्षित आश्रय स्थलहरु तय गर्नको लागि सम्बन्धित गाविसको प्रकोप व्यवस्थापन समन्वय समितिहरूले आ(आफ्नो गाविसमा रहेका त्यस्ता स्थलको पहिचान र सुचीकरण गरी दैवि प्रकोप उद्धार समितिलाई उपलब्ध गराउने छन् ।

३.२. विपद पश्चात गरिने सहयोग कार्य योजना (Response Plan)

| क्र.स. | प्रमुख कार्यहरु | जिम्मेवार निकाय | समय सिमा |
|--------|--|---|------------------------------------|
| १ | समन्वय बैठक | रेडक्स, सम्बन्धित व्यवस्थापन समिति, स्थानीय निकाय, संघ/संस्था, जि.प्र.उ.स., नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, स.प्र.बल | सूचना पछि तुरन्तै (एक घण्टा भित्र) |
| २ | परिस्थितीको लेखाजोखा, कार्यदल गठन, कार्य योजना निर्माण | रेडक्स, सम्बन्धित व्यवस्थापन समिति, स्थानीय निकाय, संघ/संस्था, जि.प्र.उ.स., नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, स.प्र.बल | सूचना पछि तुरन्तै (३ घण्टा भित्र) |
| ३ | सुरक्षित स्थलको पहिचान र समन्वय | जि.दै.प्र.उ.समिति | २४ घण्टा भित्र |
| ४. | सेल्टर निर्माण (सार्वजनिक भवन, सुख्खा जग्गा आदि ठाउमा) | जि.दै.प्र.उ.समिति | २४ घण्टा भित्र |
| ५ | स्थास्थ्य, सुरक्षा, खाद्यपदार्थ, बन्दोवस्तीको लागि अन्य क्लष्टरसंगको सम्पर्क, समन्वय सहयोग आदान प्रदान | जि.दै.प्र.उ.समिति | २४ घण्टा भित्र |
| ६ | खानेपानी सरसफाईको व्यवस्था सहित सेल्टर व्यवस्थापन तथा निर्माण सामाग्रीको व्यवस्था (बास, डोरी, कोदालो, बच्चरो, हसिया आदि) | नेरेसो तथा क्लष्टर सदस्यहरु | २ दिन भित्र |
| ७ | रेस्क्यू टिमसंग संचार समन्वय गरी आक्रिस्मक बसोबास गराउने संख्या एकीन गर्ने । | नेरेसो तथा क्लष्टर सदस्यहरु | २ दिन भित्र |
| ८ | शिवीर स्थापना गरी उमेर, लिंग, धार्मिक आस्था र अशक्तताको आधारमा वर्गीकरण गरी बसोबास गराउने संख्या एकीन गर्ने । | नेरेसो तथा क्लष्टर सदस्यहरु | २ दिन भित्र |
| ९ | संख्या एकीन भए पछि परिचय पत्र वितरणमा सहयोग गर्ने । | जि.प्र.उ.स. | ३ दिन भित्र |

विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

| | | | |
|-----|---|-----------------------------|----------------------|
| १० | किट, चटाई, भाडाकुडा, कपडा, चुल्हो दाउरा जस्ता गैह खाद्य सामाग्रीको व्यवस्था । | नेरेसो तथा क्लष्टर सदस्यहरु | २ दिन भित्र |
| ११ | स्थास्थ्य, चेतनामूलक शिक्षा, सुरक्षा, सरसफाई जस्ता विषयमा विभिन्न निकायसंग समन्वय गरी मानवीय सेवा पुर्याउने । | क्लष्टर सदस्यहरु | ५ दिन भित्र |
| १२ | वितरित सामाग्रीको अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउने । | नेरेसो तथा क्लष्टर सदस्यहरु | वितरण संगसंगै |
| १३ | प्रत्येक सेल्टरमा स्वास्थ्य शिवीर, खाद्य भण्डार र भान्साको लागि छुटै पालको व्यवस्था । | नेरेसो तथा क्लष्टर सदस्यहरु | ५ दिन भित्र |
| १४. | कार्य प्रकृति बमोजिम मानवीय स्रोतको व्यवस्था । | नेरेसो तथा क्लष्टर सदस्यहरु | शिविर स्थापनासंगै |
| १५. | अस्थायी बसोबास क्षेत्रको नियमित निरिक्षण अनुगमन तथा पृष्ठोषण | नेरेसो तथा क्लष्टर सदस्यहरु | शिविर स्थापनासंगै |
| १६. | समिक्षा, मूल्यांकन र प्रतिवेदन दिने | नेरेसो तथा क्लष्टर सदस्यहरु | प्रत्येक हप्ता |
| १७ | अस्थायी वास हटेपछि सेल्टर रहेको स्थानको सरसफाई र पुर्नस्थापन गर्ने । | नेरेसो तथा क्लष्टर सदस्यहरु | शिविर खाली भए पश्चात |
| १८ | WASH कार्यक्रम संचालन | नेरेसो कपिलवस्तु | ५ गाविसहरु |

३.३ आकस्मीक बसोबास व्यवस्थाको पूर्व तयारी योजना :

| क्र.स. | प्रमुख कार्यहरु | जिम्मेवार निकाय | समय सिमा |
|--------|--|---|--------------------|
| १ | <p>समन्वय बैठक</p> <ul style="list-style-type: none"> ● संभावित क्षेत्र र निकायको पहिचान ● प्रभावित क्षेत्रको पहिचान र नक्सांकन ● संभावित प्रभाव क्षेत्रमा समिति तथा कार्यदल गठन । ● सूचना प्रवाहका लागि नेटवर्क स्थापना (फोन सम्पर्क) | रेडक्स, सम्बन्धित व्यवस्थापन समिति, स्थानीय निकाय, संघ/संस्था, जि.प्र.उ.स., नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, स.प्र.बल | बैशाख पहिलो हप्ता |
| २ | <ul style="list-style-type: none"> ● सुरक्षित आकस्मीक बसोबास स्थान र जोखिम स्थानको पहिचान । ● स्रोत तथा जोखिम नक्सा तयार गर्ने । | रेडक्स, सम्बन्धित व्यवस्थापन समिति, स्थानीय निकाय, संघ/संस्था, जि.प्र.उ.स., नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, स.प्र.बल | बैशाख दोस्रो हप्ता |

विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

| | | | |
|----|---|------------------|-------------------|
| ३ | दोसो बैठक : <ul style="list-style-type: none"> ● संभावित प्रभावित संख्याको अनुमान र वर्गीकरण । ● आवश्यक बन्दोवस्तीका सामाग्रीको पहिचान गरी विवरण (Roster) तयार गरी राख्ने । ● सामाग्री उपलब्ध गराउन सक्ने आपूर्ति कर्ताको पहिचान र सम्पर्क स्थापना ● संभावित आकस्मिक वसोवास योग्य स्थानको प्रयोगको लागि सहमति स्थापना । | क्लस्टर सदस्यहरु | बैशाख तेसो हप्ता |
| ४. | मानवीय स्रोत विकास : <ul style="list-style-type: none"> ● सुरक्षा निकाय, सामाजिक संघ संस्था र संभावित प्रभावित क्षेत्रका समिति र कार्यदलहरूलाई सेल्टर निर्माण, सरसफाई, जिन्सी व्यवस्थापन, सुरक्षा सम्बन्धि अनुशिक्षण दिने । | जि.प्र.उ. समिति | बैशाख मसान्त |
| ५ | <ul style="list-style-type: none"> ● अभिलेख व्यवस्थापनको लागि निम्न विषयको ढाचा निर्माण : ● प्रभावित व्यक्तिहरुके विवरण ● वितरण गर्ने सामाग्रीहरुको विवरण ● परिचय पत्र र प्रतिवेदनको ढाचा निर्माण । | जि.प्र.उ. समिति | जेष्ठ पहिलो हप्ता |
| ६ | <ul style="list-style-type: none"> ● आवश्यक बन्दोवस्तीका सामान प्राप्ती, खरिद र भण्डारण गर्ने । ● भण्डार गरीएका सामानको लगत राख्ने । | जि.प्र.उ. समिति | जेष्ठ दोसो हप्ता |
| ७ | सामाग्री व्यवस्थापन योजना तथा वितरण आचार सहिता निर्माण गर्ने । | क्लस्टर सदस्यहरु | जेष्ठ दोसो हप्ता |
| ८ | शिवीर व्यवस्थापन तथा समन्वय समितिको संरचनागत जिम्मेवारी वाडफाड | क्लस्टर सदस्यहरु | जेष्ठ तेसो हप्ता |
| ९ | पूर्व तयारी कार्यको समिक्षा र मूल्यांकन | क्लस्टर सदस्यहरु | जेष्ठ मसान्त |

विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

३.४ आकस्मिक वसोवास तथा गैह खाद्य सामग्रीको बजेट

| क्र. सं. | प्रमुख कार्यहरु | जिम्मेवार निकाय | ईकाई | परिमाण | दर | रकम |
|----------|---|---|-------|--------|-------|--------|
| १ | समन्वय बैठक | रेडक्स, सम्बन्धित व्यवस्थापन समिति, स्थानीय निकाय, संघ/संस्था, जि.प्र.उ.स., नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, स.प्र.बल | पटक | ३ | १००० | ३००० |
| १.१ | संभावित क्षेत्र र निकायको पहिचान | | पटक | ३ | ० | ० |
| १.२ | प्रभावित क्षेत्रको पहिचान र नक्सांकन | | पटक | ३ | ० | ० |
| १.३ | संभावित प्रभाव क्षेत्रमा समिति तथा कार्यदल गठन। | | पटक | २ | १००० | २००० |
| १.४ | सूचना प्रवाहका लागि नेटवर्क स्थापना (फोन सम्पर्क) | | पटक | २ | ० | ० |
| २ | सुरक्षित आकस्मिक वसोवास स्थान र जोखिम स्थानको पहिचान। | रेडक्स, सम्बन्धित व्यवस्थापन समिति, स्थानीय निकाय, संघ/संस्था, जि.प्र.उ.स., नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, स.प्र.बल | | | | ० |
| | स्रोत तथा जोखिम नक्सा तयार गर्ने। | | गाविस | १३ | १००० | १३००० |
| ३ | दोसो बैठक : संभावित प्रभावित संख्याको अनुमान र वर्गीकरण। | जि.दै.प्र.उ.समिति | पटक | ४ | १००० | ४००० |
| | आवश्यक बन्दोवस्तीका सामग्रीको पहिचान गरी विवरण (List) तयार गरी राख्ने। | | | | | ० |
| | सामाग्री उपलब्ध गराउन सक्ने आपूर्ति कर्ताको पहिचान र सम्पर्क स्थापना | | | | | ० |
| | संभावित आकस्मिक वसोवास योग्य स्थानको प्रयोगको लागि सहमति स्थापना। | | | | | ० |
| ४ | मानवीय स्रोत विकास : | जि.दै.प्र.उ.समिति | | | | |
| ४.१ | सुरक्षा निकाय, सामाजिक संघ संस्था र संभावित प्रभावित क्षेत्रका समिति र कार्यदलहरूलाई सेल्टर निर्माण, सरसफाई, जिन्सी व्यवस्थापन, सुरक्षा सम्बन्ध अनुशिक्षण दिने। | | ब्याच | १४ | १०००० | १४०००० |

विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

| | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|------|------|-------|--------|
| ५ | अभिलेख व्यवस्थापनको लागि निम्न विषयको ढाचा निर्माण : | क्लस्टर सदस्यहरु | | | | ० |
| ५.१ | प्रभावित परिवार/व्यक्तिहरुको विवरण फारम निर्माण छपाई | | थान | ६०० | १० | ६००० |
| ५.२ | वितरण गर्ने सामाग्रीहरुको विवरण फारम छपाई | | थान | ६०० | १० | ६००० |
| ५.३ | परिचय पत्र र प्रतिवेदनको ढाचा निर्माण । | | थान | २००० | ३० | ६०००० |
| ६ | अत्यावश्यक बन्दोवस्तीका सामान प्राप्ती, खरिद र भण्डारण गर्ने । | क्लस्टर सदस्यहरु | | | | ५००००० |
| ६.१ | भण्डार गरीएका सामानको लगत राख्ने । | | | | | |
| ७ | सामाग्री व्यवस्थापन योजना तथा वितरण आचार सहिता निर्माण गर्ने । | क्लस्टर सदस्यहरु | | | | ० |
| ८ | शिवीर व्यवस्थापन तथा समन्वय समितिको संरचनागत जिम्मेवारी वाडफाड | क्लस्टर सदस्यहरु | | | | ० |
| ९ | स्वयं सेवक परिचालन | क्लस्टर सदस्यहरु | जना | २०० | १२० | २४००० |
| १० | क्लष्टर संयोजक/व्यवस्थापन | क्लस्टर सदस्यहरु | जना | ८ | ३०० | २४००० |
| ११ | अनुगमन | क्लस्टर सदस्यहरु | जना | १५ | १५० | २२५० |
| १२ | सवारी ईन्धन | जि.दै.प्र.उ.समिति | लिटर | ३०० | १०० | ३०००० |
| १३ | पूर्वतयारी कार्यको समिक्षा | क्लस्टर सदस्यहरु | बैठक | ६ | १००० | ६००० |
| १४ | प्रतिवेदन | नेरेसो | पटक | १ | १०००० | १०००० |
| जम्मा | | | | | | ८३०२५० |

विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

४. स्वास्थ्य तथा पोषण (Health and Nutrition)

क. विपद पछिको अनुमानित परिदृश्य :

१. शारिरिक चोट पटक
२. सरुवा रोगहरुको संक्रमण (झाडा पखाला, मलेरिया, टाईफाईड, जन्डिस, छाला तथा आखा पाक्ने रोग आदि)
३. स्वास्थ्य संस्थाको संरचना नष्ट हुनु र स्वास्थ्य संस्था समुदायको पहुचवाट टाढा हुनु।
४. स्वास्थ्य संस्थामा भएको औषधि तथा सर सामग्री नष्ट हुनु।
५. खाद्य तथा पोषणयुक्त खानाको अभाव, वातावरणीय तथा व्यक्तिगत सरसफाईको आभावका कारण सरुवा रोगहरुमा बृद्धिले कुपोषण, स्वाश प्रश्वास जस्ता समस्या देखिनु।
६. गर्भवती तथा दुध खुवाउने महिलाहरु संक्रमण तथा कुपोषणवाट बढी प्रभावित हुने।

ख) उद्देश्य :

- ⌚ आपतकालनि अवस्थामा जोखिममा परेका मानव जीवनको सुरक्षा तथा कल्याण खास गरी एकदमै जोखिममा रहेका समूहको स्वास्थ्य पोषण सम्बन्धी आवश्यकताहरु पुरा गराउनु।

ग) मानवीय सहयोगका मापदण्डहरु

- ⌚ प्रारम्भिक लेखाजोखा सञ्चालन गरिएकै समयमा स्वास्थ्यसम्बन्धी निगरानी शुरु गर्नु पर्ने।
- ⌚ समुदायको तहमा रोग तथा चोट-पटकको उपचार विद्यमान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको प्रणालीको माध्यमबाट गर्ने।
- ⌚ स्वास्थ्य संस्थाहरूमा केही उपचार एवं थोरै संख्यामा गम्भीर विरामीहरूलाई सिफारिश गरी अन्य केन्द्रहरू (Referral centres) मा पठाई आपतकालिन स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गरिने।
- ⌚ सिफारिश गरी पठाइने अन्य केन्द्रहरू (Referral centres) मा केन्द्रहरूमा पुग्नका निमित्त विरामीहरूका लागि उपयुक्त यातायातको प्रवन्ध गरिने।

घ) प्रमुख कार्यहरु :

- ⌚ स्वास्थ्य उपचारको रास्तो व्यवस्था।
- ⌚ आपतकालिन अवस्थामा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवाकालागि न्युनतम प्रारम्भिक सेवा सामग्री (Minimum Initial Service Package (MISP) for Reproductive Health.
- ⌚ विशेष स्याहार (गर्भवती महिला, स्तनपान गराउने महिलाहरु, नवजात शिशुहरु, ५ वर्ष मुनीका वालवालिकाहरु तथा बृद्धबृद्धाहरु।
- ⌚ खोप सेवाको उचित व्यवस्था।
- ⌚ कुपोषण उपचार तथा रोकथाम।
- ⌚ स्वास्थ्य तथा सरसफाईको वारेमा शिक्षा।
- ⌚ मनोसामाजिक परामर्श सेवाको व्यवस्था :
- ⌚ एम्बुलेन्स सेवाको व्यवस्था।

विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

४.१ विद्यमान श्रोत तथा क्षमताको सूची

| क्र.सं. | साझेदारको नाम | औषधी, स्वास्थ्य सामग्री | जनशक्ति | सवारी साधन | कैफियत |
|---------|---------------------------|--|---|----------------------------------|--------|
| १ | जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय | आपतकालिन प्रयोजनको लागि विभिन्न औषधिहरु भण्डार। | अस्पताल ३, प्रा.स्वा.के. २, हे.पो. ७३, तथा १०५४ म.स्व.से. तथा १ द्रुत सेवा कार्यालय (RRT), MISP तथा GBV तालिम लिएको स्वास्थ्यकर्मीहरु | एम्बुलेन्स ३ पिकअप १ मोटरसाइकल ४ | |
| २ | युएनएफापिए | क्षेत्रीय कार्यालय दाइमा Dignity Kits, Condoms, Clean delivery kits रहेको। | १ संयोजक | मोटरसाइकल १ | |
| ३ | युनिसेफ | Health and Hygienic Kit ORT Packet, First Aid Kit | संयोजक १ | मोटरसाइकल १ | |
| ४ | नेपाल परिवार नियोजन संघ | | स्टाफ नर्स १, अनमी १, युवा स्वयंसेवक १० जना | - | |
| ५ | आई.एन.एफ. | औषधी तथा सामग्री | सामाजिक परिचालन ५ गाविस | गाडी १ | |
| ६ | रेडक्रस | जिल्ला तथा उप शाखामा रहेको औषधि तथा सामग्री | प्राथमिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक | - | |
| ७ | मेरीस्टोप | तौलिहवा र चन्द्रौटा | नर्स | एम्बुलेन्स | |

विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

४.२ विपद पश्चात सम्पन्न गरिने क्रियाकलाप :

| क्र.स. | प्रमुख कार्यहरु | जिम्मेवार निकाय | समय सिमा |
|--------|--|---|-----------------------------------|
| १ | स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरुको आक्रिमिक बैठक गरी सूचनालाई अध्यावधिक गर्ने । | जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय | २४ घण्टा, तुरुन्तै |
| २ | प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गरी (अन्य क्षेत्र सहित) सूचना संकलन तथा लेखाजोखा गर्ने (स्वास्थ्य तथा पोषण सम्बन्धि) | जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति, जि.स्वा.का. | ३ दिन भित्र |
| ३ | परिस्थितीको प्रतिवेदन तैयार गर्ने । | जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति, जि.स्वा.का. | सूचना संकलन गर्ने वित्तकै |
| ४. | औषधि तथा उपकरण सहित RRT टोलीलाई सम्बन्धित क्षेत्रमा परिचालन गरी आवश्यक मानवीय स्वास्थ्य तथा पोषण सेवा उपलब्ध गराउने । | जि.स्वा.का. र क्लस्टर सदस्यहरु | तत्काल, २४ घण्टा पछि शुरु गर्ने । |
| ५ | गर्भवती जाच तथा परामर्श सेवा, सुत्केरी सेवा, खोप सेवा, स्वास्थ्य शिक्षा, प्रजनन स्वास्थ्य सेवा MISP, स्तनपान सम्बन्धि सेवा, शिशु तथा वालवालिकाको खाना सम्बन्धि परामर्श, शूक्रम पौष्टिक तत्व वितरण सम्बन्धि सेवा, | जि.स्वा.का. र क्लस्टर सदस्यहरु | ५ दिन भित्र |
| ६ | घाईतेहरुको चोटपटकको उपचार | जि.स्वा.का. र क्लस्टर सदस्यहरु | तत्काल |
| ७ | खाद्य समूहसंग सम्बन्ध गरी गर्भवती, सुत्केरी तथा स्तनपान गराउने महिलाहरु तथा ५ वर्ष मुनीका वालवालिकाहरु, बृद्धबृद्धा, HIV संक्रमित को लागि विशेष पोषिलो खानाको व्यवस्था मिलाउने । | जि.स्वा.का. र क्लस्टर सदस्यहरु | २४ घण्टा भित्र |
| ८ | मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्ने, GBV Screening, Treatment र Refer सेवा उपलब्ध गराउने, एम्बुलेन्स | जि.स्वा.का. र क्लस्टर सदस्यहरु | २ दिन भित्र |
| ९ | HIV/AIDS वाट सुरक्षित हुने उपाय वारे परामर्श तथा सामाजी वितरण गर्ने । | जि.स्वा.का. र क्लस्टर सदस्यहरु | २ दिन भित्र |
| १० | दैनिक सूचना संकलन, समिक्षा तथा प्रतिवेदन तयार गर्ने | जि.स्वा.का. र क्लस्टर सदस्यहरु | साप्ताहिक |
| ११ | DDRC संग नियमित सम्बन्ध गर्ने । | जि.स्वा.का. र क्लस्टर सदस्यहरु | नियमित |

विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

४.३ पूर्व तयारी योजना (Preparedness Plan)

| क्र.सं. | प्रमुख कार्यहरु | बजेट | जिम्मेवार निकाय | समय सिमा |
|---------|--|------|---|----------------|
| १ | समन्वय बैठक बस्ने (क्षेत्रगत र अन्तरक्षेत्र गत) | | जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय | प्रत्येक महिना |
| २. | जोखिममा पर्न सक्ने परिवारको लगत लिने। | | जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति, जि.स्वा.का. | जेष्ठ मसान्त |
| ३ | प्रभावित हुन सक्ने क्षेत्रको क्षमता तथा सामाग्रीको विवरण। | | जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति, जि.स्वा.का. | जेष्ठ मसान्त |
| ४ | मानवीय श्रोत व्यवस्थापन तथा क्षमता विकास <ul style="list-style-type: none"> ● RRT पहिचान र गठन ● RRT को अभियुक्तिकरण तथा तालिम ५ दिन ● RH In Emergency (MISP) तालिम ● प्रत्येक RRT को क्षेत्र निर्धारण र जिम्मेवारी वाडफाड | | DHO र Cluser का सदस्यहरु | जेष्ठ मसान्त |
| ५ | सामाग्री तथा औषधिको पहिचान र व्यवस्थापन ARI, STI, ASV | | WASH संग समन्वय गरेर | जेष्ठ मसान्त |
| ६ | अत्यावश्यक औषधिहरु : जीवनजल, नर्मलस्लाईन, मेट्रोनिडाजोल, डक्सीसाईक्लीन, सिप्रो, आखा पाक्ने रोग रोकथाम र उपचारका लागि औषधि, जेन्सोन भाईलिन, कालामाईसन लोशन, पारासिटामोल, अल्वेन्डाजोल, अन्य आकस्मिक सेवामा प्रयोग हुने औषधिहरु। | | DHO र Cluser का सदस्यहरु | जेष्ठ मसान्त |
| ७ | शुक्ष्म पौष्टिक तत्व पाईने औषधिहरु <ul style="list-style-type: none"> ● आईरन चक्की, भिटामिन ए क्याप्सुल र मल्टीभिटामिन चक्की। | | DHO र Cluser का सदस्यहरु | जेष्ठ मसान्त |
| ८ | सामाग्री तथा उपकरणहरु : <ul style="list-style-type: none"> ● अत्यावश्यक उपकरण तथा औजारहरु। | | DHO र Cluser का सदस्यहरु | जेष्ठ मसान्त |

विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

| | | | |
|--------------|--|--------------------------|--------------------|
| ९. | भ्याक्सीन र सोको लागि चाहिने उपकरणहरु | DHO र Cluser का सदस्यहरु | जेष्ठ मसान्त |
| १०. | सुत्केरीसेवाको लागि चाहिने औषधि तथा उपकरणहरु | DHO र Cluser का सदस्यहरु | जेष्ठ मसान्त |
| ११. | स्वास्थ्य शिक्षाको लागि IEC सामाग्रीहरु (भाडा पखाला, मलेरिया, व्यक्तिगत तथा वातावरणीय सरसफाई HIV/AIDS प्रजनन् स्वास्थ्य | DHO र Cluser का सदस्यहरु | जेष्ठ मसान्त |
| १२. | स्तनपान IYCF पोषण शुक्ष्म पौष्टिक तत्व | DHO र Cluser का सदस्यहरु | जेष्ठ मसान्त |
| १३. | RRT को लागि प्राथमिक उपचार कीट व्यवस्थापन | DHO र Cluser का सदस्यहरु | जेष्ठ मसान्त |
| १४. | पोषण सम्बन्धि सामाग्री व्यवस्थापन तथा क्षमता विकास <ul style="list-style-type: none"> ● IFE तथा SFP सम्बन्धि मानवीय स्रोत व्यवस्थापन तथा क्षमता विकास गर्ने । ● SFP को लागि सर्वोत्तम पीठो (UNIMAX) को व्यवस्थापन गर्ने । ● SFP को केन्द्र पहिचान तथा सामाग्री भण्डारण । ● SFP को लागि सामाग्री व्यवस्थापन गर्न खाद्यक्षेत्रसंग समन्वय गर्ने । | DHO र Cluser का सदस्यहरु | जेष्ठ तेस्रो हप्ता |
| १५. | एम्बुलेन्स व्यवस्थापन | DHO र Cluser का सदस्यहरु | आवश्यकता अनुसार |
| १६. | अनुगमन प्रतिवेदन | DHO | नियमित |
| जम्मा | | | |

५. शिक्षा (Education)

क) विपद पछिको परिवेश

- ⌚ विद्यार्थिहरु विस्थापित भई विद्यालय जानवाट बच्चत हुने।
- ⌚ पाठ्य पुस्तक र स्टेशनरी आदिको नष्ट हुने।
- ⌚ विद्यालय भवन नष्ट हुने र शिक्षकहरु समेत विस्थापित हुने।

ख) मुख्य उद्देश्य:

३ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका आकस्मिक रूपमा विपदमा परेका बालबालिकाहरुलाई शैक्षिक व्यवस्थापन गर्ने।

ग) मानवीय सहयोगका मापदण्डहरु:

- ⌚ विपद परेको पहिलो हप्ताभित्र शिक्षा सम्बन्धी सुविधा र शिक्षामा संलग्न व्यक्तिहरूका बारेमा द्रुत लेखाजोखा (Rapid Assessment) सञ्चालन गर्ने।
- ⌚ जिल्ला शिक्षा कार्यालय र स्थानीय क्षेत्रगत सदस्यहरू (Cluster Members) सँगको समन्वयमा तथा प्रभावित समुदायहरूसँगको परामर्शमा प्रभावित/आन्तरिक रूपमा विस्थापित बाल-बालिकाहरूको शिक्षालाई जारी राख्नका निमित्त तिनका निमित्त अस्थायी रूपमा सिक्ने ठाउँ पत्ता लगाउने।
- ⌚ सम्भव भएसम्म यथाशक्य चाँडो अर्थात् सिद्धान्ततः पहिलो दुई हप्ताभित्र, न्यूनतम मापदण्डबमोजिम ६ देखि ८ हप्ताभित्र न्यूनतम पूर्वाधारसहित विद्यालय जाने बालबालिकाहरूका निमित्त अस्थायी रूपमा सिक्ने ठाउँ तथा स-साना बाल-बालिकाहरूका लागि सुरक्षित ठाउँ खडा गर्ने।
- ⌚ विद्यालयहरू पुनः खुला गराएर र शिक्षण-सिकाइका सामग्री उपलब्ध गराएर र अर्ध-संरचनागत (Semi-structured) मनोरञ्जनका सामग्रीको व्यवस्था मिलाएर पढाइ जारी राख्ने र शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूको पुनः एकीकरण प्रारम्भ गर्ने।
- ⌚ विद्यालयबाहिर रहेका बाल-बालिकाहरू अस्थायी रूपमा खडा गरिएका सिक्ने ठाउँमा भर्ना गरिएका छन् अथवा तिनको शिक्षाका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको छ, भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने।

घ) लक्षित जनसंख्या

३ देखि १८ वर्ष उमेरका ७२० बालबालिकाहरु

| क्र.सं. | साभेदारको नाम | शैक्षिक सामग्री | जनशक्ति | कैफियत |
|---------|------------------------|-------------------------------------|--|--------|
| १ | जिल्ला शिक्षा कार्यालय | पाठ्य सामग्रीहरु | शिक्षक तथा स्रोत व्यक्तिहरु, जिशिकाका कर्मचारीहरु, शिक्षक पेशागत संगठनका प्रमुखहरु | |
| २ | युनिसेफ | Education Kits | विषयगत विज्ञ | |
| ३ | सेभ द चिल्ड्रेन | सिकाई सामाग्रीहरु तथा वित्तिय स्रोत | कर्मचारी तथा साभेदार संस्था | |
| ४ | सनसाइन | सिकाई सामाग्रीहरु | कर्मचारी तथा स्वयंसेवकहरु | |
| ५ | इन्ड्रेणी | सिकाई सामाग्रीहरु | कर्मचारी तथा स्वयंसेवकहरु | |
| ६ | अन्य निकाय | सन्देसमूलक शिक्षा | शिक्षा सहजकर्ता, | |

विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

५.१ जिल्ला शिक्षा कार्यालय कपिलवस्तुको स्रोत व्यक्ति र शिक्षक संघ संगठनहरूको विवरण

| क्रसं | स्रोत व्यक्तिको नाम | स्रोत केन्द्र | सम्पर्क नं |
|-------|---------------------|---------------|------------|
| १ | आत्म विकास पौडेल | परसोहिया | ९७४७००८५७१ |
| २ | रमेश पाण्डेय | पकडी | ९८५७०५०५३० |
| ३ | इश्वर प्रसाद गुप्ता | तौलिहवा | ९८४७०४०२०२ |
| ४ | टिकाराम पौडेल | गजेहडा | ९८४७५०१९८६ |
| ५ | कविराज भण्डारी | ओदारी | ९८५७०५००५३ |
| ६ | खेमराज पौडेल | गोरुसिंगे | ९८५७०५०५९६ |
| ७ | अर्जुन लोहार | गणेशपुर | ९८४७०६३२९९ |
| ८ | हरेराम गुप्ता | महाराजगंज | ९८४७१३३३९९ |
| ९ | बनारसीलाल गुप्ता | बहादुरगंज | ९८५७०५५३३५ |
| १० | देवेश प्रताप सिंह | चन्द्रेटा | ९८५७०५५२०० |

| क्र. सं. | शिक्षकका पेशागत संगठन प्रमुख | स्रोत केन्द्र | सम्पर्क नं |
|----------|------------------------------|----------------------------------|------------|
| १ | कनकमान श्रेष्ठ | नेपाल शिक्षक संघ | ९८५७०५०१०१ |
| २ | जगन्नाथ मरासिनी | नेपाल रा. शिक्षक संगठन | ९८४७०३१९६७ |
| ३ | लालचन्द्र पाण्डेय | एकिकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन | ९८४७०५१०३८ |
| ४ | विनोद कुमार गुप्ता | मध्येसी शिक्षक फोरम लोकतान्त्रिक | ९८१७४३५९१४ |
| ५ | देवराज पाण्डेय | मध्येसी शिक्षक फोरम | ९८५७०५०५७६ |
| ६ | किरण कुमार देवकोटा | अखिल नेपाल रा. शिक्षक संगठन | ९८४७२७६०११ |
| ७ | शारदानन्द यादव | त.म.लो. शिक्षक संगठन | ९८४७०५२६५१ |
| ८ | वेदप्रकाश पाण्डेय | नेपाल शिक्षक संगठन | ९८११५१२५९६ |
| ९ | श्याम प्रकाश श्रीवास्तव | नेपाल रा. शिक्षक परिषद | ९८४७०४०४४७ |
| १० | रामनिवास चौहान | नेपाल शिक्षक संगठन | ९८०६९२८२७८ |
| ११ | कमला गिरी | अखिल नेपाल शिक्षक संघ | ९८४७०६१२१२ |

५.२ विपद पश्चात संचालन गरिने गतिविधि :

| क्र. सं. | प्रमुख कार्यहरू | जिम्मेवार निकाय | समय सिमा |
|----------|---|---|------------------------|
| १ | स्रोत र साधनको एकीन गरी कार्य विभाजन गर्न शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ/संस्थाको समन्वय समितिको बैठक | दैवीप्रकोप उद्धार समिति | प्रकोपको ५/७ दिन भित्र |
| २ | पठाईका निरन्तरताका लागि कक्षा संचालन गर्न अस्थायी कक्षा कोठाको निर्माण गर्ने। | UNICEF र स्थानीय संघ/संस्था र व्यक्तिहरू। | प्रकोपको ५/७ दिन भित्र |
| ३ | कक्षा संचालनका लागि स्वयंसेवकलाई तालिम | स्थानीय समुदाय र संस्थाहरू | १० दिन भित्र |

विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

| | | | |
|----|--|---|-------------------------------|
| ४. | शैक्षिक सामाग्रीको व्यवस्था (पाठ्यपुस्तक, कापी, कलम, पेन्सील, झोला) | UNICEF , जि.शि.का. र नजिकका विद्यालय | १० दिन भित्र |
| ५ | वातावरणीय व्यवस्थापनको लागि शौचालय र पानीको व्यवस्था । | UNICEF , स्थानीय क्लब र समुदाय | १० दिन भित्र |
| ६ | कक्षा संचालनको समय समयमा देखिएका समस्या सामाधाननार्थ वेला वेलामा अनुगमन तथा सुपेरीवेक्षण | UNICEF, समन्वय समिति र जि.शि.का. | कक्षा संचालन भएको समयमा । |
| ७ | परिस्थितीको सहजढगले सामना गर्ने गराउनका लागि मनोसामाजिक परामर्श सेवा | सहयोगी संस्थाहरुवाट | साँझ विहान |
| ८ | नियमित अध्ययन कार्यलाई निरन्तरता दिन विद्यालयमा फिर्ता गर्ने । | संघ/संस्था विद्यालय | बालवालिका घरमा फर्के पछि । |

५.३ पूर्व तयारी योजना :

| क्र.सं. | प्रमुख कार्यहरु | जिम्मेवार निकाय | समय सिमा |
|---------|---|--|--------------------|
| १ | आपतकालिन शिक्षा समन्वय समितिको बैठक | जि.शि.का. | जेष्ठ १० भित्र |
| २ | विपद संभावित क्षेत्रका विद्यार्थीहरुको Flash वाट तथ्यांक संकलन र विश्लेषण | जि.शि.का. र सोत केन्द्र | जेष्ठ १५ भित्र |
| ३ | संभावित क्षेत्रमा सचेतना अभिमुखिकरण कार्यक्रम संचालन | समन्वय समितिको बैठकले तोकेको संस्था | जेष्ठ २० भित्र |
| ४. | अस्थार्थी कक्षा कोठाको लागि त्रिपाल ३०, चकटी ७२०, कालोपाटी ३०, पाठ्य पुस्तक ७२० सेट, झोला ७२०, पोशाक ७२० सेट, कापी कलम ७२० सेट, ७२० कीटबक्स आदि | UNICEF/DEO | जेष्ठ मसान्त भित्र |
| ५ | स्वयंसेवक शिक्षकको छनौट र तालिम ४० जना । | जि.शि.का., गै.स.स. | जेष्ठ मसान्त भित्र |
| ६ | अनौपचारिक कक्षामा पूर्व स.का.को सूची तयार गरी कक्षा संचालन गर्ने । | जि.शि.का., गाविस, स्थानीय राजनैतिक दल | जेष्ठ मसान्त भित्र |
| ७ | सुरक्षित स्थानको छनौट | स्थानीय गैर सरकारी संस्था | जेष्ठ मसान्त भित्र |
| ८ | रोष्टर समूह गठन (तालिम, अनुगमन र व्यवस्थापनका लागि) | जि.शि.का., सहयोगी स्थानीय संस्थाहरु र UNICEF | जेष्ठ मसान्त भित्र |

विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

| | | | |
|----|--|--|--------------------|
| ९. | हैण्डपाइप जडान ५० वटा, पुरुष अस्थायी शौचालय ४०, महिला अस्थायी शौचालय ६०, का लागि नल, त्रिपाल । | WASH संग समन्वय UNICEF र सहयोगी संस्थाहरु | जेष्ठ मसान्त भित्र |
| १० | दिवा खाजाको प्रवन्ध मिलाउने । | जि.शि.का. र प्रभावित विद्यालयहरु | जेष्ठ मसान्त भित्र |

५.४ कार्यक्रम बजेट :

| क्र.स. | प्रमुख कार्यहरु | ईकाई | परिमाण | दर | बजेट |
|--------------|--|--------|--------|-------|----------------|
| १ | जिल्ला शिक्षा समन्वय समितिको बैठक | पटक | ५ | १००० | ५००० |
| २ | विपद संभावित क्षेत्रका विद्यार्थीहरुको २०७२ Flash वाट तथांक संकलन र विश्लेषण । | गाविस | १३ | १००० | १३००० |
| ३ | संभावित क्षेत्रमा सचेतना अभियानिकरण कार्यक्रम संचालन | गाविस | १३ | ५००० | ६५००० |
| ४. | अस्थायी कक्षा कोठाको लागि शैक्षिक सामाग्री | | | | |
| ४.१ | त्रिपाल | वटा | ३० | २००० | ६०००० |
| ४.२ | चकटी | वटा | ७२० | ५० | ३६००० |
| ४.३ | कालो पाटी | वटा | २० | १००० | २०००० |
| ४.४ | पठ्यापुस्तक सेट | सेट | ७२० | १००० | ७२०००० |
| ४.५ | झोला | वटा | ७२० | ३०० | २१६००० |
| ४.६ | पोशाक | सेट | ७२० | ५०० | ३६०००० |
| ४.७ | कापी, कलम | सेट | ७२० | १५० | १०८००० |
| ४.८ | किट बक्स | सेट | ७२० | ५०० | ३६०००० |
| ५ | स्वयं सेवक शिक्षकको छनौट र तालिम ३० जना । | जना | ३० | १००० | ३०००० |
| ६ | स्वयं सेवक शिक्षकको सुविधा | जना | ३० | १५०० | ४५००० |
| ७ | पठन पाठन संचालनको लागि सुरक्षित स्थानको छनौट | स्थान | ३० | ० | ० |
| ८ | रोप्टर समूह गठन (तालिम, अनुगमन र व्यवस्थापनका लागि) | जना | ३ | ५००० | १५००० |
| ९. | हैण्डपाइप जडान ५० वटा | संख्या | ५० | ० | ० |
| १० | पुरुष अस्थायी शौचालय ४०, महिला अस्थायी शौचालय ६०, का लागि नल, त्रिपाल | संख्या | १०० | ० | ० |
| ११. | दिवा खाजाको प्रवन्ध मिलाउने (३ महिनाको लागि) | जना | ७२० | ६०० | ४३२००० |
| १२. | मनोसामाजिक विर्मार्श व्यवस्था | जना | २ | १५००० | ३०००० |
| १३ | अनुगमन, मूल्यांकन, समिक्षा र प्रतिवेदन | पटक | ३ | ७००० | २१००० |
| जम्मा | | | | | २५३६००० |

६. संरक्षण (Protection)

क) विपद पछिको अनुमानित परिवृद्ध्य

६.१ बालबालिका

आमा बाबुवाट छुट्टिएका, बाबुआमा/अभिभावक गुमाएका, हराएका बालबालिका, श्रम शोषण, यौन शोषण, वेचविखनको उच्च जोखिममा पर्न सक्ने, मनोसामाजिक असर (Trauma), किशोरीहरूलाई हैरानी (Harassment) तथा यौनजन्य हिंसा, राहत कार्यमा भेदभाव भएका, अपांगत भएका व्यक्ति, दलित/गरीब बालबालिकाहरु विशेष जोखिममा रहेका हुन्छन्।

६.२ महिला

लैगिकताका आधारमा हुने हिंसा (GBV), आश्रय स्थल/बसोवासवाट बन्चित, महिनावारी तथा गर्भवती, प्रसुती अवस्थाका महिलाहरु, मनोविच्छिप्त (Depression), मनोसामाजिक असर, सामाजिक सुरक्षा जालो भत्कीनु, वेचविखनको जोखिम, HIV/AIDS को जोखिम, बलात्कार, गोपनीयता (Privacy), छुवाछुतको आधारमा गरिने भेदभाव, आवश्यकता तथा आवाजहरुको सुनुवाई नहुने भएर जोखिममा हुन्छन्।

६.३ अपांग, बृद्धबृद्धा तथा एकल महिला :

विशेष आवश्यकताहरु भएका (बैशाखी, Wheelchair, सहारा, विशेष खाना तथा स्याहार) फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरु, बृद्धबृद्धा तथा एकल महिलाहरु जोखिममा रहन्छन्।

ख) उद्देश्य

बालबालिका महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक लगायत सम्पूर्ण जोखिममा परेका समूहले आपतकालीन परिस्थितिको कारणबाट उत्पन्न हिंसा, मानसिक तनाव, शोषण, दुर्व्यवहार, भेदभावरहित तथा पोषणयुक्त खानाको साथै उपयुक्त र सहज वातावरणमा रहन पाउने वातावरणको सिर्जना गर्ने।

ग) मानवीय सहयोगका मापदण्डहरु

- ⌚ प्रभावित जनसमुदायको अधिकारको कुनै पनि उल्लङ्घन, दुर्व्यवहार तथा शोषण अथवा भेदभावको अनुगमन गर्ने र प्रतिवेदन पेश गर्ने संयन्त्रको स्थापना गर्ने अथवा स्थापित संयन्त्रलाई प्रयोगमा ल्याउने।
- ⌚ विभिन्न समुदायका सदस्यहरूबाट, विशेषतः अति गरिब तथा पछाडी पारिएका समुहबाट मानविय सहयोग तथा आधारभूत सेवा सुविधामा समान पहुँच प्रतिकार्य पाए नपाएको अनुगमन गर्ने।
- ⌚ साझेदारहरूका बीचमा अभिलेख राख्ने तथा दर्ता गर्ने प्रणालीमा एकरूपता सुनिश्चित गर्ने।
- ⌚ बाल(मैत्री ठाउँलगायत बाल-बालिका तथा महिलाहरूका लागि सुरक्षित वातावरणको सिर्जना गर्ने।
- ⌚ शिक्षा तथा संरक्षणसम्बन्धी प्रतिकार्य कार्यक्रममा मनो-सामाजिक सहयोगलाई एकीकरण गर्ने।
- ⌚ हेरचाह गर्ने व्यक्तिहरूबाट बाल-बालिकाहरु विद्योडिने कार्यको रोकथाममा सहयोग गर्ने।
- ⌚ विद्योडिएका तथा परिवार साथ नभएका बाल-बालिकाहरु, खास गरी पाँच वर्षको उमेरभन्दा मुनिका बाल-बालिका तथा किशोरीहरूको पहिचान, दर्ता तथा स्वास्थ्य जाँचको सहजीकरण गर्ने र खोजी तथा पुनर्मिलनमा संलग्न साझेदारहरूलाई सहयोग उपलब्ध गराउने।
- ⌚ परिवारबाट विद्योडिएका तथा साथ नभएका बाल-बालिकाहरु र अन्य जोखिममा परेका समूह जस्तैः परिवार नभएका, बृद्ध, अपांग तथा दिघ रोगबाट पिडीत समुहका मानिसहरूलाई हेरचाह तथा संरक्षण प्रदान गर्ने (वास तथा अन्य सेवाको व्यवस्था)।
- ⌚ मानविय सहयोग तथा स्थायी समाधानका बारेमा आन्तरिक रूपमा विस्थापित मानिसहरूलाई नियमित रूपमा सूचनाको प्रवाह भइरहेको छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने।

विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

५) फिर्ता हुने कार्यक्रम तथा स्थायी समाधानको तर्जुमा गर्ने कार्यमा आन्तरिक रूपमा विस्थापित व्यक्तिहरूलाई संलग्न बनाउन प्रयास गर्ने।

घ) लक्षित समूह

महिला (सुत्केरी, गर्भवती), वालबालिका, किसोर किसोरी, अपांग, बृद्धबृद्धा, घाइते, तनावमा रहेका, यौन तथा लैंगिक हिंसामा परेका।

६.४ विद्यमान श्रोत तथा क्षमता

| क्र.सं. | स्थान वा कार्यालय | स्रोत / सामग्री | जनशक्ति | कैफियत |
|---------|-------------------------------------|--|--|--------------------------|
| १ | महिला विकास कार्यालय | IEC सामग्री : विभिन्न ९ वटा महिला सहकारी संस्थाहरूमा लैंगिक हिंसामा परेका महिलाहरूको न्यायमा पहुच तथा सहयोगको लागि रकम मौज्दात रहेको | मनोसामाजिक परामर्शकर्ता १, बाल संरक्षण निरीक्षक १ महिला तथा बालबालिका कार्यालयका कर्मचारी र सहजकर्ताहरू, GBV District Resource Group | UNFPA को सहयोग |
| २ | जि.प्र.का. | सुरक्षा सामग्री | सुरक्षा जनशक्ति | सुरक्षा, न्याय |
| ३ | जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय | Supplies for GBV screening and treatment | Trained Health Workers on GBV | UNFPA को सहयोग |
| ४ | महिला सेल्टर (Women Shelter) (साथी) | १० बेडको सेल्टर, खाना उपचार सहित | मनोविमर्शकर्ता १ जना संयोजक, गार्ड, वार्डेन | UNFPA को सहयोग |
| ५ | पारालिगल कमिटी, निगरानी समूह | ४ नपा र ३५ गाविसहरू | जिल्ला स्रोत समूह कानूनी, सुरक्षा तथा स्वास्थ्य | UNICEF को सहयोग |
| ६ | एडभोकेसी फोरम | मानवीय | मनोविमर्शदाता तथा मानवअधिकारकर्मीहरू | मनोविमर्श तथा मानवअधिकार |
| ७ | माहुरी होम | मानवीय | मनोविमर्शदाता तथा मानवअधिकारकर्मीहरू | मनोविमर्श तथा मानवअधिकार |
| ८ | इन्सेक | मानवीय | मानवअधिकारकर्मीहरू | मनोविमर्श तथा मानवअधिकार |
| ९ | इन्ड्रेणी | मानवीय | मनोविमर्शदाता तथा मानवअधिकारकर्मीहरू | मनोविमर्श तथा मानवअधिकार |
| १० | सिद्धार्थ | मानवीय | मनोविमर्शदाता तथा मानवअधिकारकर्मीहरू | मनोविमर्श तथा मानवअधिकार |

६.५ विपद पश्चात सम्पन्न गरिने गतिविधिहरू

| क्र.सं. | प्रमुख कार्यहरू | जिम्मेवार निकाय | समय सिमा |
|---------|--|---|---------------------------------|
| १ | संरक्षण क्लष्टरको आकस्मिक बैठक | महिला तथा बालबालिका कार्यालय | घटनाको ख्वर पाएको २ घण्टा भित्र |
| २ | सम्बन्धित क्षेत्र अवलोकन तथा प्रभावितको तथांक संकलन (संरक्षणको हिसावले लिने तथांक फारम MIRA अनुसार) | म वि अ, बाल संरक्षण निरिक्षक, मविवि | बैठक पछि ५ घण्टा भित्र |
| ३ | Rapid Assesment वाट पत्ता लागेका संरक्षण सम्बन्ध सवालहरूको पहिचान/विश्लेषण तथा आवश्यक तयारी | ” ” ” | ३ दिन भित्र |
| ४. | आवश्यक जनशक्ति, स्रोत सामाग्रीहरूको आंकलन तथा तत्काल गरीनु पर्ने सम्बोधनको लागि बैठक | ” ” ” | ५ दिन भित्र |
| ५ | निगरानीसँह | ” ” ” | नियमित |
| ६ | मनोसामाजिक परामर्शकर्ताको परिचालन तथा मनोसामाजिक विमर्श सेवा प्रदान। | ” ” ” | नियमित |
| ७ | विछोडिएका वालबालिकाको पूर्नमिलन र संरक्षण तथा सुरक्षित वासस्थानको व्यवस्था मिलाउने। | ” ” ” | नियमित |
| ८ | महिला/किशोरी/प्रशुती/गर्भवतीहरूको विशेष स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था तथा संप्रेषण (Refer) | ” ” ” | नियमित |
| ९ | विस्थापित अवस्थामा हुने जोखिम प्रति जनचेतना जगाउने IEC सामग्री वितरण तथा प्रचार | ” ” ” | नियमित |
| १० | Emergency Contraception तथा Rape Treatment Kit Supply | म.तथा बा.का./स्वास्थ्य कार्यालय/UNFPA | आवश्यकता अनुसार |
| ११ | Female Dignity/Hygiene kits (लुंगी, कार्ड्यो, नेल कटर, ब्रा, पेन्टी, सानीटरी प्याड | म.तथा बा.का./ UNFPA/मविवि/बासंनि | समय/समयमा |
| १२ | GBV Screening, Treatment, Legal and Security referrel | GBV District Resource Group, Service center and District Hospital and Bar Association | नियमित |

विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

| | | | |
|----|--|--|--------|
| १३ | अपागं, बृद्धबृद्धा तथा एकल महिलाहरुको सेवा/संरक्षणको लागि तालिम तथा पैरवी, समन्वय गर्ने । | महिला तथा बालबालिका कार्यालय | नियमित |
| १४ | महिला तथा पुरुषको अलग चर्पी तथा नुहाउने व्यवस्था | महिला तथा बालबालिका कार्यालय /जिविस/खापाससडिका | नियमित |
| १५ | किशोर/किशोरी समूह निर्माण गरी यौन तथा हिंसा आदि वारे शिक्षा | महिला तथा बालबालिका कार्यालय | नियमित |
| १६ | अन्य कलष्टरहरुसंग समन्वय गरी बालबालिका, महिला, अपागं, बृद्धबृद्धा तथा एकल महिला एवं दलित समुदायमा विशेष सेवा सुविधाको लागि थ पहल तथा पैरवी गर्ने । | महिला तथा बालबालिका कार्यालय | नियमित |
| १७ | नियमित समिक्षा, पुनर्यो षअजना, कार्यान्वयन तथा प्रतिवेदन गर्ने । | महिला तथा बालबालिका कार्यालय | नियमित |

६.६ संरक्षण पूर्व तयारी योजना

| क्र.स. | प्रमुख कार्यहरु | जिम्मेवार निकाय | समय सिमा |
|--------|--|---|--------------------|
| १ | संरक्षण क्षेत्र सदस्यहरुको समन्वय बैठक | म वि अ / म वि नि | बैशाख १० भित्र |
| २ | तथ्यांक संकलकको भुमिका सम्बन्धि तालिम प्रदान | म वि अ / म वि नि/बा सं नि (म तथा बा का) | बैशाख २० भित्र |
| ३ | सरोकारबालाको पहिचान गरी सुचीकृत गर्ने र दक्ष बनाउनका लागि तालिम प्रदान गर्ने | म वि अ / म वि नि/बा सं नि (म तथा बा का) | बैशाख २० भित्र |
| ४. | संरक्षण क्लष्टरका सदस्यहरुलाई अधिकारमा आधारित GBV, CRC, Interagency Response तालिम प्रदान गर्ने | म वि अ/ जिविस /जि प्रशासन कार्यालय | बैशाख २० भित्र |
| ५ | संरक्षणमा आधारित गाविस स्थित संयन्त्रलाई अभिमुखि गर्ने । | म वि अ/ जिविस | बैशाख मसान्त भित्र |
| ६ | अधिकारमा आधारित सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न ईमर्जेन्सी सेल्टर, क्लष्टरसंग पूर्व सुनिश्चीतता गराउने । | म वि अ/ जिविस / गाविस | जेष्ठ १० भित्र |

विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

| | | | |
|----|---|--|--------------------|
| ७ | मनोसामाजिक विमर्शकर्ताको पहिचान गरी सुचीकृत गराउने तथा आवश्यकता अनुसार परिचालनका लागि दक्ष बनाउने । | म तथा बा कार्यालय | जेष्ठ १० भित्र |
| ८ | जिल्ला महिला तथा वाल संरक्षण समितिसंग समन्वय गरी पूर्व तयारी वारे छलफल गर्न र संम्प्रेषण संयन्त्र बनाउने । ● स्वास्थ्य उपचार सेवा ● कानुनी सहायता सेवा ● सुरक्षा सेवा ● आर्थिक सहयोग ● महिला र वाल सुरक्षा ● आवास सेल्टर/वासस्थान | म तथा बा कार्यालय | जेष्ठ २० भित्र |
| ९ | हाईजिन किट खरिद तथा भण्डारण गर्ने प्रयोजनका लागि अभिमुखिकरण गराउने | म तथा बा कार्यालय तथा क्लष्टर सदस्यहरु | जेष्ठ मसान्त भित्र |
| १० | आचारसंहिता तयार गरी सरोकारवालालाई अभिमुखिकरण गर्ने । | म तथा बा कार्यालय तथा क्लष्टर सदस्यहरु | जेष्ठ मसान्त भित्र |
| ११ | फरक क्षमता (अपांगता) भएकाहरुलाई सायरन यन्त्रको व्यवस्था मिलाउने | म तथा बा कार्यालय तथा क्लष्टर सदस्यहरु | जेष्ठ मसान्त भित्र |
| १२ | आपतकालिन अवस्थामा उद्धारका लागि यातायात सेवाको सूचीकरण गर्ने | म तथा बा कार्यालय तथा क्लष्टर सदस्यहरु | जेष्ठ मसान्त भित्र |
| १३ | अनुगमन, मूल्यांकन र समिक्षा बैठक | म तथा बा कार्यालय तथा क्लष्टर सदस्यहरु | आवश्यकता अनुसार |

६.७ बजेट

| क्र.स. | प्रमुख कार्यहरु | ईकाई | परिमाण | दर | बजेट |
|--------|---|-------|--------|-------|-------|
| १ | संरक्षण क्षेत्र सदस्यहरुको समन्वय बैठक | बैठक | ४ | १००० | ४००० |
| २ | संरक्षण क्लष्टरका सदस्यहरुलाई अधिकारमा आधारित GBV, CRC, Emergency Response, MIRA तालिम प्रदान गर्ने | व्याच | १ | १०००० | १०००० |

विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

| | | | | | |
|--------------|--|-------|-----|-------|---------------|
| ३ | संरक्षणमा आधारित गाविस स्थित संयन्त्रलाई अभिमुखिकरण । | गाविस | १३ | ५००० | ६५००० |
| ४ | मनोसामाजिक विमर्शकर्ताको पहिचान गरी सूचीकृत गराउने तथा आवश्यकता अनुसार परिचालन गराउने । | जना | ३ | ६००० | १८००० |
| ५ | आचारसंहिता तयार गरी सरोकारवालालाई अभिमुखिकरण गर्ने । | पटक | १ | १५००० | १५००० |
| ६ | अपांग अशक्तहरूलाई सहयोगी सामाग्री । (ब्लील चेयर, बैसाखी, सिठी, आदि) | पटक | १ | २०००० | २०००० |
| ७ | विस्थापित अवस्थामा हुने जोखिम प्रति जनचेतना जगाउने IEC सामाग्री वितरण तथा प्रचार | पटक | १ | १५००० | १५००० |
| ८ | Emergency Contraception तथा Rape Treatment Kit Supply (UNFPA मार्फत स्वास्थ्य कार्यालय तथा हेपोमा भण्डार भै सकेको) | सेट | ० | ० | ० |
| ९ | Female Dignity Kits (लुंगी, काईयो, नेल कटर, ब्रा, पेन्टी, सेनीटरी प्याड) UNFPA दाढमा भण्डार भएको) | सेट | १८० | ० | ० |
| | Rape Treatment kits UNFPA मा रहेको । आवश्यकतानुसार माग गर्ने | सेट | | ० | ० |
| १० | अनुगमन, मूल्यांकन र समिक्षा बैठक | पटक | ३ | ५००० | १५००० |
| जम्मा | | | | | १६२००० |

७. खानेपानी तथा सरसफाई (WASH)

क) विपद पश्चातका परिदृश्यहरु :

- ⌚ खानेपानी उपलब्ध नभएको अवस्था ।
- ⌚ भएका श्रोतहरु प्रदुषित /विग्रेको अवस्था ।
- ⌚ शौचालयको उपलब्धता नभएको अवस्था ।
- ⌚ भैरहेका शौचालय विग्रेको अवस्था ।
- ⌚ बालवालिका र अन्यमा भाडा पखाला /महामारीको संभावना ।
- ⌚ आधारभुत सरसफाई सुविधाको अभाव (नुहाउने, धुने....)
- ⌚ व्यक्तिगत सरसफाईका सामाग्रीहरुको अभाव (ब्रस, सावुन, गम्भा, स्यानीटरी प्याड....)
- ⌚ सरसफाई सम्बन्धि हेलचेक्याई र लापरवाही
- ⌚ पशुजन्य रोगहरुवाट संक्रमण ।

ख) उद्देश्यः

विपदबाट प्रभावित परिवारहरूलाई ३० दिन सम्म खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धीका सुविधाहरु उपलब्ध गराई पानी तथा सरसफाईजन्य रोगहरु फैलनबाट रोक्ने तथा रोकथाम गर्ने ।

ग) मानवीय सहयोगका मापदण्डहरु

- ⌚ घर तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति नष्ट भई शिविरमा बस्ने व्यक्तिहरूका लागि पानी सङ्कलन गर्नका लागि बाल्टीन र पानी शुद्ध गर्नका लागि ३० दिनसम्म खानेपानी शुद्ध गर्ने चक्की (Tablets) अथवा वाटर गार्ड (Water Guard) उपलब्ध गराउने ।
- ⌚ सुरक्षित पानी प्रति दिन प्रति व्यक्ति ३ लि. र अन्य प्रयोजन १२ लि. ।
- ⌚ पुरुष तथा महिलाहरूका लागि छुट्टाछुट्टै नुहाउने सुविधाका साथै अस्थायी चर्पी (हरेक २० व्यक्तिका लागि एक चर्पी र पहिलो हप्ताभित्र हरेक १० व्यक्तिका लागि एक चर्पीका दरले पर्ने गरी) को निर्माण गर्ने ।
- ⌚ शिविरमा बसोबास गर्ने प्रभावित मानिसहरूलाई जिल्ला स्वास्थ्य तथा खानेपानी कार्यालयका कर्मचारी, साभेदार गैर-सरकारी संस्थाहरु, महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक एवं रेडक्रसका स्वयंसेवकहरूसँग समन्वय गरी स्वास्थ्यसम्बन्धी किट (Kits) वितरण गर्ने र स्वास्थ्य प्रवर्धनसम्बन्धी गतिविधिहरु (पानी शुद्ध पार्ने उचित तरिका र साबुनद्वारा हात धुने) सञ्चालन गर्ने ।

विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

७.१ विद्यमान श्रोत तथा क्षमताको विवरण

७.१.१ युनिसेफ क्षेत्रिय कार्यालय भरतपुर, चितवनमा भण्डारण गरी राखिएको समान :

| क्र.सं. | सामानको विवरण | इकाई | जम्मा | कैफियत |
|---------|---|------|-------|--------|
| १ | १० लिटरको प्लास्टिक बाल्टी ढक्कन तथा मग सहित | | | |
| २ | २० लिटरको प्लास्टिक बाल्टी ढक्कन सहित | | | |
| ३ | स्वास्थ्य तथा सरसफाई किट (टवेल २, कपडा धुने साबुन २, बेबी डायपर ४, काइयो ३, सेनिटरी प्याड २ प्याकेट, महिलाले लगाउने भित्री कपडाहरू २ सेट, रसी १० मिटर, हाइजिन व्याग १, दाँत माख्ने ब्रुस ६, टुथ पेस्ट २, ऐना १, नडकट २) | | | |
| ४ | महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको लागि हाइजिन किट | | | |
| ५ | सानो दाँत माख्ने ब्रुस | | | |
| ६ | लेडिज पेण्टी | | | |
| ७ | लुगा धुने साबुन | | | |
| ८ | मग | | | |
| ९ | जीवन जल | | | |
| १० | २ लिटरको प्लास्टिक मग | | | |
| ११ | कपडाको सेनिटरी नेप्किन | | | |
| १२ | सेनिटरी प्याड | | | |
| १३ | लाइफ व्याय साबुन ७० ग्राम | | | |
| १४ | नेवा साबुन ८० ग्राम | | | |
| १५ | ठूलो साइजको दाँत माख्ने ब्रुस | | | |
| १६ | पेप्सोडेण्ट टुथ पेस्ट ८० ग्राम | | | |
| १७ | पानी शुद्ध गर्ने पाउडर (२४० पुडिया भएको प्याकेट, १ पुडियाबाट १० लिटर पानी शुद्धिकरण गर्न सकिने) | | | |
| १८ | पानी शुद्धिकरण गर्ने एक्वा ट्याबलेट ३३ ग्राम, ५० ट्याब्लेट/प्याकेट, १ ट्याब्लेटबाट ५ लिटर पानी शुद्धिकरण गर्न सकिने । | | | |
| १९ | वाटर गार्ड (water purifier) | | | |

विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

७.१.२ जिविस तथा खानेपानी सरसफाई सबडिभिजन कार्यालय तथा रहेका समानः

| क्र.सं. | सामग्रीको विवरण | इकाई | परिमाण |
|---------|---|------|--------|
| १ | हेण्ड पम्प | सेट | २० |
| २ | सूचना, शिक्षा तथा संचार सामग्रीहरु (IEC Materials) | थान | २००० |
| ३ | पश्चिम नेपाल ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई WASH कार्यक्रम अन्तर्गत रहेका सामग्रीहरु | | |
| ४ | खानेपानी, स्वास्थ्य र सरसफाई संबन्धी मानवस्रोतहरु (WASH Motivators and Engineer, Sub Engineers, WSST) | जना | १० |
| ५ | खानेपानीका टेन्करहरु (Water Tankers) | थान | १ |

७.२ विपद पश्चात संचालन गरीने क्रियाकलापहरु

| क्र.स. | प्रमुख कार्यहरु | जिम्मेवार निकाय | समय सिमा |
|--------|---|---------------------------------------|------------------------|
| १ | समन्वय बैठक | खानेपानी तथा सरसफाई कार्यालय | तुरुन्तै १ घण्टा भित्र |
| २ | पूर्व तयारीको योजनाको समिक्षा | खानेपानी तथा सरसफाई कार्यालय, क्लष्टर | तुरुन्तै १ घण्टा भित्र |
| ३ | साफेदारहरुको क्षमता विश्लेषण (मानवीय, आर्थिक, भौतिक) | खानेपानी तथा सरसफाई कार्यालय, क्लष्टर | तुरुन्तै १ घण्टा भित्र |
| ४. | पिउने पानी तुरुन्त उपलब्ध गराउने (ट्यांकर, पाईप, बाल्टी, जरकीन, मग) | खानेपानी तथा सरसफाई कार्यालय | १२ घण्टा भित्र |
| ५ | तत्कालिन आवश्यकता विश्लेषण (MIRA) | रेडक्स, क्लष्टर पूर्वाधार कार्यालय | ३ देखि ७ दिन |

विपद्प पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

| | | | |
|-----|---|--|------------------|
| ६. | स्वास्थ्य सरसफाई सामाग्री वितरण (KIT,With 14 Items) | खानेपानी तथा सरसफाई कार्यालय, इन्ड्रेनी, डिटिओ, फिनीडा | २ दिन भित्र |
| ७. | सरसफाई स्वयं सेवक परिचालन | खानेपानी तथा सरसफाई कार्यालय, इन्ड्रेनी, डिटिओ, फिनीडा | २ दिन भित्र |
| ८. | सूचना प्रवाह, अनुगमन, साझेदारी | क्लष्टर | १ देखि ३० दिन |
| ९. | पानी सुद्धिकरण सामाग्री (पिउस, वाटर गार्ड, क्लोरिन) वितरण | खानेपानी तथा सरसफाई कार्यालय | १ देखि ७ दिनसम्म |
| १०. | जनचेतनामूलक क्रियाकलाप | खानेपानी तथा सरसफाई कार्यालय, इन्ड्रेनी, डिटिओ, एनजिओ फेडेरेशन आदि | ३० दिन भित्र |
| ११. | प्रारम्भिक उपचारको व्यवस्था | जि.स्वा.का. | शुरु देखि |

७.३ खानेपानी, सरसफाई तथा स्वास्थ्य (WASH) पूर्व तयारी योजना

| क्र.स. | प्रमुख कार्यहरु | जिम्मेवार निकाय | समय सिमा |
|--------|---|---|----------------|
| १ | क्लष्टर बैठक TOR मा छलफल र अनुमोदन र नया साझेदारहरुको पहिचान र आवद्धता | खानेपानी तथा सरसफाई डि. कार्यालय | जेष्ठ १० भित्र |
| २ | साझेदारहरुको क्षमता विश्लेषण (आर्थिक, मानवीय र भौतिक) र मौज्जात विवरण संकलन | खानेपानी तथा सरसफाई डि. कार्यालय र क्लस्टर सदस्यहरु | जेष्ठ १० भित्र |
| ३ | निर्माण सामाग्री (हेण्डपाइप, प्लाष्टिक, डोरी, बोरा लगायतका सामान) विक्रेताको सूची तयार गर्ने | खानेपानी तथा सरसफाई डि. कार्यालय र क्लस्टर सदस्यहरु | जेष्ठ १० भित्र |
| ४. | Hygiene Kit ORS पानी शुद्धिकरण गर्ने सामाग्रीहरु भण्डारण | खानेपानी तथा सरसफाई डि. कार्यालय र क्लस्टर सदस्यहरु | जेष्ठ १५ भित्र |
| ५ | पानी संकलन गर्ने १००० लि.को टंकी, पानी ओसार्ने टंकीको उपलब्धता पहिचान गरी स्टेप्डवाई एग्रीमेन्ट गर्ने । | खानेपानी तथा सरसफाई डि. कार्यालय र क्लस्टर सदस्यहरु | जेष्ठ १५ भित्र |

विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

| क्षमता अभिवृद्धि : | | | |
|--------------------|---|---|---------------------|
| १. | बहु क्षेत्रगत प्रारम्भिक द्रुत लेखाजोखा (MIRA) तालीम | रेडक्स, ईन्ड्रेनी, फिनीडा | जेष्ठ मसान्त भित्र |
| २. | हातधूने, सरसफाई, शौचालयको प्रयोग, पानी शुद्धिकरण, हाईजिन किट प्रयोग सम्बन्धि FCHV लाई अभिमुखिकरण तालिम दिने । | DHO, WSSDO, WASH | जेष्ठ मसान्त भित्र |
| ३. | WASH Technician, स्थानीय स्वय सेवक, आमा समूह, युवा, बालक्लव, स्थानीय राजनैतिक दलहरुलाई अनुशिक्षण दिने । | खानेपानी तथा सरसफाई डि. कार्यालय र क्लस्टर सदस्यहरु | जेष्ठ मसान्त भित्र |
| सम्बोधन : | | | |
| १. | हेण्ड पम्प ५० वटा, हाईजिन किट २००० खाल्डे चर्पीको लागि प्यान, प्लासिटक बोरा आदि । | खानेपानी तथा सरसफाई डि. कार्यालय र क्लस्टर सदस्यहरु | आषाढको पहिलो हप्ता |
| २. | पानी संकलन गर्ने टंकी | खानेपानी तथा सरसफाई डि. कार्यालय र क्लस्टर सदस्यहरु | आषाढको पहिलो हप्ता |
| ३. | बाल्टी तथा मग | खानेपानी तथा सरसफाई डि. कार्यालय र क्लस्टर सदस्यहरु | आषाढको पहिलो हप्ता |
| ४. | पानी शुद्धिकरण गर्ने चक्कीहरु | खानेपानी तथा सरसफाई डि. कार्यालय र क्लस्टर सदस्यहरु | आषाढको पहिलो हप्ता |
| ५. | शौचालय सरसफाई सामग्री | खानेपानी तथा सरसफाई डि. कार्यालय र क्लस्टर सदस्यहरु | आषाढको पहिलो हप्ता |
| ६. | विद्यमान खानेपानीका पम्प मर्मत संभार | खानेपानी तथा सरसफाई डि. कार्यालय र क्लस्टर सदस्यहरु | आषाढको पहिलो हप्ता |
| ७. | ठल निकास व्यवस्थापन | खानेपानी तथा सरसफाई डि. कार्यालय र क्लस्टर सदस्यहरु | आषाढको पहिलो हप्ता |
| ८ | स्वयंसेवक परिचालन | खानेपानी तथा सरसफाई डि. कार्यालय र क्लस्टर सदस्यहरु | आषाढको दोस्रो हप्ता |
| ९ | संचार माध्यम परिचालन | खानेपानी तथा सरसफाई डि. कार्यालय र क्लस्टर सदस्यहरु | आषाढको दोस्रो हप्ता |
| १० | फोहर व्यवस्थापन | खानेपानी तथा सरसफाई डि. कार्यालय र क्लस्टर सदस्यहरु | आषाढको दोस्रो हप्ता |
| ११ | अनुगमन/मूल्यांकन | खानेपानी तथा सरसफाई डि. कार्यालय र क्लस्टर सदस्यहरु | आषाढको दोस्रो हप्ता |

विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

७.४ कार्यक्रम बजेट

| क्र.स. | प्रमुख कार्यहरु | ईकाई | परिमाण | दर | बजेट |
|--------------|---|-------|--------|-------|---------------|
| १ | क्लष्टर बैठक TOR मा छलफल र अनुमोदन र नया साखेदारहरुको पहिचान र आवद्धता | बैठक | ४ | १००० | ४००० |
| २ | Hygiene Kits, ORS, पानी शुद्धिकरण गर्ने सामग्रीहरु भण्डारण । | महिना | १२ | ३००० | ३६००० |
| ३ | पानी संकलन गर्ने १००० लि.को टंकी | वटा | १० | ७००० | ७०००० |
| ४. | बहु क्षेत्रगत प्रारम्भिक द्रुत लेखाजोखा (MIRA) तालीम | व्याच | १ | १५००० | १५००० |
| ५ | हातधुने, सरसफाई, शौचालयको प्रयोग, पानी शुद्धिकरण, हाईजिन किट प्रयोग सम्बन्धि FCHV लाई अभिमुखिकरण तालिम दिने । | गाविस | १३ | ५००० | ६५००० |
| ६. | WASH Technician, स्थानीय स्वय सेवक, आमा समूह, युवा, वालकलव, स्थानीय राजनैतिक दलहरुलाई अनुशिक्षण दिने । | गाविस | १३ | १०००० | १३०००० |
| ७ | हेण्ड पम्प २० वटा (जिविसमा स्टक) | वटा | २० | | २००००० |
| ८ | हाईजिन किट ५०० | सेट | ५०० | २०० | १००००० |
| ९ | खाल्डे चर्पीको लागि प्यान, प्लासिटक बोरा आदि । | सेट | ५० | १००० | ५०,००० |
| १० | शौचालय सरसफाई सामग्री | सेट | ५० | २५० | १२५०० |
| ११ | विद्यमान खानेपानीका पम्प मर्मत संभार | सेट | ५० | २०० | १०००० |
| १२ | ढल निकास व्यवस्थापन | सेट | १ | १०००० | १०००० |
| १३ | स्वयंसेवक परिचालन | जना | ३० | ५०० | १५००० |
| १४ | संचार माध्यम परिचालन | पटक | १ | १५००० | १५००० |
| १५ | फोहर व्यवस्थापन | जना | २० | ५०० | १०००० |
| १६ | अनुगमन/मूल्यांकन | पटक | १ | १०००० | १०००० |
| जम्मा | | | | | ७५२५०० |

८. कृषि, खाद्य तथा जीविकोपार्जन (Agriculture, Food & Livelihood)

क) विपद पछिको परिदृश्य :

- ⌚ विपदबाट गाउँ जलमग्न भएको मानिसहरु हताहत भइ आफ्नो ज्यान जोगाउन भागाभाग भएको र खालीहात विस्थापित भएको ।
- ⌚ विपद भएको केही समय पछि, नै तत्काल उद्धारकर्मीहरु पुगेको, उद्धार कार्यमा जुटेको प्रभावित परिवारहरुलाई बाहिर ल्याई सुरक्षित ठाउँमा राख्ने काम भइरहेको ।
- ⌚ सुरक्षित ठाउँमा ल्याइएको व्यक्ति परिवारहरु आफूले लगाएको लुगा बाहेक साथमा केहि नदेखिएको र अति भोकाएको, थाकेको, परिवार सबै सदस्य आफैनै शिविरमा नभएकोले चिन्तित देखिएको ।
- ⌚ खेतीयोग्य जिमिनमा भएको वाली नष्ट भई जग्गा डुवान, कटान एवं पुराईमा परेको ।
- ⌚ विपदग्रस्त क्षेत्रमा पाक्ने एवं भित्राउने वेलामा विभिन्न वालीहरु नष्ट भई प्रभावित क्षेत्रका वस्तीहरुमा खाचान्न तरकारी एवं कफलफुलको अभाव भई भोकमरी एंवं कुपोषणको अवस्था सृजना भएको ।
- ⌚ पशु पक्षीको गोठ, खार, टहरा, आदि डुवान कटान एवं पुराईमा पर्न गई पशुपक्षीको क्षती भएको ।

- ख) उद्देश्य
 - ⌚ विपदबाट प्रभावित व्यक्ति, परिवारलाई तत्कालीन खाद्य सामग्रीको व्यवस्था गर्ने ।
 - ⌚ विपदबाट प्रभावित परिवारहरुको जग्गामा डुवान कटान एवं पुरिनवाट बचाउनका लागि आवश्यक छेकवार वाँध, वार, वन्देज बनाउन सहयोग गर्ने ।
 - ⌚ साथै विपदबाट प्रभावित क्षेत्रमा रहेका पशुपक्षीका लागि पराल, घाँसपात, दाना, आहार एवं औषधि भ्याक्सीनको व्यवस्था गर्ने / गराउने ।

ग) मानवीय सहयोगका मापदण्डहरु

- ⌚ प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम २१०० क्यालोरी प्राप्त हुने गरी सामान्य खाचान्न (चामल-प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति ४२० ग्राम, दाल (प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति ६० ग्राम, वनस्पति तेल (प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति ३० मि.लि., नुन (प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति ५ ग्राम)
- ⌚ प्रभावित मानिसहरूका लागि हाल विद्यमान तथा उपलब्ध भएका र पहुँचयोग्य खाद्य पदार्थमा परिपूरक ९ अफउम्भिभलतबचथ० को रूपमा एक अथवा दुई खाद्य पदार्थहरु पूरक रासनको रूपमा उपलब्ध गराउने र
- ⌚ निश्चित समूहका व्यक्तिहरूका (साना केटाकेटी, एचआईभी प्रभावित व्यक्ति, कुपोषित व्यक्तिहरू आदि) आवश्यकतालाई पूरा गर्नका लागि सामान्य रासनका अतिरिक्त परिपूरक रासनको व्यवस्था ।

८.१ विद्यमान श्रोत तथा क्षमताको सूची

| क्र.सं. | साझेदारको नाम | खाद्य तथा जीविकोपार्जन सामग्री | जनशक्ति | सवारी साधन | कैफियत |
|---------|--------------------------------------|--|-----------------------|------------|--------|
| १ | जिल्ला कृषि विकास कार्यालय | बीउ, मल, कृषि औजार | खाद्य तथा कृषि विज्ञ | | |
| २ | जिवका | काठ, दाउरा, सामुदायिक बनमा रहेको स्रोत | जीविकोपार्जन विज्ञहरु | | |
| ३ | जिभूसंका | भूसंरक्षणको लागि तार, जाली | प्राविधिक जनशक्ति | | |
| ४ | जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालय | तार जाली, ढुंगा आदि | प्राविधिक जनशक्ति | | |
| ५ | ने रे सो | भाँडाकुँडा, खाद्य सामाग्रीहरु | स्वयंसेवकहरु | | |
| ६ | उ वा स | आवश्यक खाद्य सामाग्रीहरु | स्वयंसेवकहरु | | |
| ७ | गैसस | आवश्यक खाद्य सामाग्रीहरु | स्वयंसेवकहरु | | |

विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

८.२ विपद पश्चात संचालन गरिने क्रियाकलापहरु :

| क्र.सं. | प्रमुख कार्यहरु | जिम्मेवार निकाय | समय सिमा |
|---------|--|--|-----------------------------|
| १ | टेलिफोन मार्फत सूचना प्रवाह गरी आपतकालिन बैठक बस्ने । | कृषि विकास कार्यालय | सूचना पाएको २ घण्टा भित्र |
| २ | प्रभावित समुदाय र घटना स्थलको अवलोकन गरी क्षतिको तथ्यांक संकलन | कृषि विकास कार्यालय तथा क्लष्टर सदस्यहरु | २४ घण्टा भित्र |
| ३ | भण्डारण गरीएको सामाग्रीको परिमाण र अवस्थाको निरक्षण । | कृषि विकास कार्यालय तथा क्लष्टर सदस्यहरु | २४ घण्टा भित्र |
| ४. | स्वयंसेवक परिचालन गरी तयारी खाद्य सामाग्री वितरण । | कृषि विकास कार्यालय तथा क्लष्टर सदस्यहरु | दोस्रो दिन देखि ५ दिन भित्र |
| ५ | पकाउनु पर्ने सामाग्री वितरण गर्ने । | कृषि विकास कार्यालय तथा क्लष्टर सदस्यहरु | ५ दिन पछि |
| ६ | सामाग्रीको विस्तृत विवरण सहित लगत तयार गर्न क्लष्टरको बैठक बस्ने । | कृषि विकास कार्यालय तथा क्लष्टर सदस्यहरु | पाचौ दिन |
| ७ | भण्डार जाच गरी संम्बन्धित व्यक्ति संस्था/विक्रेतासंग संर्खाता गरी आवश्यक सामाग्रीको व्यवस्थापन । | कृषि विकास कार्यालय तथा क्लष्टर सदस्यहरु | पाचौ दिन |
| ८ | बस्तुभाउको लागि आवश्यक पर्ने दाना तथा धाँसको व्यवस्था | कृषि विकास तथा पशु सेवा कार्यालय | पाचौ दिन |
| ९ | सामाग्रीको व्यवस्थापन, ढुवानी र प्रयोग | कृषि विकास कार्यालय तथा क्लष्टर सदस्यहरु | छैठो दिन देखि |
| १० | प्रभावित समुदायको सहभागितामा नियमित अनुगमन | सदस्य तथा समुदाय र सरोकारवाला | नियमित |

८.३ पूर्व तयारी योजना :

| क्र.सं. | प्रमुख कार्यहरु | जिम्मेवार निकाय | समय सिमा |
|---------|---|--|-------------------------|
| १ | समन्वय बैठक | कृषि विकास कार्यालय तथा क्लष्टर सदस्यहरु | जेष्ठ पहिलो हप्ता भित्र |
| २ | आवश्यक खाद्यान्तको व्यवस्था : सर्वोत्तम पिठो १९५० के.जी. (२६० केटाकेटीको लागि प्रतिदिन २५० ग्राम), धुलो दुध १३५० के.जी (प्रति केटाकेटी १०० र सुत्केरी महिला २०० ग्रामको दरले) | कृषि विकास कार्यालय तथा क्लष्टर सदस्यहरु | जेष्ठ मसान्त भित्र |

विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

| | | | |
|----|--|--|--------------------|
| ३ | च्युरा : ३३२० केजी विस्कुट : ३००० प्याकेट (१०० ग्राम) चाउचाउ : ३००० प्याकेट (७५ ग्राम) नून : २ क्वीन्टल (एक महिनाको लागि) प्याज : ६ क्वीन्टल (एक महिनाको लागि) खुसानी : ६० केजी | कृषि विकास कार्यालय तथा क्लष्टर सदस्यहरु | जेष्ठ मसान्त भित्र |
| ४. | तयारी खाद्यान्नको वजार पहिचान : महाराजगंज, वहादुरगंज, ४ नंम्बर, गोरुसिंघे, चन्दौटा, कण्णानगर, पकडी, बनगाई (सम्पर्क र मौज्दात विवरण राख्ने)। | कृषि विकास कार्यालय तथा क्लष्टर सदस्यहरु | आषाढ दोस्रो हप्ता |
| ५ | पकाएर खाने खाद्य सामग्री (२१०० क्या. प्रति व्यक्ति प्रति दिन) चामल : २०१ क्वीन्टल (४२० ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन २५ दिनको लागि) दाल : २८ क्वीन्टल तेल : १८०० लि. सब्जी : ६० क्वीन्टल (१०० ग्रा. प्रति दिन) दाउरा : ८३ टन मट्टितेल : १६०० लि. | कृषि विकास कार्यालय तथा क्लष्टर सदस्यहरु | आषाढ चौथो हप्ता |
| ६ | तरकारी, फलफूल तथा पशुपालन संबन्धी तालीम संचालन | कृषि विकास तथा पशु सेवा कार्यालय | जेष्ठ मसान्त भित्र |
| ७ | बीउ, विरुवा तथा चल्ला पाठा पाठी तथा आवश्यक औषधि तथा भ्याक्सिन वितरण | कृषि विकास तथा पशु सेवा कार्यालय | जेष्ठ मसान्त भित्र |
| ८ | खेति योग्य जमीन विकास तथा बचावटका लागि बायोइन्जिनियरिंग प्रविधिको उपयोग, बाँध कुलो निर्माण तथा तटबन्ध तथा पहिरो रोकथामका कार्यहरु संचालन | जिवका, जिभूसंका, सिचाई कार्यालय तथा जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालय | जेष्ठ मसान्त भित्र |
| ९ | बृक्षारोपण | जिवका, जिभूसंका तथा जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालय | आषाढ चौथो हप्ता |
| १० | नियमित अनुगमन | कृषि विकास कार्यालय तथा क्लष्टर सदस्यहरु | नियमित |

विपद्ध पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

८.४ खाद्य सामाग्रीको विवरण :

| क्र.सं. | नाम | परिमाण |
|---------|----------------------------|-----------------------------------|
| १ | सर्वोत्तम पिठो | एक जनाको लागि २५० ग्राम प्रतिदिन |
| २ | धुलो दुध | प्रति व्यक्ति प्रति दिन १०० ग्राम |
| ३ | चिउरा भुजा चाउ चाउ विस्कुट | आवश्यकता अनुसार |
| ४ | चामल | आवश्यकता अनुसार |
| ५ | दाल | आवश्यकता अनुसार |
| ६ | तेल | आवश्यकता अनुसार |
| ७ | नुन, खुर्सानी, मसला | आवश्यकता अनुसार |
| ८ | आलु, प्याज, सोयाविन | आवश्यकता अनुसार |

८.५ कार्यक्रम बजेट :

| क्र. स. | नाम | विवरण | इकाई | परिमाण | दर | बजेट |
|--------------|---|--|----------|--------|-------|----------------|
| १ | समन्वय बैठक | क्लस्टर सदस्यहरु | बैठक | ४ | १००० | ४००० |
| २ | तथ्यांक संकलन | क्लस्टर सदस्यहरु | पटक | १ | १५००० | १५००० |
| ३ | सर्वोत्तम पिठो | एक जनाको लागि २५० ग्राम प्रतिदिन | कि.ग्रा. | १९५० | १२५ | २४३७५० |
| ४ | धुलो दुध | प्रति व्यक्ति प्रति दिन १०० ग्राम | कि.ग्रा. | १३५० | २५० | ३३७५०० |
| ५ | विस्कुट | ६०० जना (२ प्याकेट ३ दिन) | प्याकेट | ३००० | १० | ३०००० |
| ६ | चिउरा | १६६० जना (दैनिक २०० ग्राम १० दिन) | किलो | ३३२० | ५० | १६६००० |
| ७ | चाउ चाउ | प्रति २ व्यक्ति १ प्याकेट ४ दिन | प्याकेट | ३००० | १० | ३०००० |
| ८ | चामल | प्रति व्यक्ति ४२० ग्रा. | किलो | २०१०० | ३० | ६०३००० |
| ९ | दाल | ३३० परिवार (दैनिक २०० ग्राम) | किलो | २६०० | १०० | २६०००० |
| १० | तेल | ३३० परिवार (दैनिक २०० ग्राम) | लिटर | १६०० | १५० | २७०००० |
| ११ | नुन, खुर्सानी, मसला | ३३० परिवार (दैनिक रु २५) | रु. | ९९०० | २५ | २४७५०० |
| १२ | तरकारी (आलु, प्याज, सोयाविन, गेडागुडी) | ३३० परिवार (दैनिक रु. ६०) | रु. | ९९०० | ६० | ५९४००० |
| १३ | तरकारी, फलफूल तथा पशुपालन संबन्धी तालीम संचालन | प्रकोप प्रभावित परिवारका ५० जनालाई जीविकोपार्जन प्रवर्द्धनको लागि तालीम प्रदान | पटक | १ | ३०००० | ३०००० |
| १४ | बीउ, विरुवा तथा चल्ला पाठा पाठी तथा आवश्यक औषधि तथा भ्याक्सिन वितरण | जीविकोपार्जनको लागि तालीम प्राप्त व्यक्तिलाई लगानी सहयोग | पटक | ५० | ५००० | २५०००० |
| १५ | खेति योग्य जमीन विकास तथा बचावटका लागि बाँध निर्माण | जोखिमपूर्ण स्थानहरुमा स्पर निर्माण | संख्या | २ | ३०००० | ६०००० |
| १६ | बृक्षारोपण | नदी किनार तथा खाली ठाउँमा बृक्षारोपण | स्थान | ३ | १०००० | ३०००० |
| १७ | नियमित अनुगमन | जिकृविका तथा क्लस्टर सदस्यहरुबाट अनुगमन | पटक | ३ | ५००० | १५००० |
| जम्मा | | | | | | ३२०५७५० |

आगलागी रोकथाम तथा न्यूनिकरणका लागि पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना

भूमिका

कपिलवस्तु जिल्लामा वर्षेनी पर्ने बिनासकारी प्रकोप मध्ये आगलागी पनि एक रहेको छ। प्रत्येक वर्ष यहाँ साना ठूला गरी लगभग ४०/५० वटा आगलागीका घटनाहरु घट्ने र ५०० भन्दा बढी घर गोठ नष्ट हुने गरेका छन्। भर्खर २०७२ को चैत्र र २०७३ को बैशाखमा भएको आगलागीबाट यस जिल्लका कुशबाह, कजरहवा, हर्दीना, गुगौली आदि स्थानहरुमा भएको आगलागीबाट २ जनाको मृत्यु हनुको साथै ४०० घरहरु र धेरै संपत्तिको क्षति भएको छ। यसप्रकार आगलागीबाट धेरै धनजन, बस्तुभाउ तथा मानवीय क्षति हनुको साथै तत्काल मानिस तथा पशुपक्षीहरुको लागि आवास, खाद्य तथा अन्य आवश्यकताहरुको कठिनाई हुने गर्दछ। ग्रामीण इलाकाका अधिकांश घरहरु खर पराल, स्याउला, काठ जस्ता बस्तुहरुबाट बनेका हुँदा यी बस्तुहरुमा सजिलै र तुरन्तै आगो लाग्न सक्छ, र आगलागीका घटनाहरु घट्ने गर्दछन्। प्राय गरेर गर्मीयाममा विशेष गरी फागुन देखि जेठ महिना सम्म आगलागीका घटनाहरु हुने गरेको पाइन्छ। आगो मानव जीवनयापनका लागि अपरिहार्य आवश्यकता हो। आगो बिना संसारको कल्पना पनि निरर्थक छ। आगो नभै नहुने बस्तु हो भने बिनासको कारक तत्व पनि हो। यसको सदुपयोग सहि ढंगबाट भएमा मानव जीवनलाई आरामदायी र सुखमय बन्नमा सहयोग पुग्छ, तर यसको सानो लापरवाही वा दुरुपयोगले ठुलो प्रकोप ल्याउँदछ, र क्षणभर मै घर, गाँउ तहसनहस बनाई दिन्छ। प्राय गरेर जथाभावी आगो बाल्नु, आगो बालेको बेला बेजोडले हुरी बतास चल्नु, चट्याङ्ग पर्नु, स्टोभ वा ग्याँस सिलिन्डर पड्कनु, विजुलीको भोल्टेज अचानक बढनु वा करेन्ट सट्ट हुनु, मैनबत्ती, तेलबत्ती बालेर ननिभाई छोइनु, केटाकेटीले भेट्टाउने ठाँउमा सलाई लाइटर जस्ता बस्तु राख्नु आदि कुराहरुमा सावधानी पुराउन नसक्दा आगलागीका घटनाहरु हुने गर्दछन्।

जुनसुकै कारणबाट आगलागी भएपनि त्यसबाट हुने क्षतिबाट बच्न नआत्तिई र होसियार रहेर आगलागीको खबर तुरन्तै छरछिमेकलाई दिनु पर्छ, आगलागी हुनासाथ तुरन्तै बाहिर निस्कनु पर्छ, सकेसम्म बहुमुल्य सामानहरु लिएर बाहिर निस्कने, दमकल तथा एम्बुलेन्सलाई तत्काल खबर गर्ने, दमकल आउने बाटो खुल्ला गरी दिने, नजिकैको स्वास्थ्यकर्मी वा प्राथमिक उपचार टोलीलाई खबर गर्ने, आगलागीबाट चोटपटक लागेको भए तुरन्त उपचारको व्यवस्था गर्ने, आफ्ना कुनै व्यक्तिहरु घर भित्र रहेको आशंका भएमा तुरन्त उद्धारकर्मीलाई खबर गर्ने, ग्याँसको सिलिण्डरमा आगो लागेमा तत्काल कम्बललाई पानीमा भिजाई छोपी दिने, आगलागी भएको घर वा क्षेत्र भित्र जानु परे तालिम प्राप्त व्यक्ति मात्र जाने जस्ता कुराहरु यथाशिध अवलम्बन गर्नु पर्छ।

आगलागीबाट बच्नको लागि सदैव सावधानी अपनाउने, सर्तक भाएर बस्ने, जथाभावी आगो नबाल्ने, आगो प्रयोग गरिसकेपछि राम्ररी निभाउने, आगोजन्य बस्तु केटाकेटीको पहुँचबाट टाढा राख्ने, विजुलीको वायरिङ्ग व्यवस्थित राख्ने, सकेसम्म घरको छाना खर र छ्वालीले नछाउने, खर तथा फूसले छाएका घरहरुमा टुकी र आगो बाल्दा सचेत रहने, आगो फैलन सक्ने सुख्खा बस्तुहरु सुरक्षित राख्ने, समुदायहरुमा जनचेतनाको विकास गर्ने, ग्याँस, स्टोभ, हिटरको प्रयोग गर्ने विधी जानी राख्ने र उपयुक्त व्यवस्थापन गर्ने गर्नु पर्छ।

तसर्थ आगलागीबाट हुने जनधनको क्षतिलाई संबोधन गर्न र आगलागीका घटना घट्न नदिन पूर्वतयारी गरी सबैलाई सचेत र सजग गराउन आगलागी संबन्धी पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना प्रस्तुत गरिएको छ।

क) आगलागी पछिको अनुमानित परिदृश्य

- ⌚ घर आवास नष्ट भएको, खाद्यान्न, लत्ता कपडा, कागजपत्रहरु जलेर नष्ट भई धन सम्पत्ति नष्ट भएको, मानिसहरुलाई आगोले पोलेको, चोटपटक लागेको अवस्था।
- ⌚ तत्कालको लागि आवास, खाद्यान्न तथा कपडाहरुको अभाव।
- ⌚ पशुपक्षीकोलाई आवास तथा दानाको अभाव।
- ⌚ वातावरणीय समस्या तथा अस्तव्यस्त जनजीवन।

विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

- ६) विषेश प्रकारको स्याहार आवश्यकता पर्ने गर्भवती, सुल्केरी, वाल बच्चाहरु, बृद्ध बृद्धा एवं अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई तत्काल सेवा सुविधाको आवश्यकता ।
- ख) उद्देश्य
 - ६) आगलागीबाट प्रभावित व्यक्तिहरुको लागि सुरक्षित तथा आरामदायी आवास, खाद्यान्त, औषधोपचारको साथै उनिहरुका बस्तुभाउको उचित व्यवस्थापन गर्नु ।
 - ७) आगलागीका घटनाहरु दोहरिन नदिन सचेतना तथा पूर्वतयारी गर्नु ।
- ग) मानवीय सहयोग सम्बन्धी मापदण्ड
 १. औसतमा एक व्यक्तिका लागि ३.५-४.५ वर्ग मिटरको छाना भएको आवास क्षेत्र उपलब्ध हुनु पर्छ, औसतमा ५ सदस्यहरूको एक परिवारका लागि कम्तीमा पनि ४४ ५ मिटरको डोरीसहितको प्लास्टिक सिट र सहायता सामग्री आवश्यक हुन्छ ।
 २. दुई वर्षसम्मका केटाकेटीहरूका लागि कम्तीमा एक सेट कपडा ।
 ३. महिला, केटी, पुरुष तथा केटाहरूको लागि कम्तीमा पनि एकसेट कपडा । यसका अतिरिक्त, महिला तथा केटीहरूका लागि नियमित सरसफाइ सम्बन्धी सामग्रीहरुको आपूर्ति ।
 ४. प्रत्येक परिवारसंग एक सेट भाँडा ।
 ५. प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन न्यनतम २१०० क्यालोरी प्राप्त हुने गरी सामान्य खाद्यान्त (चामल-प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति ४२० ग्राम, दाल-प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति ६० ग्राम, वनस्पति तेल-प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति ३० मि.लि., नुन-प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति ५ ग्राम)
 ६. विरामी तथा घाइतेको लागि उपचारको व्यवस्था ।
- घ) प्रमूख कृयाकलापहरु:
 १. उपलब्ध सार्वजनिक स्थलहरुमा अस्थायी आवाशको व्यवस्था गर्ने ।
 २. आगलागी संभावित गाविसहरुमा पानीका स्रोतहरु कुवा, इनार, पोखरीहरुको मर्मत संभार गर्ने ।
 ३. डोरी, बोरा, कपडा आदि तयारी अवस्थामा राख्ने ।
 ४. कुटो, कोदालो, साबेल आदि सजिलै भेट्ने ठाँउमा राख्ने ।
 ५. दमकलको व्यवस्था गर्ने, सम्पर्क फोन नं. राख्ने ।

आगलागी रोकथाम तथा न्यूनिकरण कार्यमा संलग्न संघ संस्थाहरु

| क्र.सं. | संस्थाको नाम | भूमिका | संपर्क व्यक्ति | संपर्क नम्बर |
|---------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| १ | जि.दै.प्र.उ.समिति | अगुवा संस्था | पर्शुराम पोखरेल | ०७६ ५६०९९५ |
| २ | जिविस | सहयोगी संस्था | राजन पोखरेल | ०७६५६०००५ |
| ३ | नेपाली सेना | सहयोगी संस्था | गुल्मपति | ०७६५६००९६ |
| ४ | नेपाल प्रहरी | सहयोगी संस्था | प्रहरी उपरिक्षक | ०७६५६०४६५ / १०० |
| ५ | नेपाल रेडक्स | सहयोगी संस्था | केशव सिंह | ०७६ ५६००९५ |
| ६ | सशस्त्र प्रहरी | सहयोगी संस्था | स.प्र.उ | ०७६५६१०५९ |
| ७ | पत्रकार महासंघ, | सहयोगी संस्था | बसन्त गिरी | ९८४७०६२४२६ |
| ८ | माहुरी होम | सहयोगी संस्था | रवि ठाकुर | ९८५७०२२०३८ |
| ९ | इन्द्रेणी | सहयोगी संस्था | प्रदीप शाह | ९८५७०२१२३३ |

विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

विद्यमान श्रोत तथा क्षमता

| क्र.सं. | कार्यालय / संस्था | मानवीय श्रोत | मौज्जात उदार सामग्री |
|---------|-------------------------------|----------------|------------------------------------|
| १ | जिल्ला दैवी प्रकोप उदार समिति | १५ | समन्वय, संचार तथा परिचालन |
| २ | जिल्ला प्रहरी कार्यालय | २० जना | गैंची, वेल्चा, डोरी |
| ३ | सशस्त्र प्रहरी कार्यालय | ४० जना | डोरी १०० मिटर, गैंची, वेल्चा, डोरी |
| ४ | नेपाली सेना | ३० जना | गैंची, वेल्चा, डोरी |
| ५ | कपिलवस्तु न.पा. | चालक, कर्मचारी | दमकल |
| ६ | कृष्णनगर नगरपालिका | चालक, कर्मचारी | दमकल |
| ७ | रेडक्रस | ५ जना | गैर खाद्य सामग्री |
| ८ | इन्ड्रेणी | २ जना | गैंची, वेल्चा, डोरी |

विपद पश्चात गरिने प्रतिकार्य योजना (Response Plan)

| क्र.सं. | प्रमुख कार्यहरु | जिम्मेवार निकाय | समय सिमा |
|---------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| १ | समन्वय बैठक | जि.दै.प्र.उ.स. | सूचना पछि तुरन्तै |
| २ | परिस्थितीको लेखाजोखा, कार्यदल गठन, कार्य योजना निर्माण | जि.दै.प्र.उ.स. तथा क्लस्टर सदस्यहरु | सूचना पछि तुरन्तै (३ घण्टा भित्र) |
| ३ | आगलागी प्रभावितहरु पहिचान एकीन भए पछि परिचय पत्र वितरण | जि.दै.प्र.उ.स. | २ दिन भित्र |
| ४. | सुरक्षित स्थलको पहिचान र बसोबास व्यवस्थापन | जि.दै.प्र.उ.स. तथा क्लस्टर सदस्यहरु | २ दिन भित्र |
| ५ | स्थास्थ्य तथा सुरक्षाको व्यवस्था | जि.दै.प्र.उ.स. तथा क्लस्टर सदस्यहरु | पहिलो दिन देखि |
| ६ | खानेपानी सरसफाईको व्यवस्था | जि.दै.प्र.उ.स. तथा क्लस्टर सदस्यहरु | २४ घण्टा भित्र |
| ७ | किट, चटाई, भाडाकुडा, कपडा, चुल्हो दाउरा जस्ता गैह्र खाद्य सामग्रीको व्यवस्था । | जि.दै.प्र.उ.स. तथा क्लस्टर सदस्यहरु | पहिलो दिन देखि |
| ८ | खाद्य सामग्रीको व्यवस्था तथा वितरण | जि.दै.प्र.उ.स. तथा क्लस्टर सदस्यहरु | पहिलो दिन देखि |
| ९ | पुनर्स्थापनाको लागि कार्य | जि.दै.प्र.उ.स. तथा क्लस्टर सदस्यहरु | १ महिना भित्र |
| १० | स्थास्थ्य, सुरक्षा, सरसफाई जस्ता विषयमा विभिन्न निकायसंग समन्वय गरी चेतनामूलक क्रियाकलाप | जि.दै.प्र.उ.स. तथा क्लस्टर सदस्यहरु | पहिलो हप्ता |
| ११ | समिक्षा, मूल्यांकन र प्रतिवेदन दिने | जि.दै.प्र.उ.स. | नियमित/साप्ताहिक |

विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

आगलागी रोकथाम तथा न्यूनिकरणका लागि पूर्व तयारी योजना

| क्र.सं. | प्रमुख कार्यहरु | जिम्मेवार निकाय | समय सिमा |
|---------|--|---|----------------------|
| १ | संभावित जोखिम हुने क्षेत्र पत्तालगाउँ बैठक | जि.दै.प्र.उ.स. | बैशाख १५ भित्र |
| २ | संभावित जोखिम हुने क्षेत्रमा स्थानीय संस्था सरकारी निकाय, समाजसेवी, बुद्धिजीवी राखी पूर्वतयारी सम्बन्ध अन्तरक्रिया गोष्ठी गर्ने । | जि.दै.प्र.उ.स. तथा क्लस्टर सदस्यहरु | बैशाख २५ भित्र |
| ३ | जोखिम क्षेत्रको उद्धारका लागि प्रशिक्षण दिने । | जि.दै.प्र.उ.स. तथा क्लस्टर सदस्यहरु | जेठको पहिलो हप्ता |
| ४ | दमकल व्यवस्थापनको लागि कपिलवस्तु नगरपालिकाको क्षमता तथा कोष अभिवृद्धि गर्ने र अन्य नगरपालिकाहरुसंग दमकल संचालनको लागि योजना बनाउने । | जिविस | फागुनको दोस्रो हप्ता |
| ५ | उद्धार सामग्रीहरुको सूची तयार र खरिद | जि.दै.प्र.उ.स. तथा क्लस्टर सदस्यहरु | जेठ १५ भित्र |
| ६ | उद्धार सामग्री प्राप्ती, खरिद तथा भण्डारण | जि.दै.प्र.उ.स. तथा क्लस्टर सदस्यहरु | जेठ २० भित्र |
| ७ | आवश्यक सामग्रीहरुको विवरण : ● डोरी : १०० मि. ● स्ट्रेचर : २५ वटा ● हेल्मेट : १०० वटा ● कोदालो : ५० वटा ● बेल्चा : ५० ● व्याक्याग फोर्स ● फायर इस्टिंग्यूसर ● अग्नि प्रतिरोधक सुट | ● दमकल ● एम्बुलेन्स, ● सवारी साधन ● ईन्धन ● प्राथमिक उपचार बाक्स : १५ वटा | |

आवश्यक बजेट

| क्र.सं. | आवश्यक सामग्री | ईकाई | परिमाण | दर | बजेट |
|---------|--|--------------|--------|-------|--------|
| १ | समन्वय बैठक | पटक | ४ | १००० | ४००० |
| २ | सुरक्षित स्थलको पहिचान र बसोबास व्यवस्थापन | पटक | १ | ५००० | ५००० |
| ३ | खानेपानी सरसफाईव्यवस्था (१० हे.पाइप र २० शौचालय) | धारा/ शौचालय | ३० | १०००० | ३००००० |
| ४ | चटाई, भाडाकुडा, कपडा, चुल्हो दाउरा | परिवार | ३००० | १०० | ३००००० |
| ५ | खाद्य सामग्री व्यवस्था र वितरण | परिवार | १०० | २५०० | २५०००० |

विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|--------|-----|-------|----------------|
| ६ | स्ट्रेचर | थान | २० | १५०० | ३०००० |
| ७ | बेल्चा, | थान | ५० | १७५ | ८७५० |
| ८ | कोदालो | थान | ५० | २०० | १०००० |
| ९ | बन्धरो | थान | १० | १७५ | १७५० |
| १० | हेलमेट | थान | ५० | ४०० | २०००० |
| ११ | खुकुरी | थान | १० | २०० | २००० |
| १२ | प्राथमिक उपचार बक्स | थान | २५ | ५०० | १२५०० |
| १३ | पुनर्स्थापनाको लागि निर्माण सामग्री | परिवार | १०० | १०००० | १०००००० |
| १४ | सचेतना तालीम | जना | १ | २५००० | २५००० |
| १५ | व्याक्याग फोर्स | थान | १० | ३०००० | ३००००० |
| १६ | फायर इस्टंग्यूसर | थान | १० | २०००० | २००००० |
| १७ | अग्नि प्रतिरोधक सुट | थान | १० | १०००० | १००००० |
| १८ | अनुगमन | पटक | २ | ५००० | १०००० |
| जम्मा | | | | | २५७१००० |

भूकम्पीय जोखिम न्यूनिकरणका लागि पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना

भूमिका

भूगर्भविद्हरुको भनाई अनुसार भारतेली भुखण्ड र तिव्वेती भूखण्डका विशाल पाटाहरु नेपालको पहाडी क्षेत्रमा जोडिएको हुँदा यी दुई भूखण्डहरुको हलचलले नेपालमा भूकम्प जान सक्ने बैज्ञानिकहरुको ठहर रहेको छ। प्रत्येक दिन धेरै संख्यामा ससाना भूकम्पहरु गई रहेको हुन्छ। नेपालको इतिहास हेर्दा यहाँ वर्षेनी साना ठुला भूकम्प गएको उदाहरणहरु छन। वि.स. १९९० सालको भूकम्पबाट ८५१९ व्यक्तिहरुको मृत्यु भएको थियो भने २०४५ सालको भूकम्पबाट ७२१ व्यक्तिहरुले ज्यान गुमाएका थिए। गत वर्ष २०७२ को वैशाख १२ मा गएको त्रासदिपूर्ण भूकम्प र त्यसपश्चात गएका पराकम्पनबाट ८९४० जना मृत्यु हुनुको साथै २२३२९ जना मानिसहरु घाइते भएका छन। यस्ता किसिमका भूकम्पीय घटनाहरु कुन बेला कुन रूपमा जान्छ, यस्को पूर्वानुमान गर्न सकिदैन। यसको पूर्वानुमान र नियन्त्रण प्रणाली नहुँदा मानव जातीले भूकम्पबाट हुने क्षतिलाई दैवको नियतिको रूपमा भोग्दै आईरहेका छन। यो संभावित भूकम्पबाट कसरी बच्ने? यसको सामना कसरी गर्ने? भन्ने विषयमा सोच्नु र छलफल गर्नु आवश्यक छ। यसको सामना पूर्णरूपमा गर्न नसकिएता पनि यसबाट हुनसक्ने संभावित क्षतिलाई भने कम गर्न सकिन्छ। भूकम्प आएको बेला नआतिने र शान्त रहने, ढोकामा उभिने वा टेबुल, डेस्क खाटमुनि छिर्ने, भत्कन सक्ने भयाल, खस्न सक्ने बस्तुको नजिक नबस्ने, यदि भूईतल्लामा भए नआतिकन तुरन्त बाहिर निस्क्ने र सुरक्षित स्थानमा बस्ने, भुकम्पको बेला भयाङ्गबाट नहिँदैने, भयालबाट हाम नफाल्ने, बिजुलीको लाईन, खोलाको किनारा, अग्ला अग्ला रुख तथा भवन नजिक नजाने, सवारी साधन चलाईरहको भए सडकबाट हटेर सुरक्षित स्थान तर्फ लाग्ने र रोक्ने, बच्चा, बृद्ध, गर्भवती र अशक्तहरुलाई प्राथमिकताका साथ मद्दत गर्ने गर्नु पछ्छ।

भूकम्पीय जोखिम न्यूनिकरणको लागि प्रत्येक गाउँ, शहर, तथा धेरै मानिसहरु बस्ने विद्यालय, कलेज, उद्योग आदि स्थानहरुमा विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यको योजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएमा भूकम्पीय विपदबाट हुने जनधनको क्षतिलाई न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ। कपिलवस्तु जिल्लामा विगतमा भूकम्पको कारण ठूला ठूला घर संरचनाहरुको निर्माण भईरहेका छन। धेरै बालबालिका तथा युवाहरु पढ्ने स्कूल तथा कलेजहरु निर्माण भईरहेका छन। यसरी बनिरहेका भवन तथा संरचनाहरु भूकम्पीय जोखिमबाट सुरक्षित हुने गरी तोकिएको मापदण्ड अनुसार नबनाइएका र पहिले बनिसकेका पुराना घर संरचनाहरु गैरइन्जिनियरिंग तरिकाले बिना मापदण्ड बनेका हुँदा कपिलवस्तु जिल्ला पनि भूकम्पीय जोखिममा छ भन्न सकिन्छ। तसर्थ भूकम्पको जोखिमबाट हुने जनधनको क्षतिलाई न्यूनिकरण गर्न र संभावित विपदलाई संबोधन गर्न,

- क) भूकम्प पछिको अनुमानित परिदृश्य
- ↪ घर भवन भत्किएर मानिसहरुको मृत्यु भएको, च्यापिएको, पुरिएको, चोटपटक लागि घाइते भएको, आवास, खाद्यान्त, लत्ता कपडा आदिको अभाव भई मानिसहरु अलपत्र भएको अवस्था।
- ↪ पशुपंक्षी पुरिएको मृत्ये तथा घाइते भएको अवस्था।
- ↪ वातावरणीय समस्या तथा अस्तव्यस्त जनजीवन।
- ↪ विषेश प्रकारको स्याहार आवश्यकता पर्ने गर्भवती, सुत्केरी, वाल बच्चाहरु, बृद्ध बृद्धा एवं अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई तत्काल सेवा सुविधाको आवश्यकता।

ख) उद्देश्य

- ↪ भूकम्पबाटवाट प्रभावित व्यक्तिहरुको लागि सुरक्षित तथा आरामदायी आवास, खाद्यान्त, औषधोपचारको साथै उनिहरुका बस्तुभाउको उचित व्यवस्थापन गर्नु।
- ↪ भूकम्प संबन्धी सचेतना तथा पूर्वतयारी गर्नु।

विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

ग) मानवीय सहयोग सम्बन्धी मापदण्ड :

१. औसतमा एक व्यक्तिका लागि ३.५-४.५ वर्ग मिटरको छाना भएको आवास क्षेत्र उपलब्ध हुनु पर्छ, औसतमा ५ सदस्यहरूको एक परिवारका लागि कम्तीमा पनि ४ हे ५ मिटरको डोरीसहितको प्लास्टिक सिट र सहायता सामग्री आवश्यक हुन्छ।
२. दुई वर्षसम्मका केटाकेटीहरूका लागि कम्तीमा एक सेट कपडा ।
३. महिला, केटी, पूरुष तथा केटाहरूको लागि कम्तीमा पनि एकसेट कपडा । यसका अतिरिक्त, महिला तथा केटीहरूका लागि नियमित सरसफाइ सम्बन्धी सामग्रीहरूको आपूर्ति ।
४. प्रत्येक परिवारसंग एक सेट भाँडा ।
५. प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम २१०० क्यालोरी प्राप्त हुने गरी सामान्य खाद्यान्न (चामल-प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति ४२० ग्राम, दाल-प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति ६० ग्राम, वनस्पति तेल-प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति ३० मि.लि., नुन-प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति ५ ग्राम)
६. विरामी तथा घाइतेको लागि उपचारको व्यवस्था ।

घ) प्रमूख कृयाकलापहरू:

१. आपदकालीन आश्रयस्थलको उपयुक्त स्थानहरूको पहिचान तथा व्यवस्था गर्ने ।
२. भूकम्प संभावित स्थानहरूमा सचेतनाका कार्यक्रमहरू संचालन गर्ने ।
३. आपदकालीन अवस्थाको लागि आवश्यक टेन्ट, डोरी, बोरा, कपडा आदि तयारी अवस्थामा राख्ने ।
४. नयाँ भवन तथा संरचना निर्माण गर्दा नेपाल सरकारबाट निर्धारित Building Code तथा अन्य प्रावधानहरू अनिवार्य पुरा गर्न लगाउने र जोखिम अवस्थामा रहेका पुराना संरचनाहरूलाई मर्मतसंभार (Retrofit) गरी सुरक्षित बनाउने ।

भूकम्पीय जोखिम न्यूनिकरण कार्यमा संलग्न संघ संस्थाहरू

| क्र.सं. | संस्थाको नाम | भूमिका | संपर्क व्यक्ति | संपर्क नम्बर |
|---------|--------------------|---------------|-------------------|---------------|
| १ | जि.दै.प्र.उ.समिति | अगुवा संस्था | पर्शुराम पोखरेल | ०७६५६०११५ |
| २ | जिविस | सहयोगी संस्था | राजन पोखरेल | ०७६५६०००५ |
| ३ | नेपाली सेना | सहयोगी संस्था | गुल्मपति | ०७६५६००१६ |
| ४ | नेपाल प्रहरी | सहयोगी संस्था | प्रहरी उपरिक्षक | ०७६५६०४६५/१०० |
| ५ | नेपाल रेडक्रस | सहयोगी संस्था | केशव सिंह | ०७६५६००१५ |
| ६ | सशस्त्र प्रहरी | सहयोगी संस्था | स.प्र.उ | ०७६५६१०५९ |
| ७ | जिल्ला वन कार्यालय | सहयोगी संस्था | कार्यालय प्रमुख | ०७६५६००१४ |
| ८ | पत्रकार महासंघ, | सहयोगी संस्था | बसन्त गिरी | ९८४७०६२४२६ |
| ९ | गैसस महासंघ | सहयोगी संस्था | प्रवीन श्रीवास्तव | ९८५७०५०५०८ |

विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

विद्यमान श्रोत तथा क्षमता

| क्र.सं. | कार्यालय/ संस्था | मानवीय श्रोत | मौज्दात उद्धार सामग्री |
|---------|---------------------------------|----------------|------------------------------------|
| १ | जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति | १५ | समन्वय, संचार तथा परिचालन |
| २ | जिल्ला प्रहरी कार्यालय | २० जना | गैंची, वेल्चा, डोरी |
| ३ | सशस्त्र प्रहरी कार्यालय | ४० जना | डोरी १०० मिटर, गैंची, वेल्चा, डोरी |
| ४ | नेपाली सेना | ३० जना | गैंची, वेल्चा, डोरी |
| ५ | कपिलवस्तु न.पा. | चालक, कर्मचारी | दमकल |
| ६ | रेडक्स | ५ जना | गैर खाद्य सामग्री |

विपद पश्चात गरिने प्रतिकार्य योजना (Response Plan)

| क्र.सं. | प्रमुख कार्यहरु | जिम्मेवार निकाय | समय सिमा |
|---------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| १ | समन्वय बैठक | जि.दै.प्र.उ.स. | सूचना पछि तुरन्तै |
| २ | परिस्थितीको लेखाजोखा, कार्यदल गठन, कार्य योजना निर्माण | जि.दै.प्र.उ.स. तथा क्लस्टर सदस्यहरु | सूचना पछि तुरन्तै (३ घण्टा भित्र) |
| ३ | भूकम्प प्रभावितहरु पहिचान एकीन भए पछि परिचय पत्र वितरण | जि.दै.प्र.उ.स. | २ दिन भित्र |
| ४ | सुरक्षित स्थलको पहिचान र बसोबास व्यवस्थापन | जि.दै.प्र.उ.स. तथा क्लस्टर सदस्यहरु | २ दिन भित्र |
| ५ | स्थास्थ्य तथा सुरक्षाको व्यवस्था | जि.दै.प्र.उ.स. तथा क्लस्टर सदस्यहरु | पहिलो दिन देखि |
| ६ | खानेपानी सरसफाईको व्यवस्था | जि.दै.प्र.उ.स. तथा क्लस्टर सदस्यहरु | २४ घण्टा भित्र |
| ७ | किट, चटाई, भाडाकुडा, कपडा, चुल्हो दाउरा जस्ता गैह खाद्य सामग्रीको व्यवस्था । | जि.दै.प्र.उ.स. तथा क्लस्टर सदस्यहरु | पहिलो दिन देखि |
| ८ | खाद्य सामग्रीको व्यवस्था तथा वितरण | जि.दै.प्र.उ.स. तथा क्लस्टर सदस्यहरु | पहिलो दिन देखि |
| ९ | पुनर्स्थापनाको लागि कार्य | जि.दै.प्र.उ.स. तथा क्लस्टर सदस्यहरु | १ महिना भित्र |
| १० | स्थास्थ्य, सुरक्षा, सरसफाई जस्ता विषयमा विभिन्न निकायसंग समन्वय गरी चेतनामूलक क्रियाकलाप | जि.दै.प्र.उ.स. तथा क्लस्टर सदस्यहरु | पहिलो हप्ता |
| ११ | समिक्षा, मूल्यांकन र प्रतिवेदन दिने | जि.दै.प्र.उ.स. | नियमित/ साप्ताहिक |

विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

भूकम्पीय जोखिम न्यूनिकरणका लागि पूर्व तयारी योजना

| क्र.सं. | प्रमुख कार्यहरु | जिम्मेवार निकाय | समय सिमा |
|---------|--|---|----------------------|
| १ | संभावित जोखिम हुने क्षेत्र पत्तालगाउन बैठक | जि.दै.प्र.उ.स. | बैशाख १५ भित्र |
| २ | संभावित जोखिम हुने क्षेत्रमा स्थानीय संस्था सरकारी निकाय, समाजसेवी, बुद्धिजीवी राखी पूर्वतयारी सम्बन्धि अन्तरक्रिया गोष्ठी गर्ने । | जि.दै.प्र.उ.स. तथा क्लस्टर सदस्यहरु | बैशाख २५ भित्र |
| ३ | नयाँ भवन तथा संरचना निर्माण गर्दा नेपाल सरकारबाट निर्धारित Building Code तथा अन्य प्रावधानहरु अनिवार्य पुरा गर्न लगाउने र जोखिम अवस्थामा रहेका पुराना संरचनाहरुलाई मर्मतसंभार (Retrofit) गरी सुरक्षित बनाउने | जिविस, नपा, गाविसहरु | सधैं, नियमित |
| ४. | घना बस्ती भएका शहरी इलाका, स्कूल, कलेज आदि स्थानहरुमा Drop, Cover and Hold को रिहर्सल गरी सचेतना बढाउने । | नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, गैसस, विद्यालय | फागुनको दोस्रो हप्ता |
| ५ | उद्धार सामाग्रीहरुको सूची तयार र खरिद | जि.दै.प्र.उ.स. तथा क्लस्टर सदस्यहरु | जेठ १५ भित्र |
| ६ | उद्धार सामाग्री प्राप्ती, खरिद तथा भण्डारण | जि.दै.प्र.उ.स. तथा क्लस्टर सदस्यहरु | जेठ २० भित्र |
| ७ | <u>आवश्यक सामाग्रीहरुको विवरण :</u> <ul style="list-style-type: none"> ● डोरी : १०० मि. ● स्ट्रेचर : २५ वटा ● हेल्मेट : १०० वटा ● कोदालो : ५० वटा ● बेल्चा : ५० | <ul style="list-style-type: none"> ● दमकल ● एम्बुलेन्स, ● सवारी साधन ● ईन्धन ● प्राथमिक उपचार बाक्स : १५ वटा | |

विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

आवश्यक बजेट

| क्र.सं. | आवश्यक सामग्री | ईकाई | परिमाण | दर | बजेट |
|--------------|--|-------------|--------|-------|---------------|
| १ | समन्वय बैठक | पटक | ४ | १००० | ४००० |
| २ | सुरक्षित स्थलको पहिचान र बसोबास व्यवस्थापन | पटक | १ | ५००० | ५००० |
| ३ | खानेपानी सरसफाईव्यवस्था (१० हे.पाइप र २० शौचालय) | धारा/शौचालय | ३० | १०००० | ३००००० |
| ४ | चटाई, भाडाकुडा, कपडा, चुल्हो दाउरा | परिवार | ३००० | १०० | ३००००० |
| ५ | खाद्य सामग्री व्यवस्था र वितरण | परिवार | १०० | २५०० | २५०००० |
| ६ | स्ट्रेचर | थान | २० | १५०० | ३०००० |
| ७ | बेल्वा, | थान | ५० | १७५ | ८७५० |
| ८ | कोदालो | थान | ५० | २०० | १०००० |
| ९ | बन्चरो | थान | १० | १७५ | १७५० |
| १० | हेलमेट | थान | ५० | ४०० | २०००० |
| ११ | खुकुरी | थान | १० | २०० | २००० |
| १२ | प्राथमिक उपचार बक्स | थान | २५ | ५०० | १२५०० |
| १३ | सचेतना तालीम | जना | १ | २५००० | २५००० |
| १४ | अनुगमन | पटक | २ | ५००० | १०००० |
| जम्मा | | | | | ९७१००० |

योजना कार्यान्वयन तथा पुनरावलोकन रणनीति

विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनामा उल्लेखित प्राथमिकता प्राप्त पूर्वतयारी कार्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने छ। यसका निम्न सबै निकायहरूले पूर्वनिर्धारित पूर्वतयारी प्राथमिकता प्राप्त कार्य सम्पादनका लागि फोकल पर्सनको रूपमा जिम्मेवार कर्मचारी तोक्नु पर्दछ।

यो एक गतिशील जीवन्त योजना भएकोले यसलाई समय सापेक्ष आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरिने छ। प्रत्येक वर्ष कम्तमा १ पटक यस योजनामा पुनरावलोकन गरिने छ। विषयगत क्षेत्रहरूले आफ्नो क्षेत्रमा नियमित समिक्षा गरी जिल्ला दैवि प्रकोप उद्धार समिति/जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा प्रस्तुत गर्नु पर्ने छ।

विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना पुनरावलोकन गर्ने समयालिका

| योजना पुनरावलोकन गरीने अवधि | जिम्मेवार निकाय | गर्नुपर्ने मुख्य कार्य (वैठक गर्ने बजेट व्यवस्था आदि) | अर्को योजना पुनरावलोकन वा अचावधिक गर्ने वैठकको अनुमानित भित्ति |
|-----------------------------------|--|---|--|
| १ वर्ष | जिल्ला दैवि प्रकोप उद्धार समिति (जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति) | योजना समिक्षाको लागि बैठक गर्ने। आवश्यकतानुसार योजनामा परिमार्जन गर्ने। बजेट तथा सामाग्रीको व्यवस्था गर्ने। | २०७३ चैत्र |

यो विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३ कार्यान्वयनका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णय पश्चात जिल्ला परिषदबाट पारित गरिने छ। तत्काल जिल्ला परिषदबाट पारित हुन नसके पनि यसको कार्यान्वयनमा बाधा पर्ने छैन।

प्रतिवेदन तथा अभिलेखन र सूचना प्रवाह

विपद् तथा आपतकालीन सूचना प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले अन्य साझेदारसंग समेत छलफल गरी निश्चित निकाय वा व्यक्तिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्दछ। यसका लागि जिल्ला विकास समितिको सूचना केन्द्रले आपतकालिन समयमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको प्रत्यक्ष निर्देशनमा रहेर घटना विवरण तयार गर्ने र त्यसलाई स्थानीय तथा केन्द्रीय तहमा प्रवाह गर्ने छ। जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति वा तोकिएको व्यक्तिले तयार गर्ने घटना विवरण (Situation Report) को लागि निश्चित साभा खाका तोकिए अनुसार हुने छ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति वा तोकिएको व्यक्तिले तयार पारेको घटना विवरण प्रतिवेदनलाई आवश्यकतानुसार सरकारी निकायहरू, मानवीय सहायतामा संलग्न निकायहरू, दातृ निकायहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू वीच प्रवाह गर्नुपर्दछ।

अनुसूचीहरू

अनुसूची १. मानवीय क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरू

| सि.नं. | निकाय | विषयगत क्षेत्र | कार्यरत गाविस/क्षेत्र | सम्पर्क व्यक्तिको नाम र पद | सम्पर्क विवरण (फ्याक्स, फोन) |
|--------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|
| १. | जिल्ला प्रशासन कार्यालय | प्रशासन, सुरक्षा | संपूर्ण जिल्ला | प्र.जि.अ. | ०७६५६०९५९ |
| २. | जिविस | विकास | संपूर्ण जिल्ला | स्थानीय विकास अधिकारी | ०७६५६०००५ |
| ३. | नेपाली सेना, | सुरक्षा | संपूर्ण जिल्ला | | ०७६५६००५० |
| ४. | नेपाल प्रहरी | सुरक्षा | संपूर्ण जिल्ला | | ०७६५६०४६५ |
| ५. | सशस्त्र प्रहरी | सुरक्षा | संपूर्ण जिल्ला | स.प्र.उ | ०७६५६१०५९ |
| ६. | जिल्ला प्राविधिक कार्यालय | निर्माण | संपूर्ण जिल्ला | कार्यालय प्रमुख | ०७६५६००८८ |
| ७. | जिल्ला वन कार्यालय | वन तथा वातावरण | संपूर्ण जिल्ला | जिल्ला वन अधिकृत | ०७६५६०६२४ |
| ८. | जिल्ला शिक्षा कार्यालय | शिक्षा | संपूर्ण जिल्ला | जिशिअ | ०७६५६००११ |
| ९. | जिल्ला कृषि विकास कार्यालय | कृषि | संपूर्ण जिल्ला | कार्यालय प्रमुख | ०७६५६००६३ |
| १०. | जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय | स्वास्थ्य | संपूर्ण जिल्ला | कार्यालय प्रमुख | ०७६५६०२०३ |
| ११. | जिल्ला पशु सेवा कार्यालय | पशु विकास | संपूर्ण जिल्ला | कार्यालय प्रमुख | ०७६५६००२१ |
| १२. | महिला तथा वालवालिका कार्यालय | महिला तथा वालवालिका | संपूर्ण जिल्ला | कार्यालय प्रमुख | ०७६५६०२६४ |
| १३. | खा.पा तथा स.डि. कार्यालय | खानेपानी तथा सरसफाई | संपूर्ण जिल्ला | कार्यालय प्रमुख | ०७६५६००७४ |
| १४. | जलउत्पन्न प्रकोप नि. कार्यालय | नदी नियन्त्रण | संपूर्ण जिल्ला | कार्यालय प्रमुख | ०७६५४५१९६ |
| १५. | खानेपानी संस्थान | खानेपानी | संपूर्ण जिल्ला | कार्यालय प्रमुख | ०७६५६०५३५ |
| १६. | कपिलवस्तु न.पा. | नगर विकास | न. पा. | कार्यालय प्रमुख | ०७६५६००१९ |
| १७. | नेपाल रेडक्स तौलिहवा | मानवीय सहयोग | संपूर्ण जिल्ला | केशव सिंह | ०७६५६००१५ |
| १८. | युनिसेफ | महिला तथा वालवालिका | संपूर्ण जिल्ला | प्रकाश के सी | ढडछण्डदण्ड |
| १९. | यूएनएपिए | महिला तथा वालवालिका | संपूर्ण जिल्ला | चित्र महतो | ९८५७०५०३१३ |
| २०. | सेभ द चिल्ड्रेन | वालवालिका | संपूर्ण जिल्ला | इश्वर खत्री | ९८५११५२७८० |
| २१. | पत्रकार महासंघ | सञ्चार | संपूर्ण जिल्ला | मनोज पौडेल | ९८४७०४०३३३ |
| २२. | एनजिओ फेरेशन | सामाजिक विकास | संपूर्ण जिल्ला | प्रवीन श्रीवास्तव | ९७४७००८६९७ |
| २३. | इन्ड्रेणी / DCA | प्रकोप जोखिम न्यूनिकरण | " | प्रदीप शाह | ९८५७०२१२३३ |
| २४. | कालिका | सामाजिक विकास | " | अरुण खड्का | ०७६५६०२८२ |
| २५. | सिद्धार्थ | सामाजिक विकास | " | गुणानीध भुसाल | ०७६५५०९१७ |
| २६. | माहूरी होम | मानवअधिकार | " | रविन्द्र नाथ ठाकुर | ९८५७०२२०३८ |
| २७. | सहजनेपाल | सामाजिक विकास | " | उमेश पौडेल | ०७६५४००३७ |
| २८. | माउण्ट एभरेष्ट | सामाजिक विकास | " | सरोज खनाल | ९७४७०४८८१५ |
| २९. | राइज | सामाजिक विकास | " | रीता सिंह | ०७६५६०९७० |
| ३०. | सनशाइन | संचार तथा वालवालिका | " | शिवलाल यादव | ९८४७०३९२४० |

विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

अनुसूची २. जिल्लामा उपलब्ध एम्बुलेन्स सेवाहरु

| क्र.सं. | नाम | सम्पर्क नं. |
|---------|-----------------------------------|-----------------------|
| १ | जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय तौलिहवा | ०७६५६०७०६, |
| २ | ने.रे.सो. जिल्ला शाखा तौलिहवा | ०७६५६००१५, |
| ३ | मेरी स्टोभ सेन्टर तौलिहवा | ०७६५६१०५८, ९८४७०६१६०३ |
| ४ | गजेहडा भू.पू. सैनिक | ०७६६११६१४, ९७४७०४२००१ |
| ५ | बनगाई संस्थाबाट संचालित | ०७६६१०१०२, ९७४७०१७१३३ |
| ६ | कृष्णनगर नेपाल भारत मैत्री संघ | ९८४७०४२५३४ |
| ७ | सेफर हेल्प केयर सेन्टर पकडी | ९८४७०६२८८२ |
| ८ | हरनामपुर स्वास्थ्य चौकी | ९८५७०५१२२२ |
| ९ | नेत्रज्योति संघ तौलिहवा | ०७६५६०९५३ |
| १० | राजपुर गाविस | |
| ११ | महाराजगंज स्वास्थ्य चौकी | |
| १२ | ने रे सो गजेहडा | ०७६६११६१४, ९८४७०३३०५३ |

अनुसूची ३. दमकल सेवाहरु

| क्र.सं. | नाम | सम्पर्क नं. |
|---------|--|---------------------------|
| १ | कपिलवस्तु नगरपालिका | ०७६५६०७१८, ५६०२०१, ५६००१९ |
| २ | सिद्धार्थनगर नगरपालिका, भैरहवा रूपन्देही | ०७१५२०२१५, ५२०१६५, ५२२६८५ |
| ३ | बुटवल उपमहानगरपालिका, रूपन्देही | ०७१५४०१११ |
| ४ | जिल्ला वन कार्यालय तथा इलाका वन कार्यालयहरु व्याक्प्याग फोर्स (सजिलै बोक्न सकिने आगो निभाउन प्रयोग हुने पानी टंकी) | ०७६५६००१४ |

अनुसूची ४. खाद्य तथा गैरखाद्य सामग्रीको लागि सम्पर्क संस्थाहरु

| क्र.सं. | नाम | सम्पर्क नं. |
|---------|---------------------------------|-------------|
| १ | उद्योग वाणिज्य संघ तौलिहवा | ०७६५६०४३० |
| २ | उद्योग वाणिज्य संघ कृष्णनगर | ०७६५२०४७९ |
| ३ | उद्योग वाणिज्य संघ चन्द्रेटा | ०७६५४०१९६ |
| ४ | उद्योग वाणिज्य संघ ४ नं. जीतपुर | ०७६५५००८० |

अनुसूची ५. हेलिप्याडहरु

| क्र.सं. | संस्थाको नाम | स्थान | सम्पर्क |
|---------|--------------|---------------------------------------|---|
| १ | नेपाली सेना | नाइट ल्यापिङ्डंग हेलिप्याड गोरुसिंगे | प्रमुख सेनानी श्री पदम बहादुर बुढा - ०७६५४५०६२ मेजर - प्रकाश अर्याल - ९८४३१५०६९५ |
| | | हेलिप्याड - गणेशपुर, गुठनिया, तौलिहवा | |

विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

अनुसूची ६. आपदकालीन आश्रयस्थलहरू

| क्र.सं. | ठेगाना | संपर्क |
|---------|-------------------------------|------------|
| १ | जनता उ मा वि पिपरा बाणगंगा | ९८५७०९२०९६ |
| २ | गौतमबुद्ध उमावि गोरुसिंगे | ९८५७०५०७४६ |
| ३ | उमावि शिवपुर | ९८४७०९७०९५ |
| ४ | जानकी उमावि महाराजगंज | ९८६७१५९५५ |
| ५ | बुद्ध पद्म उमावि तौलिहवा | ९८४७०४०५९८ |
| ६ | तीर्थदिवी छत्रपाली उमावि पकडी | ९८४७०२१८०९ |
| ७ | दुधधारी मावि गुगौली | |

अनुसूची ७. समूदाय तथा कार्यालयहरू रहेका उद्धार सामाग्रीहरू


| क्र.सं. | समूदायको नाम | उपलब्ध सामाग्रीहरू | सम्पर्क व्यक्ति |
|---------|----------------------------------|---|----------------------------------|
| १ | सिहोखोर ७, खोरिया | लाइफ ज्याकेट, स्ट्रेचर, बेल्वा, गैटी, रसी, हेल्मेट आदि | शाहबुद्धिन मुसलमान ९८५७०५०५७२ |
| २ | सौराह ९, अकबरपुर | काठको डुंगा १, लाइफ ज्याकेट, स्ट्रेचर, बेल्वा, गैटी, रसी, हेल्मेट आदि | मायाराम हरिजन ९८०५४८०३७३ |
| ३ | कजरहवा ९, सिंग्राह | लाइफ ज्याकेट, रसी, आदि | भगवन्त गिरी ९८११९५६०९९ |
| ४ | धनकौली ९, मोतिनगर | लाइफ ज्याकेट, बेल्वा, गैटी, रसी, हेल्मेट आदि | राम सजिवन केबट ९८४७२८४९४४ |
| ५ | निगिलहवा २ कुस्मा | लाइफ ज्याकेट, बेल्वा, गैटी, रसी, हेल्मेट आदि | गोपाल पन्थी ९८४७१५९२५७ |
| ६ | बाणगंगा १७, भलवाड | लाइफ ज्याकेट, बेल्वा, गैटी, रसी, हेल्मेट आदि | हरि खनाल ९८०६९९७४९४ |
| ७ | प्रहरी कार्यालय महाराजगंग | लाइफ ज्याकेट, द्रयूब, रसी, बेल्वा, गैटी, हेण्डमाइक, प्राथमिक उपचार कीट आदि । | |
| ८ | प्रहरी कार्यालय कोपवा | लाइफ ज्याकेट, द्रयूब, रसी, बेल्वा, गैटी, हेण्डमाइक, प्राथमिक उपचार कीट आदि । | |
| ९ | प्रहरी कार्यालय पिपरा बाणगंगा | लाइफ ज्याकेट, द्रयूब, रसी, बेल्वा, गैटी, हेण्डमाइक, प्राथमिक उपचार कीट आदि । | |
| १० | प्रहरी कार्यालय गोरुसिंगे | लाइफ ज्याकेट, द्रयूब, रसी, बेल्वा, गैटी, हेण्डमाइक, प्राथमिक उपचार कीट आदि । | |
| ११ | प्रहरी कार्यालय हर्दौना | लाइफ ज्याकेट, द्रयूब, रसी, बेल्वा, गैटी, हेण्डमाइक, प्राथमिक उपचार कीट आदि । | |
| १२ | सशस्त्र प्रहरी चन्द्रैटा | लाइफ ज्याकेट, द्रयूब, रसी, बेल्वा, गैटी, हेण्डमाइक, प्राथमिक उपचार कीट आदि । | |
| १३ | विल्ला विपद व्यवस्थापन समिति | रबर बोट, लाइफ ज्याकेट, द्रयूब, रसी, बेल्वा, गैटी, हेण्डमाइक, प्राथमिक उपचार कीट आदि । | |
| १४ | ने रे सो | बेयर हाउस, संचार सेट | |
| १५ | इन्द्रेणी गोरुसिंगे कार्यालय | लाइफ ज्याकेट, द्रयूब, रसी, बेल्वा, गैटी, हेण्डमाइक, प्राथमिक उपचार कीट आदि । | |
| १६ | कालिका तौलिहवा | बाल्टी, बेल्वा, कोदालो, रसी (भूकुटी नपा, चनई) | चिरञ्जीवि आचार्य |

विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

अनुसूची ८. सर्पदंश उपचार केन्द्र

| क्र.सं. | नाम | सम्पर्क नं. |
|---------|--|-------------------------|
| १ | कपिलवस्तु सर्पदंश उपचार केन्द्र, गोरुसिंगे | नवीन भण्डारी ९८५७०५०९७३ |

अनुसूची ९. पूर्व सचेतना सूचना संजाल (Early Warning Communication Network)



Hari Acharya (9815437633), Lok Nath Khanal (9747062730, 9747074027, 9857033880), Hari Bdr Khanal (9806917414), Anil K C (9807519900), Surya Bhusal (9847364004), Pitambar B K (9808410895), Gopal Panthi (9847159257), Yadav Pd. Pokharel (9847423088), Ram Sajivan Kewat (9847284144, 9805402810), Manoj Panthi (9747017274), Maya Ram Harjan (9805480373), Shahbuddin Musalman (9857050572), Bhagawant Giri (9811956019), Gita Poudel (9857055291)

District Administrative Office - 076560115
 District Development Committee - 076560005/560027
 Nepal Police - 076560465 / 100
 Nepal Red Cross Kapilvastu - 076560115
 IRDC Nepal Gorusinghe - 076545013, 9851127843, 9857021233, 9857056387

विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

अनुसूची १०. दैनिक/साप्ताहिक प्रतिवेदन फाराम

१. तयार गर्ने जिल्ला:

अवस्था प्रतिवेदन नं.

दस्तखत

२. प्रतिवेदन तयार गरेको मिति:

३. लाई (प्रजिअ, स्थाविअ, जिदैप्रउस, गृह मन्त्रालय आदि)

४. वाट : (प्रजिअ, स्थाविअ, जिदैप्रउस, नेरेक्रसो)

५. बोधार्थ : (प्रजिअ, स्थाविअ, जिदैप्रउस, गृह मन्त्रालय आदि)

६. प्रतिवेदन अवधि (देखि.....सम्म)

७. प्रतिवेदनले समेट्ने क्षेत्र (जिल्ला, नपा / गा.वि.स.)

८. सामान्य अवस्था (प्रभावित गा.वि.स., लाभान्वित जनसंख्या, क्षति भएको घर आदि)

९. राहत उद्धारको विवरण (सरकारी, गैरसरकारी, रेडक्रस र राष्ट्रसंघीय निकायहरूबाट भएको राहत उद्धार

१०. राहत उद्धारको योजना (सरकारी, रेडक्रस, गैरसरकारी क्षेत्रबाट प्रदान गरीने राहत उद्धारको योजना

११. राहत उद्धारमा हुनसक्ने कमी वा कठिनाइ

१२. समस्या समाधानका उपाय वा अवश्यक सहयोगको अपेक्षा

विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

अनूसुची १। बह-क्षेत्रगत प्रारम्भिक द्रुत लेखाजोखा (MIRA) फाराम
 (Multi-Cluster Initial Rapid Assessment (MIRA)- Nepal)

बह-क्षेत्रगत प्रारम्भिक द्रुत लेखाजोखा फाराम, बहु प्रकोप प्रभावित समुदायका लागि
 (Multi-Cluster Initial Rapid Assessment (MIRA)- Nepal)

(यो लेखाजोखा फाराम जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिसँग निकट समन्वयमा रही प्रयोग गर्नुपर्नेछ । प्रश्न १ देखि ४ सम्म जिल्ला सदरमुकाममा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिसँग तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरूसंग समन्वय गरी भर्नु पर्दछ । यी सूचनाहरू जिल्ला विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजनामा समावेश गरिनेछ । प्रभावित समुदाय वा गाउँ विकास समितिहरू वा जिल्लाहरूको सूचना संकलन र विश्लेषण गर्न यो फाराम प्रयोग गर्न सबै साभेदारहरूलाई अनुरोध गरिन्छ ।)

| १. लेखाजोखा गन समहको विवरण | | १.२ निरीक्षण अवधि | |
|---|---|-------------------|------|
| १.१ सलग्न स्थाहरु/सलग्न टोलीका सदस्यहरु : | | देखि | सम्म |
| १.३ टोली प्रमुखका नाम | १.४ सम्पर्क विवरणहरू: टेलिफोन : ई-मेल : | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---------------|--|---|--|--------------------------------|--|
| २. भौगोलिक विवरण (यी आधारभूत सूचनाहरू जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति/जिल्लाका अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँगका परामर्शमा भर्नुपर्ने । अति प्रभावित वडामा फोकस ग्रुप छलफलको लागि गोलाप्रथाद्वारा गर्ने । एउटा प्रश्नपत्र एउटा वडा वा एक प्रभावित क्षेत्रका लागि प्रयोग गर्ने) | | | | | | | |
| २.१ जिल्लाको नाम: | | | | २.२ लेखाजोखा गरिने गाविस/नपाको नाम: | | | |
| २.३ वडा नं: | | | | २.४ प्रभावित क्षेत्रका नाम: GPS व P-कोड: | | | |
| २.५ वडाको उचाई (समुद्र सतहदेखि): | | | | २.६ वडाको अक्षांश (Latitude) | | २.७ वडाको देशान्तर (Longitude) | |
| २.८ जिल्लाको पमख प्रकोप/विपद (ठीक चिन्ह लगाउने) वडाको | | | | | | | |
| २.८.१ बाढी | | २.८.२ महामारी | | २.८.३ खडगी | | २.८.४ भूकम्प | |
| २.८.५ पहिरो | | २.८.६ आगलागी | | २.८.७ चटयाङ्ग | | २.८.८ अन्य | |
| २.९ जिल्लाको नक्सा प्रयोग गरी विपदवाट प्रभावित गाविस तथा समुदायको अवस्था निम्न आधारमा वर्गीकरण गर्ने | | | | | | | |
| २.९.१. अति प्रभावित गाविस/नपा (ज्यादै ठूला प्रभाव): | | | | | | | |
| २.९.२. बढी प्रभावित गाविस/नपा (बढी प्रभाव): | | | | | | | |
| २.९.३. सामान्य प्रभावित गाविस/नपा (मध्य प्रभाव): | | | | | | | |
| २.९.४. कम प्रभावित गाविस/नपा (कम प्रभाव): | | | | | | | |
| २.९.५. प्रभावित नभएका गाविस/नपा (प्रभाव नपरेको): | | | | | | | |
| २.१० सोही नक्सामा सडक यातायातका पहुँच नभएको प्रभावित गाविस/वडा इगित गर्ने | | | | | | | |
| २.११ सोही नक्सामा आन्तरिक रूपमा विस्थापित परिवारको अस्थायी स्थान इगित गर्ने : | | | | | | | |
| २.१२ सोही नक्सामा यातायातका महत्वपूर्ण पूर्वाधारहरू (बाटो, पुल, विमानस्थल जस्ता भौतिक संरचना) क्षति भएको नभएको इगित गर्ने | | | | | | | |
| २.१३ सोही नक्सामा सभावित सुरक्षा चुनौतीहरू (डकैती, अन्य समूह, आदि) को विषय इगित गर्ने | | | | | | | |
| २.१४ जिल्ला सदरमकाम वा राष्ट्रिय लोकमार्गवाट सबैभन्दा बढी प्रभावित गाविस/वडाको दुरी -पैदल:घण्टा/यातायात:घण्टा) | | | | | | | |

विपद्पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

| ३. जिल्ला तहमा विचार परयाउनुपर्ने तथ्यांकहरु (जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट सूचनाहरु संकलन गर्नुपर्ने) | | | | | | | | |
|--|--------------|----------------------------|--------------------------------|------|--------|--|--|--|
| ३.१ जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य सेवाको अवस्था | | | | | | | | |
| स्वास्थ्य सुविधाको किसिम | भवनहरु | पर्याप्त जनशक्ति (दरवन्दी) | पहुँच | | | | | |
| | जम्मा सडख्या | जम्मा क्षति सडख्या | छ | छैन | छ | | | |
| ३.१.१ स्वास्थ्य चौकी | | | | | | | | |
| ३.१.२ उपस्वास्थ्य चौकी | | | | | | | | |
| ३.१.३ प्राथमिक उपचार केन्द्र | | | | | | | | |
| ३.१.४ अस्पताल | | | | | | | | |
| ३.१.५ गाउँघर किलिनिक | | | | | | | | |
| ४. जनसडख्या विवरण (लेखाजाखाका क्रममा वडा तहबाट सकलित सचना) | | | | | | | | |
| ४.१ वडाको जम्मा जनसडख्या | | | | | | | | |
| ४.२ समान्यतया जम्मा प्रभावित सडख्या | | | | | | | | |
| ४.३ विपदको कारणले बास नभएको जम्मा घरधुरी सडख्या | | | | | | | | |
| ४.४ महिला घरमूली हुने घरधुरी सडख्या | | | | | | | | |
| ४.५ सुक्तेरी/दुध खुवाउदै गरेका महिलाहरुको सडख्या | | | | | | | | |
| ४.६ अति प्रभावित जनसडख्या | महिला | पुरुष | जम्मा | बालक | बालिका | | | |
| ४.६.१ विपदका कारण मृत्यु हुनेहरुको सडख्या | | | | | | | | |
| ४.६.२ विपदका कारण घाइते हुनेहरुको सडख्या | | | | | | | | |
| ४.६.३ विपदका कारण बेपत्ता हुनेहरुको सडख्या | | | | | | | | |
| ४.७ प्रभावित समूह वा संकटापन समूह | महिला | पुरुष | जम्मा | | | | | |
| ४.७.१ ६० वर्ष भन्दा माथिका वृद्धवडा | | | जम्मा | | | | | |
| ४.७.२ ६० वर्ष भन्दा माथिका एकल वृद्धवृद्धा | | | जम्मा | | | | | |
| ४.७.३ १८ वर्ष भन्दा मुनिका किशोर किशोरी | | | जम्मा | | | | | |
| ४.७.४ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु | | | जम्मा | | | | | |
| यदि अन्य थप केही भएमा | | | जम्मा | | | | | |
| नोट: प्रश्न न ५ देखि १५ सम्म क्रमांकितभन्न संग सम्बन्धित सूचना लक्षित समूह छलफल र समुदायका मुख्य सरोकारवाला व्यक्तिहरुका अन्तर्वर्तीबाट भर्न सकिन्छ। | | | | | | | | |
| ५. आवास तथा गैरखाच सामग्रीहरु | | | | | | | | |
| ५.१ वडा तहमा लेखाजोखा गरिएका जम्मा घरधुरी सख्या | | | | | | | | |
| ५.२ घरहरु कन अवस्थामा क्षति भएका छन (घरधुरी सडख्या)? | | | | | | | | |
| ५.२.१ पूर्ण रूपमा क्षति भएका घर जम्मा सडख्या (जहाँ बसोबास योग्य छन) | | | | | | | | |
| ५.२.२ आशिक रूपमा क्षति भएका जम्मा घर सडख्या (तत्काल बसनका लागि सुरक्षित नभएको) | | | | | | | | |
| ५.२.३ सामान्य क्षति भएका जम्मा घर सडख्या (सामान्य मर्मतसंभार आवश्यक पर्ने) | | | | | | | | |
| ५.३ क सामदायिक आश्रयस्थलमा सरसफाई तथा पानीका व्यवस्था उपलब्ध छन? | | | | | | | | |
| ५.३.१. <input type="checkbox"/> छ ५.३.२. <input type="checkbox"/> छैन | | | | | | | | |
| ५.४ यदि छ भने प्रभावित वडा अथवा वडाको विरिपरि कति क्षमताका सामुदायिक भवनमा प्रभावितहरलाई राख्न सक्ने गरी उपलब्ध छन? (आश्रयस्थलको लागि) | | | कति सडख्यामा आश्रय दिन सकिन्छ, | | | | | |
| ५.४.१ सामुदायिक भवन (कति सडख्यामा आश्रय दिन सकिन्छ) | | | | | | | | |
| ५.४.२ अन्य परिवार Host Family (कति सडख्यामा आश्रय दिन सकिन्छ) | | | | | | | | |
| ५.४.३ अन्य (कति सडख्यामा आश्रय दिन सकिन्छ) | | | | | | | | |

विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

| ५.५ प्रभावित समुदायको लागि तत्काल आवश्यक गैरखाच सामग्रीहरु (वडास्तरीय अनुमानित सडख्या) | |
|--|---|
| विवरण | अनुमानित सडख्या |
| ५.५.१ तारपोलिन (त्रिपाल) | |
| ५.५.२ ब्यांकट/कम्बल | |
| ५.५.३ खाना पकाउने भाडाकुँडा | |
| ५.५.४ लुगाफाटा/आछायाउने कुरा | |
| ५.५.५ गैरखाच राहत सामग्री किट | |
| ५.५.६ आपतकालीन आवासको लागि सामग्रीहरुको किट | |
| ५.५.७ अन्य (खुलाउनस) | |
| ५.६ आवश्यक्यलाई लागि आवश्यक स्थानीय श्रोत साधनहरु | |
| ५.६.१ बाँस | <input type="checkbox"/> छ <input type="checkbox"/> छैन |
| ५.६.२ काठ | |
| ५.६.३ फलाम वा डण्डी वा RCC Piller | |
| ५.६.४ अन्य (खुलाउनस) | |
| यदि अन्य थप केही भएमा | |

| ६. घरेलु खाच सुरक्षा | |
|---|--|
| ६.१ कति प्रतिशत घरधुरीले कति प्रतिशत आफ्नो खाचान्न भण्डारण नोकसान भएको छ? (उदाहरण ४० प्रतिशत घरधुरीले १०० प्रतिशत) | |
| खाचान्न भण्डार नोकसान प्रतिशत | छलफल गरिएका घरधरीको प्रतिशत |
| ६.१.१ २० प्रतिशत खाचान्न भण्डार नोकसान | |
| ६.१.२ ५० प्रतिशत खाचान्न भण्डार नोकसान | |
| ६.१.३ ७५ प्रतिशत खाचान्न भण्डार नोकसान | |
| ६.१.४ १०० प्रतिशत खाचान्न भण्डार नोकसान | |
| ६.२ क खाना पकाउनको लागि समदायसंग इन्धन छ? | |
| ६.२.१ छ <input type="checkbox"/> , यदि छ भन कस्तो प्रकारको इन्धन प्रयोग भएका छन? | |
| ६.२.१.१ दाउरा <input type="checkbox"/> | ६.२.२ छैन <input type="checkbox"/> |
| ६.२.१.२ कोइला (Charcoal) <input type="checkbox"/> | |
| ६.२.१.३ मट्टेल <input type="checkbox"/> | |
| ६.२.१.४ र्यास <input type="checkbox"/> | |
| ६.२.१.५ बायो र्यास <input type="checkbox"/> | |
| ६.२.१.६ अन्य <input type="checkbox"/> | |
| ६.३ खाच सुरक्षाको दृष्टिकोणले कुन समूह बढी संकटापन्न अवस्थामा छन? | ६.३.१ बालबालिका <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ६.३.२ जेष्ठ नागरिक घरमूलि भएका घरधरी <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ६.३.३ महिला घरमूली भएका घरधरी <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ६.३.४ अपाङ्गता भएका घरधरी <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ६.३.५ अन्य (खुलाउनस) <input type="checkbox"/> |
| ६.४ क वजारसम्म पुग्न सकिन्छ र वजार खुलेका छन? | |
| ६.४.१ छ <input type="checkbox"/> ६.४.२ छैन <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | |
| यदि छन भने कति टाढाका वजार सचारू छन? /यदि छैन भने कारण उल्लेख गर्नहोस? | |
| ६.५ कति घरपालुवा जनावरहरु क्षति भएका छन? | छलफल गरिएका घरधुरीको प्रतिशत |
| ६.५.१ पशु-गाई <input type="checkbox"/> गोरु <input type="checkbox"/> भैसी <input type="checkbox"/> | |
| ६.५.२ बाखा/भेडा | |

विपद्पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

| | |
|--|--|
| ६.५.३ बंगुर | |
| ६.५.४ पक्षि - हाँस <input type="checkbox"/> कुखुरा <input type="checkbox"/> | |
| ६.५.५ अन्य <input)"="" type="checkbox"/> | |
| ६.६ घरपालुवा जनावरहरुको लागि आश्रयस्थलको व्यवस्था ६.६.१ छ <input type="checkbox"/> ६.६.२ छैन <input type="checkbox"/> | |
| ६.७ महामारी फैलने सम्भावना (घरपालुवा जनावरहरुबाट) कस्तो छ ? ६.७.१ छ <input type="checkbox"/> ६.७.२ छैन <input type="checkbox"/> | |
| यदि अन्य थप केही भएमा | |

| ७. पानी तथा सरसफाई | | |
|--|--|---------|
| ७.१ पानीको आपूर्ति व्यवस्था | | |
| ७.१.१ कति प्रतिशत प्रभावित जनसङ्ख्याले शुद्ध पिउने पानीमा पहुँच छ? पानीको उपलब्धता (दैनिक १५ लिटर / प्रतिव्यक्ति/प्रति दिन) | प्रतिशत | |
| ७.१.२ पिउने पानीको प्राथमिक स्रोत | चालु अवस्थामा | प्रतिशत |
| | छ <input type="checkbox"/> छैन <input type="checkbox"/> | |
| ७.१.२.१ खुल्ला कुवा | | |
| ७.१.२.२ टयुबवेल/हाते पम्प | | |
| ७.१.२.३ भरना | | |
| ७.१.२.४ खोला | | |
| ७.१.२.५ पोखरी | , | |
| ७.१.२.६ पानीटयाडकीवाट वितरण | | |
| ७.१.२.७ पाइप खानेपानी प्रणाली | | |
| ७.१.२.८ अन्य | | |
| ७.१.३ पानीको श्रोतको अवस्था | | |
| ७.१.३.१ चालू <input type="checkbox"/> | ७.१.३.२ विशिएको (मर्मतसम्भार गरेर प्रयोग गर्न सकिने <input type="checkbox"/> | |
| ७.१.३.३ प्रदूषित भएको | ७.१.३.४ पूर्ण क्षति भएको | |
| ७.१.३.५ धमिलो पानी | | |
| ७.१.४ पानीको वैकल्पिक व्यवस्था छ ? | छ <input type="checkbox"/> छैन <input type="checkbox"/> | |
| यदि छ भने | | |
| ७.१.४.१ प्रभावित समुदायदेखि कति दूरीमा छ | | |
| ७.१.४.१.२ स्रोत, ठाउँ र पानी गुणस्तरको सफापन वा धमिलोपनको अवस्था | | |
| ७.१.४.१.३ न्यूनतम शुद्ध पानी वितरणका लागि अन्य आवश्यक पर्ने सुविधाहरु (भौतिक सामग्रीहरू) | | |
| ७.१.४ प्रभावित परिवारसंग खानेपानी भण्डारणका लागि प्रयोग गर्ने घरपरिवारमा विको भएको भाँडा उपलब्ध छ कि छैन ? | | |
| ७.२ सरसफाइसम्बन्धी सुविधा | | |
| ७.२.१ कति प्रतिशत प्रभावित समुदायको सरसफाई सेवामा उपयोगी पहुँच छ (जस्तै शैचालय)?.....% प्रतिशत | | |
| पृष्ठ गर्ने स्रोतहरु: स्थानीय निकाय र संवादाताहरुसंग अन्तर्वार्ता आदि। संभव भएमा समुदायबाट पृष्ठ गर्ने र अवलोकन पनि गर्ने। | | |
| ७.२.१ कति परिवारको लागि सरसफाइका सामग्रीहरू (सावुन, रुमाल वा तैलिया, न्यापिकिन आदि) को आवश्यकता छ ?परिवार सङ्ख्या | | |
| यदि अन्य थप केही भएमा | | |

विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

| ८. संक्षण | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------|--------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|-----------|
| ८.१ विस्थापित समुदायको अनुमानित सडख्या ? | | | | | | | |
| ८.२ विस्थापित समुदायहरु बढि भएको (स्थान) | | | | | | | |
| ८.३ अभिभावकविहिन विस्थापित बालबालिकाको सडख्या ? | | | | बालक: बालिका: | | | |
| ८.४ प्रभावित स्थलमा परिवारको दर्ता प्रक्रिया छ ? ८.४.१ <input type="checkbox"/> छ ८.४.२ <input type="checkbox"/> छैन | | | | ८.४.३ यदि छ भन कसले सहयोग गर्दै छ ? | | | |
| ८.५ हालको अवस्थामा (विपदपश्चात) संकटापन्न समूहको मुख्य सरोकारका विषयहरु के के हुन ? | | | | | | | |
| बढी संकटापन्न समूह | आश्रय स्थलमा सुरक्षा | खाना / पानी | स्वास्थ्य / शिक्षा | शारीरिक सुरक्षा / हिंसा रहित SGBN | मानसिक सहयोग | बालश्रम / बेचविखन | अन्य SGBN |
| ८.५.१ ५ वर्ष मुनिका बालबालिका | | | | | | | |
| ८.५.२ ६ देखि १८ वर्ष उमेर समहका | | | | | | | |
| ८.५.३ किशोर किशोरीहरु (१९ देखि २४ वर्ष) | | | | | | | |
| ८.५.४ बढ्वद्वाहरु (६० वर्ष भन्दा माथिका) | | | | | | | |
| ८.५.५ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु | | | | | | | |
| ८.५.६ गर्भवती/दुध चुसाउदै गरेका महिला | | | | | | | |
| ८.५.७ अन्य संकटापन्न समूह | | | | | | | |
| ८.६ माथिका संक्षणका सबालहरुमा सहयोगी निकायहरुको नाम | | | | | | | |
| यदि अन्य थप केही भएमा | | | | | | | |

| ९. पोषण (यदि सम्भव भए महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवक वा स्थानीय स्वास्थ्य कमचारीलाई सोध्ने) | | | | |
|---|----------------------------|------------------------------|------------|--------|
| ९.१ प्रभावित बडामा रहेका गर्भवती र दुध चुसाउदै गरेका आमाहरुको सडख्या ? (माथिवाट लिन सकिन्दू) | | | | |
| एक वर्षमुनिका बालबालिकालाई कुन खाना खुवाउने गरिएको छ? (धेरैजसो खुवाउने खाना पहिला उल्लेख गर्ने) | | | | |
| ९.२ प्रभावित बडामा तालिम प्राप्त पोषणका परामर्शदाताको सडख्या ? | | | | |
| ९.३ प्रभावित बडामा कुपोषण भएका बालबालिकाहरुको सडख्या ? | | | | |
| ९.४ समुदाय स्तरमा पर्याप्त मात्रामा व्यवस्थापन क्षमता छ ? छ <input type="checkbox"/> छैन <input type="checkbox"/> | | | | |
| ९.५ भर्खर जन्मेका र ५ वर्ष मुनीका बच्चाहरुलाई कस्तो प्रकारको र कठि मात्रामा खाना खुवाउने गरिएको छ ? | | | | |
| उमेर | विपदअघि | | विपदपश्चात | |
| | प्रकार | मात्रा | प्रकार | मात्रा |
| ६ देखि ११ महिना | | | | |
| १२ देखि ५९ महिना | | | | |
| ९.६ समुदायमा हाल आमाको दुध खुवाउन कम भएको अथवा रोकिएको अवस्था छ ? | छ <input type="checkbox"/> | छैन <input type="checkbox"/> | | |
| ९.६.३ यदि छ भने कारण खुलाउनहोसः | | | | |
| ९.७ आमाको दुध नभएको अवस्थामा के कस्ता खाना खुवाउने गरिएको छ ? | | | | |
| ९.७.१ ६ महिनाभन्दा कमका बालबालिकाहरुलाई | | | | |
| ९.७.१ ६ देखि २४ महिनाभन्दा कमका बालबालिकाहरुलाई | | | | |
| यदि अन्य थप केही भएमा | | | | |

विपद्पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

| १०. स्वास्थ्य (स्वास्थ्य कन्दहरु तथा स्थानीय समदायसम्म साझन) | | | | | | | | |
|---|----------------------------|---|-------------------|------|------|------|-----------------|------|
| १०.१ स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रमुख समस्या | | | | | | | | |
| १०.१.१ भाडा पखाला | | | | | | | | |
| १०.१.२ अँखाको संक्रमण | | | | | | | | |
| १०.१.३ बान्ता | | | | | | | | |
| १०.१.४ जल विनियोजन | | | | | | | | |
| १०.१.५ सर्पको टोकाई | | | | | | | | |
| १०.१.६ ज्वरो | | | | | | | | |
| १०.१.७ कफ खोकी र ज्वरा (ARI) | | | | | | | | |
| १०.१.८ छालाको सडक्रमण | | | | | | | | |
| १०.१.९ चोटपटक | | | | | | | | |
| १०.१.१० वच्चा पाउँदा आमा वा वच्चाका मुत्यु | | | | | | | | |
| १०.१.११ मानसिक विरामी | | | | | | | | |
| १०.१.१२ सरुवा रोग (खुलाउनुस) | | | | | | | | |
| १०.१.१३ नसर्ने रोग (खुलाउनुस) | | | | | | | | |
| १०.१.१४ अन्य केहि | | | | | | | | |
| १०.२ औषधी तथा औषधीजन्य सामग्रीको उपलब्धता | | | | | | | | |
| १०.२.१ औषधि पर्याप्त अपर्याप्त | | १०.२.२ इक्ष्युपमेण्ट तथा सामग्रीहरु (स्ट्रेचर सहित): पर्याप्त अपर्याप्त | | | | | | |
| आवश्यकता खुलाउनहोस | | आवश्यकता खुलाउनहोस | | | | | | |
| १०.३ सञ्चालनमा रहका नजिकका स्वास्थ्य सुविधाहारु | | | | | | | | |
| स्वास्थ्य सुविधाका प्रकार | क्षतिग्रस्त | | पर्याप्त कर्मचारी | | पहंच | | विद्युत आपूर्ति | |
| | छन | छैनन | छन | छैनन | छन | छैनन | छन | छैनन |
| १०.३.१ उपस्वास्थ्य / स्वास्थ्य चौकी | | | | | | | | |
| १०.३.२ प्राथमिक स्वास्थ्य संस्था | | | | | | | | |
| १०.३.३ अस्पताल | | | | | | | | |
| १०.३.४ निजी क्लिनिक | | | | | | | | |
| १०.४ उक्त स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कसले सेवा प्रदान गर्दैछ ? | | | | | | | | |
| नर्स <input type="checkbox"/> डाक्टर <input type="checkbox"/> महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका <input type="checkbox"/> पारा मेडिकल <input type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| १०.४.५ अरु (खुलाउने) | | | | | | | | |
| १०.५ उक्त स्थानमा कुनै महामारी वा भिन्न प्रकारको रोग फैलिएका सूचना वा हल्ला छ ? | | | | | | | | |
| १०.५.१ छ (खुलाउने) १०.५.२ छैन | | | | | | | | |
| १०.६ उक्त स्थानमा कुनै सक्रमण नहुने तत्वहरुको सूचना आएको छ ? (जैविक, रासायनिक, आणविक, विकिरण, विषाक्त वा टोकिसन) | | | | | | | | |
| छ (खुलाउने) १०.६.२ छैन <input type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| यदि अन्य थप केही भएमा <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| ११. शिक्षा | | | | | | | | |
| १२.१ समुदायमा कक्षा संचालन भईरहेका र विद्यार्थीहरु सहभागी भईरहेका छन कि छैनन ? | छ <input type="checkbox"/> | छैन <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| १२.२ समुदायमा विद्यालयको अवस्था कस्तो रहेको छ ? | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> पूर्णतः क्षतिग्रस्त, वर्तमान अवस्थामा प्रयोग गर्न नसकिने | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> आंशिक रूपमा क्षति, प्रयोग गर्न नसकिने | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> आंशिक रूपमा क्षति, केही मर्मत पश्चात प्रयोग गर्न सकिने | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> पातीले घेरिएको र केही मर्मत पछि प्रयोग गर्न सकिने | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> प्रभावित नभएको । | | | | | | | | |

विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

| ११.१ बडास्तरमा क्षति भएका विद्यालयहरु तह संख्या | | ११.२ क्षति भएका खानेपानी तथा सरसफाई सुविधाहरुको संख्या ११.२.१ खानेपानी ११.२.२ शौचालय | |
|---|------------|---|--------|
| ११.१.१ बाल विकास केन्द्र (ECD) | | | |
| ११.१.२ १ देखि ८ कक्षा सम्म | | | |
| ११.१.३ ९ देखि १२ कक्षा सम्म | | | |
| ११.१.३ उच्च शिक्षा | | | |
| ११.४ प्रभावित विद्यार्थी र शिक्षकका संख्या (लिङ्गका आधारमा): | | | |
| तह | विद्यार्थी | | शिक्षक |
| | छात्र | छात्रा | पुरुष |
| ११.३.१ बाल विकास केन्द्र (ECD) | | | |
| ११.३.२ १ देखि ८ कक्षा सम्म | | | |
| ११.३.३ ९ देखि १२ कक्षा सम्म | | | |
| ११.३.३ उच्च शिक्षा | | | |
| ११.४ समुदायमा प्रभावित विद्यालयहरुको अवस्था ? | | | संख्या |
| ११.४.१ पूर्ण क्षति भएका विद्यालयहरुको संख्या (प्रयोगमा आउन नसक्ने) | | | |
| ११.४.२ आशिक क्षति भएका विद्यालयहरुको संख्या (तत्काल प्रयोग गर्न असुरक्षित) | | | |
| ११.४.३ सामान्य क्षति भएका विद्यालयहरुको संख्या (सामान्य मर्मत पछि प्रयोगमा गर्न सुरक्षित) | | | |
| ११.४.४ ढुवान भएका विद्यालयहरुको संख्या जुन केही समयपश्चात प्रयोगमा आउन सक्छ | | | |
| ११.५ विद्यालय आश्रयस्थलका रूपमा प्रयोग भएका छन ? छ <input type="checkbox"/> छैन <input type="checkbox"/> | | | |
| ११.५.१.१ यदि छन भन किंतु वटा विद्यालयहरु आश्रयस्थलको रूपमा प्रयोग भएको होला ? | | | |
| यदि अन्य थप केही भएमा | | | |

| १२. आपतकालीन सञ्चार | | |
|--|---|--------|
| १२.१ प्रभावित समदायमा सुरक्षाका लागि कस्ता संचारका माध्यमहरु संचालन अवस्थामा छन ? | | |
| संचारका माध्यमहरु | सेवाका अवस्था | कैफियत |
| १२.१.१ रेडियो रुम सेवा २४x७ | छ <input type="checkbox"/> छैन <input type="checkbox"/> | |
| १२.१.२ टेलिफोन | छ <input type="checkbox"/> छैन <input type="checkbox"/> | |
| १२.१.३HF/VHF Radio/HAM Radio | छ <input type="checkbox"/> छैन <input type="checkbox"/> | |
| १२.१.४स्याटलाइट फोन | छ <input type="checkbox"/> छैन <input type="checkbox"/> | |
| १२.१.५ इन्टरनेट | छ <input type="checkbox"/> छैन <input type="checkbox"/> | |
| १२.२ प्रभावित समुदायहरुल प्रयोग गर्ने कस्ता संचारका माध्यमहरु संचालन अवस्थामा छन ? | | |
| संचारका माध्यमहरु | सेवाका अवस्था | कैफियत |
| १२.२.१ रेडियो/एफ एम | | |
| १२.२.२ टेलिभिजन | | |
| १२.२.३ मोबाइल फोन | | |
| १२.२.४ टेलिफोन | | |
| १२.२.५कटवाल | | |
| यदि अन्य थप केही भएमा | | |

विपद्पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

| १३. बन्दोबस्ती (Logistic) | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--|--------------|--------|
| १३.१ क सम्पूर्ण प्रभावित क्षेत्रहरु मानवीय सहयोगको क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाहरुको पहुँचमा छन्? | | | | | |
| १३.१.१ छन् <input type="checkbox"/> १३.१.२ थाहा छन् <input type="checkbox"/> १३.१.३ केही छन् <input type="checkbox"/> १३.१.४ पूरा छन् <input type="checkbox"/> | | | | | |
| यदि प्रभावित क्षेत्र पूण वा आशिकरुपमा पहुँचमा छन भने केही विवरणसहित नक्सा संलग्न गर्नु होला | | | | | |
| अनुमतित विस्थापित संस्था जम्मा | १३.१.१ परष | १३.१.२ महिला | | | |
| १३.२ विपदपश्चात लगातै प्रभावित वडाहरुमा के आधारभूत व्यवस्थापनका सुविधाहरु संचालनमा छन्? (उपयुक्तमा ठीक चिन्ह लगाउनुस) | | | | | |
| व्यवस्थापन | छैन | थाहा छैन | आशिक रूपमा संचालन | पूर्ण संचालन | कैफियत |
| १३.२.१ इन्धन स्टेशन (Petrol Pump) | | | | | |
| १३.२.२ विद्युत | | | | | |
| १३.२.३ वैकल्पिक उर्जा | | | | | |
| १३.२.४ बाटोको सुविधा | | | | | |
| १३.२.५ यातायातको माध्यम | | | | | |
| १३.२.६ वायु सेवा | | | | | |
| १३.२.७ अन्य | | | | | |
| हेलिकप्टरका लागि आकस्मक अवतरण गर्न स्थानको सम्भावना र अन्य विस्तृत जानकारी भए अलगा कागजमा संलग्न गर्नुहोला। | | | | | |
| GPS coding पनि गर्नुहोला। | | | | | |
| १३.३ विपद भएलगतै देखि समदायमा व्यवस्थापन सम्बन्धी मुख्य समस्या के होला? (उपयुक्तमा ठीक चिन्ह लगाउनहास) | | | | | |
| १३.३.१ हिलो/गिरी | १३.३.२ पानी बन्द | १३.३.३ पहिरो | १३.३.४ पुल विग्रिएको/ भूतिकएको | | |
| १३.३.५ बाटा संचालनमा नरहेको | १३.३.६ इन्धन उपलब्ध नभएको | १३.३.७ एयरपोर्टको धावनमार्ग विग्रिएको | १३.३.८ नदी जताततै बगको | १३.३.९ अन्य | |
| सम्भव भए सम्म विस्तृत जानकारीहरु अलगै कागजमा संलग्न गर्नुहोला। | | | | | |
| १३.४ त्यस क्षेत्रमा विग्रिएका संरचनाहरुको अवस्था कस्तो छ? (उपयुक्तमा ठीक चिन्ह लगाउनुस) | | | | | |
| सेवा प्रदान गर्नको लागि प्रयोग भएका संरचनाहरु | पूर्ण नष्ट (अब प्रयोगमा आउन नसक्ने) | आशिक क्षति (तत्काल प्रयोगका लागि असुरक्षित) | केही क्षति (सामान्य मर्मत पश्चात प्रयोग गर्न सकिने) | क्षति नभएको | कैफियत |
| १३.४.१ गोदाम घर | | | | | |
| १३.४.२ सरकारी भवनहरु | | | | | |
| १३.४.३ व्यक्तिगत भवनहरु | | | | | |
| १३.४.४ व्यापारिक भवनहरु | | | | | |
| १३.४.५ इन्धन स्टेसनहरु | | | | | |
| १३.४.६ उच्चांग कारखाना भवनहरु | | | | | |
| १३.४.७ विद्युत स्टेसनहरु र टान्समिसनहरु | | | | | |
| १३.४.८ विमानस्थल (एयरपोर्ट) | | | | | |
| १३.४.९ हेलिकप्टर राख्ने स्थान | | | | | |
| १३.४.१० अन्य | | | | | |
| सम्भव भएसम्म विस्तृत जानकारीहरु अलगै कागजमा संलग्न गर्नुहोला | | | | | |
| यदि अन्य थप केही भएमा | | | | | |

विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

| १४. आश्रय स्थल समन्वय तथा व्यवस्थापन (camp coordination and Management) | | | |
|--|--|--|--------------------------|
| १४.१ बडा स्तरको अनुमानित विस्थापित संख्या | १४.१.१ पुरुष | १४.१.२ महिला | |
| १४.२ बडा स्तरको विपद प्रभावित विस्थापित संख्या | महिला | पुरुष | जम्मा |
| १४.२.१ ५ वर्ष मुनिका बालबालिका | | | |
| १४.२.२ ५ वर्षदेखि १८ वर्ष सम्मका | | | |
| १४.२.३ ६० वर्ष भन्दा माथिका वृद्धवृद्धा | | | |
| १४.२.४ अपाइता भएका | | | |
| १४.२.५ अति विरामी | | | |
| १४.२.६ गर्भवती/दध चुसाउदै गरेका महिलाहरु | | | |
| १४.३ विस्थापितहरुले बसोबास गरिरहको स्थान | | | |
| १४.३.१ स्थानको नाम | १४.३.२ अक्षांश Latitude | १४.३.३ देशान्तर Longitude | |
| १४.३.४ उच्चता Altitude | १४.३.५ निकटतम सुरक्षा निकाय अवस्थित स्थान सम्मको दूरी (कि.मी./कोष) | | |
| १४.४ विस्थापितहरुले बसोबास गरिरहको स्थलको प्रकार | | | |
| १४.४.१ स्वस्थापित | १४.४.२ योजनावद्ध | १४.४.३ संकलन क्षेत्र | <input type="checkbox"/> |
| १४.५ विस्थापितहरुले बसोबास गरिरहको स्थानको स्वामित्व | | | |
| १४.५.१ व्यक्तिगत <input type="checkbox"/> | १४.५.२ सार्वजनिक <input type="checkbox"/> | १४.५.३ अन्य (खलाउने) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | |
| १४.६ विस्थापितहरुको दर्ता | १४.६.१ छ <input type="checkbox"/> | १४.६.२ छन <input type="checkbox"/> | |
| यदि अन्य थप केही भएमा | | | |

| १५. हाल प्रभावित समदायमा उपलब्ध राहत सहयोगहरु | | | |
|--|-----------------------------|--|--|
| १५.१ प्रभावित समदायहरुले कुन सहयोग पाइरहेका छन ? | छन <input type="checkbox"/> | छैनन <input checked="" type="checkbox"/> | |
| १५.१.१ यदि छन भने कसले प्रदान गर्दछ ? | | | |
| १५.१.२.१ यदि छैन भन वितरण गर्ने कुनै योजना छ ? | | | |
| १५.२ सबै प्रभावित समुदायहरुलाई नियमितरूपमा) विपद र राहत/सहयोगको बारेमा जानकारी गराइसकका छन ? | छन <input type="checkbox"/> | छैनन <input type="checkbox"/> | |
| १५.३ के समदायमा व्यवस्थापन समिति गठन भएको छ ? | छ <input type="checkbox"/> | छैन <input type="checkbox"/> | |
| यदि अन्य थप केही भएमा | | | |

स्रोत : विपद लेखाजोखा मार्गदर्शन २०७२ - नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय

विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

विपद व्यवस्थापन कोष संचालन निर्देशिका २०७३

(२०६९ लाई परिमार्जन गरिएको)

१. प्रस्तावना

विपदको दृष्टिकोणबाट नेपाल संसार कै एक संवेदनशील देशहरु मध्ये एक हो । अव्यवस्थित बसाई सराई, जथाभावी बन फडानी तथा अतिक्रमण, अवैज्ञानिक खेती प्रणाली, कृषिमा रहेको अव्यवस्थित चाप, जनसंख्याको बढाव र असन्तुलित वितरण, जनचेतनाको कमी जस्ता कारणले हरेक वर्ष हुने बाढ, पहिरो, महामारी, भाडापखाला, अनिकाल, आगलागी, भुकम्प र सडक दुर्घटनामा परी हजारी मानिसको मृत्यु भईरहेको छ । यस्ता प्रकारका प्रार्थक तथा मानव सिर्जित प्रकौपबाट जीउधन माथि भएको क्षति त छदैछ भौतिक संरचनामा समेत क्षति हुन गई आर्थिक र सामाजिक विकासमा समेत ठुलो नोकसानी व्यहोर्नुका साथै मनोबैज्ञानिक त्रासमा बस्नु परेको छ । यसरी हुने गरेका मानवीय तथा भौतिक क्षतिलाई न्युनिकरण गर्नको लागि स्थानिय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ को नियम २७६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी स्थानिय निकाय आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली २०६४ को नियम ५४ उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिम जिल्ला विकास कोषमा जम्मा भएको रकम र संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष कपिलवस्तु लगायतका अन्य संघ संस्थाको साभेदारीमा जिल्ला विपद व्यवस्थापन कोष खडा गरी केन्द्रिय तथा बाह्य सहयोग प्राप्त हुन पुर्व तत्काल उक्त समस्यालाई स्थानिय रूपमा सम्बोधन गर्न सकियोस भन्ने हेतुले जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको सक्रियतामा जिल्ला विपद व्यवस्थापन कोषको स्थापना र संचालन जिल्ला परिषदबाट यो निर्देशिका स्वीकृत भएपछि लागु हुने गरी निर्माण गरिएको हो ।

२. उद्देश्यहरू

१. विपदबाट बच्न जनचेतना जगाउने ।
२. विपद रोकथाम तथा व्यवस्थापनमा प्रभावकारीता ल्याउने ।
३. विपद तथा विस्थापित परिवारलाई तत्काल राहत सहयोग पुर्याउने ।
४. विपदमा परेका बालबालिका, बृद्ध, अपांग, गर्भवती, सुत्करी तथा प्रजनन स्वास्थ्यको समस्यामा परेका महिला, एच.आइ.भी. संकमित तथा किशोरीहरुलाई तत्काल तथा उद्धार तथा प्राथमिक उपचार तथा व्यवस्थापनमा विशेष सहयोग पुर्याउने ।

परिच्छेद - एक संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

यो निर्देशिकाको नाम “जिल्ला विपद व्यवस्थापन कोष संचालन निर्देशिका २०६९” रहेको छ । यो निर्देशिका जिल्ला परिषदबाट पारित भएको मिति देखि लागु हुनेछ ।

परिच्छेद - दुई परिभाषा

१. विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस निर्देशिकामा
 - क) “जि.वि.स.” भन्नाले जिल्ला विकास समितिको कार्यालय कपिलवस्तुलाई जनाउनेछ ।
 - ख) “कोष” भन्नाले निर्देशिकाले तोके बमोजिमको विपत व्यवस्थापन कोष सम्भनु पर्दछ ।
 - ग) “समिति” भन्नाले कोष संचालन गर्न गठित समितिलाई सम्भनु पर्दछ ।
 - घ) “अध्यक्ष” भन्नाले स्थानिय विकास अधिकारीलाई अध्यक्ष सम्भनु पर्दछ ।
 - ड) “सदस्य” भन्नाले कोष संचालन गर्न गठित समितिका सदस्यलाई सम्भनु पर्दछ र सो शब्दले समितिका अध्यक्षलाई समेत जनाउनेछ ।
 - च) “सदस्य सचिव” भन्नाले स्थानिय विकास अधिकारीले तोकेको जिविस कार्यालयका कार्यकम अधिकृतलाई सम्भनु पर्दछ ।

विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

विपत भन्नाले प्राकृतिक तथा मानव सिर्जित विपत् तथा रोग, महामारीलाई बुझ्नु पर्दछ।
यस कोषमा भएको रकमलाई आवश्यकता र औचित्यको आधारमा विपद व्यवस्थापनका लागि परिचालन गर्न सकिनेछ।

पाठ्येद - तीन
कोष सञ्चालन एवं व्यवस्थापन समितिको गठन

- ३. क) कोषको सञ्चालन एबस व्यवस्थापनको लागि देहाय बमाजिमका सदस्य रहेको विपद व्यवस्थापन कोष सञ्चालन समितिको गठन हुनेछ।
- विपद व्यवस्थापन कोष सञ्चालन समितिको गठन

| | |
|---|------------|
| १. स्थानिय विकास अधिकारी | अध्यक्ष |
| २. जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकृत प्रतिनिधि | सदस्य |
| ३. अध्यक्ष, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी | सदस्य |
| ४. अध्यक्ष, उद्योग बाणिज्य संघ | सदस्य |
| ५. अध्यक्ष, यातायात व्यवसायी समिति | सदस्य |
| ६. आ.प्र शाखा प्रमुख, जि.बि.स. | सदस्य |
| ७. कार्यक्रम अधिकृत, जि.बि.स. | सदस्य सचिव |
- ३. ख) आवश्यकता अनुसार यस समितिले सरकारी कार्यालय एवं राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको जिल्ला स्थित प्रतिनिधिलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रित सदस्यको रूपमा आमन्त्रण गर्न सकिनेछ।
- ३. ग) विपद व्यवस्थापन कोष सञ्चालक समितिको काम कर्तव्य र अधिकार

| |
|---|
| १. जिल्लामा देखिएको विपद तथा महामारी रोग रोकथाम एवं नियन्त्रण सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्माण गर्ने। |
| २. कोषको बजेट संकलन तथा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सबै सरकारी, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ संस्था र नीजि क्षेत्र लगायत सम्बन्धित सबैसँग समन्वय गर्ने। |
| ३. कोषको वार्षिक कार्यक्रम तथा खर्चलाई पारदर्शी ढंगले सञ्चार तथा अन्य माध्यमद्वारा सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने। |
| ४. कोषको उद्देश्य अनुरूप काम गर्न अन्य आवश्यक कार्य गर्ने। |
| ५. कोषको वार्षिक लेखापरिक्षण गर्ने, गराउने। |
| ६. कोषको लेखा परिक्षण प्रतिबेदन जिल्ला विकास समिति मार्फत जिल्ला परिषदमा पेश गरी छलफल गराउने। |
| ७. जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरी कार्य गर्ने। |
| ८. आपतकालिन अवस्थामा हुनसक्ने लैंगिक हिंसा तथा प्रजनन स्वस्थ्य सेवाको सुनिश्चित गर्ने। |
- ३. घ) अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार

| |
|---|
| कोषको अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ। |
| १. बैठकको मिति र स्थान निर्धारण गर्ने। |
| २. कोष स्थापना एवम सञ्चालन समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्ने। |
| ३. कोषको बजेट संकलन तथा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सबै सरकारी, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ संस्था र नीजि क्षेत्र लगायत सम्बन्धित सबैसँग समन्वय गर्ने। |
| ४. कोषको वार्षिक कार्यक्रम तथा खर्चलाई पारदर्शी ढंगले सञ्चार तथा अन्य माध्यमद्वारा सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने। |

विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

५. कोषको उद्देश्य अनुरूप काम गर्न अन्य आवश्यक कार्य गर्ने ।
 ६. कोषको आर्थिक लेखा परिक्षण जि.बि.स.को नियमअनुसार गराउने ।
 ७. कोषको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जिल्ला विकास समिति मार्फत जिल्ला परिषदमा पेश गरी छलफल गराउने ।
३. ड) सदस्य-सचीवको काम, कर्तव्य र अधिकार
- सदस्य-सचीको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ ।**
१. अध्यक्षको सल्लाह अनुसार बैठक बोलाउने, कार्यसुची तयार गर्ने र बैठकमा निर्णयार्थ पेश गर्ने ।
 २. बैठकको निर्णय माइन्युट गर्ने ।
 ३. समितिसँग सम्बन्धित सुचना, तथांक तथा अभिलेखहरु दूरुस्त राख्ने र अद्यावधिक गर्ने ।
 ४. अध्यक्षले तोकेको दायित्व वहन गर्ने ।
 ५. अध्यक्षलाई प्रतिवेदन दिने, जानकारी गराउने ।
 ६. बैठकमा भएका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने र गराउने ।

परिच्छेद - चार समितिको बैठक

४. गणपुरक संख्या :

बिपद व्यवस्थापन कोष सञ्चालन समितिको बैठक

१. समितिको बैठक बस्ने प्रयोजनका लागि ५१ प्रतिशत सदस्यको उपस्थितिलाई गणपुरक संख्या मानिनेछ ।
२. व्यवस्थापन समितिको बैठक सामान्तया वर्षको दुई पटक र आवश्यकता अनुसार जुनसुकै समयमा पनि बस्न सक्नेछ ।

परिच्छेद - पाँच कोषको स्थापना र सञ्चालन

५. क) विपद व्यवस्थापन कोषको नामबाट जिल्लामा एक कोषको स्थापना हुनेछ र सो कोषमा देहाय बमोजिमको रकम हुनेछन् ।
 १. नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम ।
 २. विदेशी मित्रराष्ट्र, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दातृ संस्था, अन्तर सरकारी संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था, स्थानिय र राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त रकम ।
 ३. जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालय, जिल्ला विकास समिति तथा गाउँ उ विकास समितिबाट प्राप्त रकम ।
 ४. कोषको रकम परिचालन गर्दा लिइने सेवा शुल्क वा व्याज वापत बैंकबाट प्राप्त हुने रकम ।
 ५. अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकम ।
 ६. कोषमा प्राप्त हुने कुनै पनि प्रकारुको रकम विपद व्यवस्थापन कोषको बैंक खातामा सोभै जम्मा गर्न सकिनेछ ।
५. ख) कोषको सञ्चालन : कोषको रकम जि.बि.स. को नियमानुसार (स्थानिय विकास अधिकारी, जिबिसको आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतमा) खाता खोली कोषको खातामा जम्मा गरी स्थानिय निकाय आर्थिक प्रशासन सम्बन्धित नियमावली २०६४ अनुसार माथि उल्लेखित उद्देश्यका लागि खर्च गरिनेछ ।
५. ग) कोषमा जम्मा भएको रकम : कोषमा जम्मा भएको रकम विपद व्यवस्थापन (आपतकालीन अवस्थामा प्रजनन स्वास्थ्य तथा लैंगिक हिंसा सम्बोधन) समेत का लागि बाहेक अन्य प्रयोजनमा खर्च गर्न पाइने छैन ।

विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

५. घ) लेखा परीक्षण : यस कोषको आन्तरिक लेखा परीक्षण जि.वि.स. को आ.ले.प. शाखाबाट र अन्तम लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षणको कार्यालयबाट गरिने छ ।

परिच्छेद - ४

प्राविधिक/मानवीय सहयोग

जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति, कपिलबस्तुको निर्देशनमा विपत व्यवस्थापन गर्नका लागि तपसीलका सरोकारवाला निकायहरुसँग प्राविधिक/मानवीय सहयोग, समन्वय एवं साझेदारी गरिनेछ ।

१. जिल्ला अस्पताल
२. अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरु (निजी अस्पताल समेत)
३. नेपाली सेना
४. नेपाल प्रहरी
५. सशस्त्र प्रहरी
६. नेपाल रेडक्रस सोसाइटी
७. यस क्षेत्रमा कार्यरत अन्य संघसंस्थाहरु

परिच्छेद - सात

अनुगमन तथा प्रतिबेदन

७. अनुगमन तथा प्रतिबेदन

१. यो निर्देशिका अनुसार गरिएका काम कारबाहीको लागि सञ्चालन समितिबाट अनुगमन गरिनेछ ।
२. यो निर्देशिका अनुसार सञ्चालित कार्यहरुको प्रतिबेदन जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा पेश गरिनेछ ।

परिच्छेद - आठ

संशोधन

संशोधन : कोषलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यकता अनुसार जिल्ला विपत व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा जिल्ला परिषदबाट संशोधन गर्न सकिनेछ ।

परिच्छेद - नौ

बचाउ

यस निर्देशिकामा व्यवस्था भएका कूराहरुको हकमा स्थानिय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ तथा स्थानिय निकाय आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली २०६४ को कुनै ऐन तथा नियमसँग बाँझिएको हकमा बाँझिए जति खारेज हुनेछ ।

एकिकृत स्वास्थ्य तथा पोषण आकर्षित योजना २०८३

विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

एकिकृत स्वास्थ्य तथा पोषण आकस्मिक योजना २०७३

(आपतकालीन मानवीय प्रतिकार्यका लागि)

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय
कपिलवस्तु

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय
समन्वय

संयुक्त राष्ट्र संघीय जनसंख्या कोष
आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग

सहजीकरण
इन्ड्रेणी ग्रामीण विकास केन्द्र नेपाल

विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

बिषय सुची

शब्द संक्षेप

भाग १, परिचय

- क) भूमिका
- ख) सरुवा रोग तथा प्रकोप संबन्धी विगतका अनुभवहरु
- ग) स्वास्थ्य संबन्धी सम्भावित असरहरु
- घ) क्षमता विश्लेषण
- ड) आपदकलिन योजना निर्माण प्रक्रिया
- च) रणनीतिक कायदिशा
- छ) कपिलवस्तु जिल्लाको परिदृश्य

भाग २, स्वास्थ्य क्षेत्रको आपदकलिन योजना

- क) खतरा तथा जोखिम विश्लेषण
- ख) आपदकलिन सहयोग योजना

भाग ३, संचार रणनीति

विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

Abbreviations

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| AGE | Acute Gastro-Enteritis | HW | Health Worker |
| AIDS | Acquired Immune Deficiency Syndrome | IEC | Information Education and Communication |
| ANC | Antenatal Care | INC | Intra Natal Care |
| ART | Antiretroviral Therapy | INGO | International Non Government Organization |
| ATD | Anti tubercular Drug | IRA | Immediate Rapid Assessment |
| CBO | Community Based Organization | LHF | Local Health Facility |
| CHD | Child Health Division | MCHW | Maternal and Child Health Worker |
| DACC | District AIDS Coordination Committee | HSCP | Health Sector Contingency Plan |
| DAO | District Administration Office | WHO | World Health Organization |
| DDRC | District Disaster Response Team | NRCS | Nepal Red Cross Society |
| DHO | District Health Office | PNC | Post Natal Care |
| DVO | District Veterinary Office | RHD | Region Health Directorate |
| DWSO | District Water and Sanitation Office RNN | Rural | Reconstruction Nepal |
| EDCD | Epidemiology and Disease Control Division | RRT | Rapid Response Team |
| EPI | Expanded Program on Immunization | RTA | Road Traffic Accident |
| EWARS | Early Warning and Reporting System | SBA | Skilled Birth Attendant |
| FCHV | Female Community Health Volunteer | STI | Sexually Transmitting Infection |
| FPA | Family Planning Assistant | U5 | under Five |
| HFI | Health Facility In-charge | VCT | Volunteer Counseling Testing |
| HIV | Human Immune deficiency Virus | VDC | Village Development Committee |
| HMIS | Health Management Information System | VHW | Village health Worker |
| HR | Human Resource | WFP | World Food Program |

भाग १ परिचय

क. पृष्ठभूमि

- नेपाल भौगोलिक तथा वातावरणीय र अन्य थुप्रै दृष्टिले अति नै जोखिममा रहेको छ। प्राकृतिक तथा मानव सृजित कारणहरुबाट दिन प्रतिदिन विपदका घटनाहरु घटिरहेका छन्। बाढी, आगलागी, रोगव्याधि, साम्प्रदायिक तथा राजनैतिक दून्द, सडक दुर्घटना आदिबाट दिनदिनै जनधनको क्षति भइरहेको छ। आकस्मिकरूपमा जब यस्ता विपदजन्य घटनाहरु घट्छन् एकैचोटी ठूलो संख्यामा हताहत हुने, चोटपटक लागि घाइते हुने, रोगव्याधि महामारी फैलिने, औषधि, खाद्यान्न तथा पोषणको अभाव हुने अवस्थाको सृजना हुन पुग्छ। यस्तो अवस्थामा मानवोचितरूपले बाँच्न पाउने मानवअधिकारका कुराहरुबाट समेत बच्चित भई ठूलो जनधनको क्षति हुन पुग्छ। विद्यमान साधनस्रोतको अभाव भई प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवा समेत प्रभावित हुन पुग्छ, र अपेक्षित सेवा सुविधा प्रदान गर्न कठिनाई हुन्छ। अझ हाम्रो जस्तो सिमित साधनस्रोत भएको ठाँउमा आपदकालीन अवस्थामा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन कठिन मात्रै होइन चुनौतिपूर्ण पनि हुन्छ।
- हाल कपिलवस्तु जिल्लामा प्रकोपको कारणबाट हुने यस किसिमको विषम परिस्थितिको सामना गर्न जिल्ला तहमा जिल्ला दैवि प्रकोप उद्धार समितिबाट प्रकोप पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना निर्माण भएको छ। यस योजनालाई विभिन्न द विषयगत समूहमा विभाजन गरी समन्वयात्मक रूपमा विपदको अवस्थालाई संबोधन गर्ने प्रयास भएको छ। यसै संदर्भमा स्वास्थ्य क्षेत्रको आकस्मिक योजना तयार गर्ने प्रयास भएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको अगुवाईमा स्वास्थ्यकर्मीहरु (RRT), स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरुको सहभागितामा यो योजना निर्माण भएको छ।

ख. विगतका महामारी तथा प्रकोपका घटनाहरु

- स्वास्थ्य तथा सरसफाईको दृष्टिले कपिलवस्तु जिल्ला निकै पछाडी परेको छ। शैचालयको प्रयोग तथा स्वच्छ तथा सफा खानेपानीको उपयोग समुचित रूपमा हुन नसक्दा थुप्रै पानीजन्य सरुवा रोगहरु फैलिने गर्दछन्। विशेष गरेर गर्मी तथा वर्षायाममा सरुवा रोगहरुको प्रकोप बढी हुने गर्दछ। बाढी आउँदा पानीका स्रोतहरु दुषित हुने र त्यसको उचित व्यवस्थापन नहुँदा पनि भाडा पखाला, आँउ, निमोनिया आदि रोगरु फैलिने गरेको अनुभव छ। आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को गर्मियाम्मको शुरुवातमा हुरीवतासको कारणले जिल्लाका विरपुर, जहदी, महराजगंज गाविसमा आगलागि भै गरिव पिछडिएका असाहयको घरहरु आगलागि भै भुपडी जलेको हुदा खाद्य सामाग्री, लुगा कपडा जल्नुको साथै महराजगंज गाविसको जमरसठ गाउँ सात बर्षिय बालक पपु धोवीको मृत्यु हुनुको साथै केहि व्यक्तिहरु सामान्य जलेको र सो को उपचार जिल्ला RRT टिमले स्थानिय स्वास्थ्य संस्थालाई परिचालन गराई निशुल्क रूपमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिएको थियो। तथा सामाजिक संघ संस्थाहरुले लुगा तथा अन्न वितरण गरिएको थियो।

ग. प्रकोपको समयमा स्वास्थ्यमा पर्ने संभावित असरहरु

- सरुवारोगहरुमा बृद्धि। विशेषगरेर हैजा, मलेरिया, आँउ, दादुरा, भाडापखाला, स्वाशप्रश्वास को समस्या (Acute Respiratory Infections) ज्वरो, आँखा तथा छालाका रोगहरु।
- HIV/AIDS तथा क्षय रोगमा बृद्धि।
- स्वास्थ्य क्लिनिकहरु नष्ट हुने वा सेवा प्रभावित हुने।
- स्वास्थ्य उपकरण तथा औजारहरु नष्ट हुने।
- खाद्यान्न, पोषणयुक्त खानाको अभाव, कुपोषण तथा रोगव्याधि बढने खतरा।

घ. क्षमता विश्लेषण

- आपदकालीन अवस्थामा सिमित साधन स्रोतको कारणले गर्दा तत्काल गर्नु पर्ने द्रुत प्रतिकार्य क्रियाकलापहरु

विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

(Rapid Response Activities) प्र्याप्त मात्रामा गर्न नसकिने अवस्था सृजना हुन पुग्छ। जिल्ला दैवि प्रकोप उद्धार समिति तथा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय अन्तर्गत रहेको Rapid Response Team ले प्रभावित समुदायलाई उद्धार, राहत तथा आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँछन्। आपदकालीन समयमा उपलब्ध गराउनु पर्ने स्वास्थ्य सेवा विविध कारणले कठिन तथा चुनौतिपूँ हुन पुगेको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको RRT टिमलाई सहयोग गर्ने RRT संयोजक बिण्ण जैसवालको संयोजनमा उपसमिति पुनर्गठन गरि समयानुकूल पदाधिकारीहरुको हेरफेर गरि गतिशिल बनाउने प्रयास गरिएको छ।

- विद्यमान संरचनाहरुलाई मर्मत संभार गरी चुस्त दुरुस्त राख्न आर्थिक अभाव हुन पूर्व सूचना तथा निगरानी प्रणाली (Early Warning and Surveillance System - EWRRS), जोखिम लेखाजोखा तथा आँकलन गर्ने कमजोर क्षमता, यातायात तथा संचार सुविधाको कमी, आर्थिक, भौतिक तथा मानवीय संसाधनको कमीको कारण सम्पर्क/समन्वय संयन्त्र प्रभावकारी नहुनु, प्रभावकारी पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि कानुनी तथा संस्थागतरूपमा समयमै सचेत नहुनु आदि कुराहरुले गर्दा आपदकालीन स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

ड. आकस्मिक योजना तर्जुमा प्रक्रिया

- आकस्मिक योजना तर्जुमा प्रक्रियाको प्रारम्भ जिल्ला दैवि प्रकोप उद्धार समिति (जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति) ले यस अधिं तयार गरेको जिल्ला विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाले निर्देश गरे अनुसार स्वास्थ्य तथा पोषण समूह (Health and Nutrition Cluster) को योजनाको समिक्षा पश्चात गरिएको थियो। यसैको आधारमा जिविस कपिलवस्तु र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको आयोजनामा UNFPA को सहयोग र इन्ड्रेणीको व्यवस्थापनमा विभिन्न सरोकारवालाहरुको सहभागितामा स्वास्थ्य क्षेत्रको आकस्मिक योजना तर्जुमा गर्नको लागि २ दिने कार्यशालाको आयोजना भएको थियो। तत्पश्चात आपदकालीन समयमा न्यूनतम प्रारम्भिक स्वास्थ्य सेवा (MISPO तालीमको आयोजना गरिएको थियो। साथै यस्तै किसिमको तालीम, RRT तथा DDRC का सदस्यहरुलाई प्रदान गरी सबै क्लस्टरका सदस्यहरु तथा संघ संस्थाहरुबाट समेत पृष्ठपोषण प्राप्त भएको थियो। यसरी प्राप्त सुभाव तथा पृष्ठपोषणहरुलाई यस योजनामा समावेश गरिएको छ।
- यस योजना निर्माणको प्रक्रियामा सहभागीहरुबाट विगतका अनुभवहरुको आधारमा जिल्लामा घटने र भविष्यमा घटन सम्झौते प्रवल संभावना भएका प्रकोपहरुको पहिचान भएको छ। पहिचान भएका खतराहरुलाई संकटमुख्यता मूल्यांकन औजार (Vulnerability Assessment Tools) को सहायताले स्तरीकरण समेत गरिएको छ।
- यस्तै जिल्लामा उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधा, संरचना तथा आपदकालीन समयको लागि पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य संबन्धी नितिहरुको क्रियाशीलताको संबन्धमा समेत छलफल भएको छ।
- यसै क्रममा सहभागीहरुबाट प्राथमिकीकरण गरी छुट्टाइएका ६ वटा खतराहरु (बाढी/पहिरो, आगलागी, महामारी, भूकम्प, सडक दुर्घटनाको बारेमा छलफल गरी तिनीहरुबाट हुन सम्झौते असरलाई संबोधन गर्ने उद्देश्य सहित स्वास्थ्य क्षेत्रको एकिकृत आकस्मिक योजना समेत तयार गरिएको छ। सहभागितामूलक तरिकाबाट तयार गरिएको यस योजनाले प्रकोपको समयमा प्रभावित व्यक्ति तथा समुदायमा छिटो छरितो रूपले मानवीय सहयोग उपलब्ध गराउन तथा जनधनको क्षतिलाई न्यून गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
- यो स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्रको आकस्मिक सहयोग योजना एक गतिशील योजना हो। यसलाई समय सापेक्ष आवश्यक विषयवस्तुहरु समावेश गर्दै प्रत्येक वर्ष परिमार्जन गर्दै लगिने छ।

च. आकस्मिक स्वास्थ्य तथा पोषण योजनाको रणनीतिक दिशा निर्देश

- समष्टिगत प्रयास तथा उपलब्ध साधनस्रोतहरुलाई निर्धारित उद्देश्य, प्राथमिकता र रणनीतिक ढाँचा अनुरूप प्रयोग गरी प्रकोप प्रभावित समुदायको हितको लागि संयन्त्रको रूपमा सेवा पुऱ्याउन यस योजनाको रणनीतिक दिशा निर्देशको रूपमा लिइएको छ।

लक्ष्य

- प्रकोपबाट हुने मृत्यु, रुग्णता र अपांगतालाई न्यूनिकरण गरी यथाशक्य छिटो तथा दिगो निरोधात्मक तथा उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा पुनर्स्थापित गर्नु यसको प्रमुख लक्ष्य हो।

उद्देश्यहरू

१) समन्वय र कार्यान्वयन

- ⌚ जिल्ला स्वास्थ्य/जनस्वास्थ्य कार्यालयले प्रजनन् स्वास्थ्य संयोजक वा सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने जसले विपदको अवस्थामा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा कार्यान्वयनका लागि सम्पर्क र नेतृत्व गर्दछ। प्रजनन् स्वास्थ्य संयोजक वा सम्पर्क व्यक्तिको कार्यविवरण अनुसूची १ मा दिएको छ।
- ⌚ विपदको शुरुका दिनमा न्युनतम प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा कार्यान्वयन र विपदको स्थिति अलि सहज भएपछि विस्तृत प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा प्रभावाकरीरूपमा कार्यान्वयन गर्न योजना तर्जुमाका लागि सूचना संकलन गर्न समन्वय गर्ने।
- ⌚ प्रजनन् स्वास्थ्य सामग्री (औषधी, मेशिन औजार तथा अन्य सामग्री) को व्यवस्था मिलाउने/समन्वय गर्ने। सामग्रीहरूको आवश्यकता निर्धारण विपद प्रभावित जनसंख्याको मापदण्ड (अनुसूची २) को आधारमा गर्न सकिन्दछ।
- २) यौन हिसाको रोकथाम र परिणामहरूको व्यवस्थापन गर्ने
- ⌚ शिविरको संरचना तयार गर्दा, अस्थायी स्वास्थ्य संस्था बनाउंदा वा स्वास्थ्य शिविर संचालन गर्दा विस्तापित समुदाय विशेष गरी महिला तथा किशोरीहरूको संरक्षण तथा लैगिक हिंसा रोकथाममा विशेष ध्यान दिने।
- ⌚ यौन हिसाबाट बाचेकाहरुका लागि चिकित्सा सेवा (आपतकालीन गर्भनिरोधकको व्यवस्था, यौन संक्रमणहरू र एच.आई.भी. रोकथाम) तथा मनोसामाजिक सेवा सुनिश्चित गर्ने।
- ⌚ मानवीय सहायता कार्यमा संलग्न स्वयंसेवक तथा कर्मचारीहरूले अनुसूची ३ अनुसारको आचार सहिता पालना गरेको सुनिश्चित गर्ने।
- ⌚ यौन हिसास रोकथाम र प्रेषण प्रणाली सम्बन्धमा विपद प्रभावित समुदायलाई सूचना दिने वा जानकारी गराउने।
- ⌚ जोखिम समूहहरूको सुरक्षा गर्ने। सुरक्षामा सहायता गर्ने।
- ३) एच.आई.भी. सराई कम गर्ने
- ⌚ सुरक्षित रक्त संचार सेवाको प्रत्यभित गराउने।
- ⌚ स्वास्थ्यकर्मीहरूले स्तरीय सावधानीहरू अपनाएको सुनिश्चित गर्ने।
- ⌚ शिविर तथा विपद प्रभावित समुदायमा निशुल्क कण्डमको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने।
- ⌚ नियमित सेवाहरूको एक भागकोरूपमा एसटीआई उपचार शुरू गराउने।
- ⌚ एआरभि सेवा लिईरहेकाहरुका लागि सकेसम्म चांडो PMTCT (prevention to mother to child transmission of HIV) सहितको सेवा उपलब्ध गराउने।
- ४) नवजात र मातृ रुग्णता र मृत्युको रोकथाम गर्ने
- ⌚ स्वास्थ्य संस्थामा आपतकालीन प्रसुती तथा नवजात शिशु स्याहार सेवा उपलब्धत गराउने।
- ⌚ आकस्मिक प्रस्तुति सेवा व्यवस्थापन गर्न २४/७प्रेषण प्रणाली स्थापना गर्ने।
- ⌚ स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित प्रसुतीका लागिसामग्री तथा औषधीहरूको व्यवस्था गर्ने।
- ⌚ महिना पुगेका गर्भवती महिलाहरूलाई सफा सुत्केरी सामग्री वितरण गर्ने।
- ⌚ शिविर वा अस्थायी आवासमा सफा र सुरक्षित प्रसुतीका लागि गर्भवती, दक्ष प्रसुतीकर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई आवश्यक ज्ञान दिनो।
- ५) विस्तृत प्रजनन् स्वास्थ्य सेवाका लागि योजना तयार गर्ने
- ⌚ पृष्ठभूमि जानकारीहरू जम्मा गर्ने जस्तै: विपद प्रभावित समुदायमा मातृ तथा नवजात शिशुको मृत्यु दर, एसटीआई र एचआईभीको अवस्था, परिवार नियोजनका साधन प्रयोगको स्थिति, प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान, मनोबृत्ति र व्यवहार
- ⌚ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाका लागि उपयुक्त स्थानको पहिचान गर्ने
- ⌚ कर्मचारीहरूको क्षमता मूल्यांकन गर्ने र विस्तृत प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न आवश्यकतानुसार तालीमको योजनातयार गर्ने।
- ⌚ विस्तृत प्रजनन् स्वास्थ्य सेवाका लागि मेशिन, औजार तथा सामग्रीहरू मगाउने र प्रयोग गर्ने।

विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

अपेक्षित प्रतिफल

- आपदकालीन अवस्थाको लागि आकस्मिक जन स्वास्थ्य योजनाको आवश्यकता बोध भएको हुनेछ।
- जिल्ला तहमा एउटा आकस्मिक योजना तयार भएको हुनेछ।
- पहिचान भएका सबै संघसंस्था / व्यक्तिहरुको भूमिका तथा जिम्मेवारी स्पष्ट भएको हुने छ।
- सूचना रणनीति स्पष्ट तथा विस्तारित भएको हुनेछ।

४. कपिलवस्तु जिल्लाको परिदृश्य

१. जनसंख्या

| क्र.सं. | विवरण | जम्मा संख्या |
|---------|---------------------------------------|--------------|
| १ | जम्मा जनसंख्या | ६३११५८ |
| २ | १ वर्ष भन्दा कम जनसंख्या | १४६०३ |
| ३ | २ वर्ष भन्दा कम जनसंख्या | २८२१५ |
| ४ | ३ वर्ष भन्दा कम जनसंख्या | ४१०७९ |
| ५ | ६ – ३५ महिनाको जनसंख्या | ३०९०९ |
| ६ | ६ – ५९ महिनाको जनसंख्या | ५८०८६ |
| ७ | २५ – ५९ महिनाको जनसंख्या | ६४९०७ |
| ८ | ५ वर्ष भन्दा कम जनसंख्या | ६५३८७ |
| ९ | १५ – ४९ वर्षको महिला जनसंख्या | १७५८०९ |
| १० | १५ – ४९ वर्षको विवाहित महिला जनसंख्या | ३१३५६९ |
| ११ | अनुमानित गर्भवती महिलाहरु | १६१२२ |
| १२ | युवा जनसंख्या | १९१६२४ |
| १३ | अनुमानित जन्म (Live) | १३६७७ |
| १४ | बयस्क पुरुष जनसंख्या (प्रजनन योग्य) | १३९१२३ |

ग्रोत : वार्षिक प्रणित प्रतिवेदन २०१५, जि.स्वां कार्यालयत, कपिलवस्तु

२. स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरु

कपिलवस्तु जिल्लामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरुको विवरण अनुसूची ३ मा उल्लेख गरिएको छ।

३. जिल्लास्तरीय सरोकारवालाहरु

| क्र.सं. | संस्थाको नाम | संपर्क व्यक्ति | संपर्क नम्बर |
|---------|--|-----------------|--------------|
| १ | जि.स्वा.का. | विष्णु जैसवाल | ९८४७०४०८९७ |
| २ | जिल्ला अस्पताल | डा. गोपाल कडेल | ०७६५६०२०० |
| ३ | यूनिसेफ | प्रकाश कैनी | ९७४९०७३८९५ |
| ४ | संयुक्त राष्ट्र संघिय जनसंख्या कोष | चित्र महतो | ९८५७०५०३९३ |
| ५ | मेरीस्टोप | मनिराम पाण्डे | ०७६५६१०५८ |
| ६ | सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्र | गुणानीधि भुसाल | ०७६५५०९९७ |
| ७ | सहज नेपाल | उमेश पौडेल | ०७६५४००३७ |
| ८ | कालिका स्वालम्बन सामाजिक विकास केन्द्र | रमेन्द्र रावल | ९८४७०३०२३९ |
| ९ | INF, Kapilvastu | लेखनाथ न्यौपाने | ०७६५६०२९२ |

भाग २

स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्रको आकस्मिक योजना

क. खतराका प्रकारहरु (Types of Hazards)

| क्र.सं. | खतराका प्रकारहरु | इलाका/गाविसहरु | कैफियत |
|---------|------------------|---|--------|
| १ | बाढी / पहिरो | तिलौराकोट, सौराहा, हरदौना, कोपवा, निगिलहवा, पत्थरदेइया, मोतिपुर, कजरहवा, भलबाड, धनकौली, सिहोखोर, पुरुषोत्तमपुर, बिसुनपुर, सोमडिह, महाराजगंज | |
| २ | आगलागी | जिल्लाका दक्षिण पश्चिमका अधिकांश गाविसहरु | |
| ३ | महामारी | सबै गाविस/नपाहरु | |
| ४ | भुकम्प | सबै गाविस/नपाहरु | |
| ५ | सडक दुर्घटना | सडक किनारका गाविस/नपाहरु | |
| ६ | झन्द | सबै गाविस/नपाहरु | |
| ७ | लैगिक हिंसा | सबै गाविस/नपाहरु | |

ख. उच्च जोखिममा रहेका समूहहरु

| क्र.सं. | समूहहरु |
|---------|--|
| १ | भर्खर जन्मेको बच्चा |
| २ | ५ वर्ष मुनिका केटाकेटीहरु |
| ३ | कुपोषणले ग्रस्त केटाकेटीहरु |
| ४ | गर्भवती महिलाहरु |
| ५ | दुध खुवाउने महिलाहरु |
| ६ | STI/HIV प्रभावितहरु |
| ७ | सरुवा तथा जटील रोगले ग्रस्त व्यक्तिहरु |
| ८ | गभीररूपमा घाइतेहरु |
| ९ | जेष्ठ नागरिकहरु |
| १० | फरक क्षमता (अपांगता) भएका व्यक्तिहरु |

ग. आपदकालीन अवस्थामा मानिसहरुमा पर्ने संभावित जोखिमहरु

- ⌚ चोटपटक, मृत्यु (डुबेर, सर्पले टोकेर)
- ⌚ सरुवा रोगको समस्या (भाडापखाला, हैजा, आँउ, आँखा पाक्ने रोग, दादुरा, श्वासप्रश्वास रोग आदि)
- ⌚ स्वास्थ्य संरचना तथा सुविधाहरु नष्ट हुने
- ⌚ औषधि तथा औजार/उपकरणहरु नष्ट हुने
- ⌚ ANC, NC तथा PNC समस्या
- ⌚ HIV/AIDS तथा TB फैलन सक्ने
- ⌚ मनोसामाजिक समस्या
- ⌚ लैगिक हिंसा/बलात्कार आदि
- ⌚ सिफारीस (Refer) गरिएका विरामीको लागि यातायातको समस्या

विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

- ⌚ मानवस्रोतको कमी
- ⌚ खाद्यान्नको कमीले गर्दा कुपोषण हुने
- ⌚ आपदकालीन सेवाको लागि रगतको कमी
- ⌚ आवास/ठाँउको अभाव
- ⌚ भूकम्पको कारण २० प्रतिशत घाइते र २ प्रतिशतको मृत्यु हुन सक्ने।

घ. खतरा तथा जोखिम विश्लेषण

| Hazard खतरा | Frequency (per year) आवृति प्रतिवर्ष | No. of people affected* प्रभावित जनसंख्या | Magnitude** मात्रा/आयतन | Total*** जम्मा |
|---------------------|--|---|----------------------------|-------------------|
| बाढी (Flood) | १ | ५ | १ | ६ |
| आगलागी (Fire) | १ | २ | १ | ३ |
| भूकम्प (Earthquake) | १ | ५ | २ | १२ |
| महामारी (Epidemic) | ३ | २ | १ | ५ |
| द्रन्द (Conflict) | १ | ५ | १ | ६ |

नोट :

प्रभावित जनसंख्यामा १ - ५ श्रेणीमा राखिएको छ : ० - ५० जनसंख्या भए १, ५१ - १०० भए २, १०१ - ५०० भए ३, ५०१ - १००० भए ४ र १००० भन्दा माथि भए ५।

प्रकोपको मात्रा/आयतनमा पनि १ - ५ राखिएको छ : यदि संपूर्ण जनसंख्या वा क्षेत्रफलको १/१० जनसंख्या प्रभावित भए १, १/८ भए २, १/६ भए ३, १/४ भए ४ र १/४ भन्दा बढी भए ५।

जम्माको गणना (आवृति + प्रभावित जनसंख्या) x मात्रा/आयतन

आपदकालीन स्थायोग योजना / आकस्मिक सहयोग योजना (Contingency Plan)

| स्थान्त्रिक संबद्ध विषयवस्तुहरू | विस्तृत क्रियाकलापहरू | जिम्मेवार | कहिले | आवश्यक सूचनाहरू | | | आवश्यक स्रोतसाधनहरू |
|--|---|-----------------------------------|-------|---|---|--|---|
| | | | | भविष्यमा आवश्यक प्राप्त गर्ने स्रोत पर्ने सूचनाहरू | के | कहाँबाट | |
| स्थान्त्रिक अवस्थाको लेखाजोखा (Assessment) | <ul style="list-style-type: none"> तथांक संकलन सर्वै कलस्टर सदस्यहरूसँग सम्बन्ध र गैससहरूको सहभागीता, दुत प्रतिकार्य टोली (RRT)को परिचालन गरी दुत स्थान्त्रिय लेखाजोखा गर्ने । | जिल्ला विपद्य व्यवस्थापन समिति | तरकाल | <ul style="list-style-type: none"> प्रभावित / विस्थापित र हारएकाहरूको जनजन्या प्रभावित क्षेत्र रोग प्ररम्परा भएको समय विद्यमान स्थान्य सेवा तथा सरचनाहरूको अवस्था मोसम तथा भूभारी अवस्था | <ul style="list-style-type: none"> स्थानीय संघर्षसंथा तथा सञ्चार उदारमा संलग्न स्थान्य तथा सुरक्षा निकायबाट लाप्स क्षेत्रको जनसंख्या तथा जनधनलक्षण स्थानीय सरकारी जनकरी, प्रतिवेदन तथा विभिन्न फारामहरू स्थानीय शिक्षक, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविक आदि | <ul style="list-style-type: none"> संचार साधनहरू/औजारहरू यातायात साधन, उंगा लाइफ ड्यूब्, र अन्य उदार सामग्रीहरू स्वास्थ्य सरकारी जनकरी, प्रतिवेदन तथा विभिन्न फारामहरू | <ul style="list-style-type: none"> जिल्ला दैवि प्रकोप उदार समिति, जि.स्वा.का., जिशका, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, नेरेक्सो, विभिन्न ऐससहरू |
| अत्यावश्यक स्थान्त्रिय हेरचाह सेवा (Essential Health Care Services) | <ul style="list-style-type: none"> स्थान्त्रिय शिविरहरूको स्थापना तथा सञ्चालन घाइते तथा विरमीहरूको प्राथमिकरण (Triage), प्राथमिक उपचार तथा सिफारीस (Refer) गर्ने | जिल्लाका भूम्बा छिटो | छिटो | <ul style="list-style-type: none"> घाइते तथा विस्थापितहरूको सख्ता दुत स्थान्य लेखाजोखा (RHA) को प्रतिवेदन | <ul style="list-style-type: none"> स्थानीय संस्थाहरू सामग्री सहित स्थान्यकर्मीहरू, | <ul style="list-style-type: none"> एम्बुलेन्स, औषधि तथा आवश्यक सामग्री सहित स्थान्यकर्मीहरू, | <ul style="list-style-type: none"> जिल्ला दैवि प्रकोप उदार समिति, जि.स्वा.का., नेरेक्सो, औपचार्य व्यवशायी संघ, विभिन्न ऐससहरू |
| महामारी नियन्त्रण (Outbreak Control) | <ul style="list-style-type: none"> विरामीहरूको व्यवस्थापन ल्याच परीक्षण तथा निरानी, स्थान्यसरसफाई तथा खानेपानी सबन्दी सचेतनामूलक शिक्षा मृत मानिस तथा पशुहरूको व्यवस्थापन रोकथाम सबन्दी उपचार (Prophylactic Treatment) | जिल्लाका भूम्बा छिटो | छिटो | <ul style="list-style-type: none"> खानेपानी वितरण प्रणालीको जानकारी, फोहर द्रुत स्थान्य लेखाजोखाको प्रतिवेदन, स्थानीय व्यक्ति, स्वास्थ्य संस्था खानेपानी तथा घरेलु द्रुत गर्ने चरक्षि, अस्थायी शौचालय तथा दक्ष मानवस्रोतहरू | <ul style="list-style-type: none"> द्रुत स्थान्य लेखाजोखाको प्रतिवेदन, यातायातका साधनहरू, खानेपानी शुद्ध गर्ने चरक्षि, अस्थायी शौचालय तथा दक्ष मानवस्रोतहरू | <ul style="list-style-type: none"> कन्टेनर, ल्याचाका सामग्रीहरू, औषधि, यातायातका साधनहरू, खानेपानी शुद्ध गर्ने चरक्षि, गाविस, तपा आदि जि.स्वा.का, खा.पा.स.स.का., गाविस, तपा आदि | |

जिल्ला विपद्य व्यवस्थापन समिति, कपिलवर्षु

विपद्ध पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

| स्वास्थ्य संबद्ध विषयवस्तुहर | विस्तृत क्रियाकलापहर | जिम्मेवार | कहिले | आवश्यक सूचनाहर | कें | आवश्यक जोतसाधनहर | कहिले |
|--|--|---------------------|--|---|---|---|-------|
| स्वास्थ्य संबद्ध विषयवस्तुहर | (Prophylactic Treatment) | | | भावधमा आवश्यक पर्ने सूचनाहर | प्राप्त गर्ने शोत साधनहर | कें | कहिले |
| प्रजनन स्वास्थ्य (Reproductive Health) | <ul style="list-style-type: none"> एकल उपचार (Isolation) एन्टीनेटल केयर / पी नेटल केयर (ANC/PNC) प्रसुती सेवा परिवार नियोजन सेवा गर्भवती तथा सुल्फेरी / दुध खुवाउने महिलाहरको लागि सेवा MISP सेवा प्रजनन स्वास्थ्य किट (RH Kits) वितरण आपतकालीन मातृ शिश्यहार तथा सिफारिस सेवा, लैंगिक हिंसा तथा यौन दुर्घटनाहर | जिम्मेवारका, UNFPA | <ul style="list-style-type: none"> महिलाहरको संख्या सबै छिटो गर्भवती तथा दुध खुवाउने महिलाहरको संख्या गर्भवती तथा सुल्फेरी / दुध खुवाउने महिलाहरको लागि सेवा गर्भवती तथा सुल्फेरी / दुध खुवाउने महिलाहरको लागि सेवा प्रजनन स्वास्थ्य किट (RH Kits) वितरण आपतकालीन मातृ शिश्यहार तथा सिफारिस सेवा, लैंगिक हिंसा तथा यौन दुर्घटनाहर | <ul style="list-style-type: none"> इत स्वास्थ्य लेखाजोखाको प्रतिवेदन, स्थानीय व्यानक, स्वास्थ्य संस्था तथा महिला स्वास्थ्य स्वयं सेवाकाहरु महिलाहरको सेवा जनशक्ति, परिवार नियोजनका साथीनहर, आइरन चवकी तथा आवश्यक औषधिहरु | <ul style="list-style-type: none"> RH Kits, नर्मिङ्ग स्टाफ, सुल्फेरी सेवाको लागि दक्ष जनशक्ति, परिवार नियोजनका साथीनहर, आइरन चवकी तथा आवश्यक औषधिहरु जिम्मेवारका, परिवार नियोजन संघ, मेरी स्टोप्स सेन्टर आई एन एफ | | |
| पोषण (Nutrition) | <ul style="list-style-type: none"> गर्भवती तथा दुध खुवाउने महिलाहर, ५ वर्ष मुनिका केटाकेटीहर, कृषीपाणप्रस्त केटाकेटीहर, बूद्धि, दीर्घरोगीहर, अपागता भएका व्यक्तिहरको लागि सेवा केटाकेटी, वयस्क तथा गर्भवती महिलाहरको | WFP, UNICEF, जिविस, | <ul style="list-style-type: none"> ५ वर्षमुनिका दिन भित्र बालबालिका संख्या महिला तथा बालबालिका कायालय कुपोषण तथा अतिकृपोषावाट प्रभावित बालबालिकाहर दुध खुवाउने महिलाहर | <ul style="list-style-type: none"> RHA प्रतिवेदनहर विभिन्न पोषणयुक्त खाद्यान्तर्ह, सुरक्षित खानेपानीको व्यवस्था | <ul style="list-style-type: none"> जिम्मेवारका, खापाससका, मवाविका, नेरेकसो | | |
| खोप (Immunization) | <ul style="list-style-type: none"> केटाकेटी, वयस्क तथा गर्भवती महिलाहरको | जिम्मेवारका | <ul style="list-style-type: none"> पहिलो केहि | <ul style="list-style-type: none"> केटाकेटी तथा गर्भवती महिलाहरको | <ul style="list-style-type: none"> RHA प्रतिवेदनहर | <ul style="list-style-type: none"> भ्यास्किन तथा स्वास्थ्यकर्मीहरु | |

विपद्ध पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

| स्वास्थ्य संबद्ध विषयवस्तुहर | विस्तृत क्रियाकलापहर | जिम्मेवार | कहिने | आवश्यक सूचनाहर | | के | आवश्यक स्रोतसाधनहर |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--------------------|
| | | | | भविष्यमा आवश्यक पर्ने सूचनाहर | प्राप्त गर्ने स्रोत साधनहर | | |
| लागि खोप | | दिन भित्र | संख्या | | | | कहाँबाट |
| एच.आइ.डी.एस (HIV/AIDS) | • एन्टीट्रोभाइल उपचार | जिस्ताका पहिला हप्ता भित्र | • एन्टीट्रोभाइल उपचार गीरिरहेका व्यक्तिहरुको संख्या | • स्वास्थ्य सेवा संबन्धी प्रतिवेदनहरु, नमूना, सरकृप सेवा समाज, परिवार नियोजन सघ, किड्स नेपाल आदि | • ARV / Condoms र स्वास्थ्यकर्मीहरु | • जिस्ताका, परिवार नियोजन सघ | |
| अधरोग नियन्त्रण (TB Control) | • अधरोग प्रतिरोधात्मक (Anti Tubercular) औषधिको निरन्तरता • अधरोग सबन्धी सचेतनामूलक स्वास्थ्य शिक्षा | जिस्ताका केहि दिन भित्र | • विभिन्न संस्थाहरुबाट DOTS तथा AKT4/ATT औषधि विहरेका व्यक्तिहरुको संख्या | • स्वास्थ्य सेवा संबन्धी रेकर्ड /तथांकहरु | • औषधि तथा स्वास्थ्यकर्मीहरु | • जिस्ताका, स्थानीय स्वास्थ्य सम्बा, औषधि पसल / उचोग | |
| मनोसामाजिक सहयोग (Psycho Social support) | • मनोसामाजिक प्रारम्भिक सहयोग/परामर्श तथा जटील केशलाई अन्यत्र निपारिस | जिस्ताका १ हप्ता भित्र | • मानसिक रोगको उपचार गीरिरहेका विरामीहरुको संख्या, मानसिक रोगी तथा PISD को पहिचान | • मनोवैज्ञानिक परिवार व्यक्तिगत प्रश्नावार (QUESTION AND ANSWER IN PERSON BASIS AND FAMILY MEMBERS) | • स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, स्वयंसेवक तथा औषधिहरु | • जिस्ताका, स्वास्थ्य कलब सामुदायिक तथा जिल्लास्तरीय द्रुत प्रतिकार्य टोली | |

जिल्ला विपद्ध व्यवस्थापन समिति, कपिलवस्तु

विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

द्रुत प्रतिकार्य टोलीको नामावली (List of RRT)

| क्र.सं. | नाम | पद | फोन नं. | मोबाइल नं | इमेल |
|---------|----------------------|--------|-----------|-----------|------|
| १ | योगेन्द्र प्रसाद भगत | संयोजक | ०७६५६०२०३ | | |
| २ | डा. गोपाल कंडेल | सदस्य | ०७६५६०२०३ | | |
| ३ | विष्णु जयसवाल | सदस्य | ०७६५६०२०० | | |
| ४ | शारदा सिंह | सदस्य | ०७६५६०२०० | | |
| ५ | उदय चन्द्र चौरासिया | सदस्य | ०७६५६०२०० | | |
| ६ | लक्ष्मेश्वर भा | सदस्य | ०७६५६०२०० | | |
| ७ | फरीद रायन | सदस्य | ०७६५६०२०० | | |
| ८ | राम मिलन चौधरी | सदस्य | ०७६५६०२०० | | |
| ९ | अशोक बि क | सदस्य | ०७६५६०२०० | | |
| १० | विकास पाण्डे | सदस्य | ०७६५६०२०० | | |
| ११ | मेघनाथ खनाल | सदस्य | ०७६५६०२०० | | |

भाग ३

सञ्चार रणनीति

आपदकालीन अवस्थामा सूचना सम्प्रेणको लागि निम्नानुसारको संचार रणनीति अवलम्बन गर्ने साझेदारहरुको कार्यशालाबाट निर्धारण गरिएको छ।

| क्र.सं. | सवाल | प्रेषक/तयार गर्ने | प्रापक/कार्यान्वयन गर्ने | माध्यम | कैफियत |
|---------|---------------------------------|---------------------|--|--|--------|
| १ | लेखाजोखाको निष्कर्षको प्रतिवेदन | दुत प्रतिकार्य टोली | जिस्वाका, जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति | मौखिक, टेलिफोन, फ्याक्स, इमेल | |
| २ | अवस्थाका अद्यावधिक विवरण | जिस्वाका | सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखा, जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति तथा जिल्लास्तरी अन्य सरोकारवालाहरु | टेलिफोन, फ्याक्स, इमेल | |
| ३ | सामाग्रीहरुको माग | जिस्वाका | सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखा तथा अन्य सरोकारवालाहरु | टेलिफोन, फ्याक्स, इमेल | |
| ४ | आर्थिक स्रोतको व्यवस्था | जिस्वाका | सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखा तथा अन्य सरोकारवालाहरु | सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखा तथा अन्य सरोकारवालाहरु | |

विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

कपिलवस्तु जिल्लाको जनसारिकीय विवरण

गाविस/नपा अनुसार घरधुरी, जनसंख्या औषत परिवार संख्या र लैगिक अनुपात

| क्र.सं. | गाविस/नपा | घरधुरी | जम्मा जनसंख्या | पूरुष | महिला | औषत परिवार संख्या | लैगिक अनुपात |
|---------|-----------------|--------|----------------|--------|--------|-------------------|--------------|
| १ | अभिराव | ७९२ | ६,१०८ | ३,५६० | ३,३४८ | ८।७२ | १०६।३३ |
| २ | अजीगरा | ६७७ | ५,१८२ | २,६३१ | २,५५१ | ७।६५ | १०३।१४ |
| ३ | बहादुरगंज | १,७३२ | १२,८८२ | ६,६८० | ६,२०२ | ७।४४ | १०७।७१ |
| ४ | बलरामपुर | ७२३ | ४,७७१ | २,४६६ | २,३०५ | ६।६ | १०६।९८ |
| ५ | बलुहवा | ७६० | ५,३५६ | २,७०८ | २,६४८ | ७।०५ | १०२।२७ |
| ६ | बाणगंगा नपा | १५,९६५ | ७५,२४२ | ३४,९३३ | ४०,३०९ | ५।१३ | ८।१०७ |
| ७ | बरैपुर | ४८८ | ३,३७१ | १,७४८ | १,६२३ | ६।९१ | १०७।७ |
| ८ | बसन्तपुर | ४५८ | ३,२४८ | १,६३९ | १,६०९ | ७।०९ | १०१।८६ |
| ९ | बांसखोर | १,३६२ | ९,८१८ | ४,९२१ | ४,८९७ | ७।२१ | १००।४९ |
| १० | बैदौली | ७५३ | ५,५३३ | २,७१० | २,७४३ | ७।३५ | १०१।७१ |
| ११ | भगवानपुर | ७८५ | ५,८८९ | ३,१२६ | २,७६३ | ७।५ | ११३।१४ |
| १२ | भलवारी | ७५९ | ४,८७८ | २,५१६ | २,३६२ | ६।४३ | १०६।५२ |
| १३ | विजुवा | ८०७ | ५,८६३ | २,८८८ | २,९७५ | ७।२७ | ९।७०८ |
| १४ | विथुवा | ५९५ | ४,६४८ | २,४१२ | २,२३६ | ७।८१ | १०७।८७ |
| १५ | भृकुटी नपा | ४६४७ | २६२८२ | १२७।४ | १३५६८ | ५।८ | ९।४।१४ |
| १६ | बुद्धवाटिका नपा | ४७७७ | २०१५८ | ९।४३९ | १०७।९ | ४।८८ | ८।७८ |
| १७ | धनकौली | १,३०६ | ९,०२६ | ४,६११ | ४,४७५ | ६।९१ | १०४।४४ |
| १८ | धरमपनिया | ६६७ | ४,८७९ | २,४६५ | २,४१४ | ७।३१ | १०२।७१ |
| १९ | दोहनी | ९,३८ | ६,७२१ | ३,४२० | ३,३०९ | ७।१७ | १०३।६ |
| २० | डुमरा | ७७६ | ५,५६१ | २,८३१ | २,७३० | ७।७७ | १०३।७ |
| २१ | फुलिका | ९,२० | ६,७६२ | ३,३९४ | ३,३६८ | ७।३५ | १००।७७ |
| २२ | गनेशपुर | ८५४ | ६,३६८ | ३,२८९ | ३,०७९ | ७।४६ | १०६।८२ |
| २३ | गौरी | ६०० | ४,३३९ | २,९१० | २,२२९ | ७।२३ | ९।४।६६ |
| २४ | गुर्गौली | १,६१४ | १०,९०५ | ५,४४७ | ५,३५८ | ६।७६ | १०३।५३ |
| २५ | हरनामपुर | ६८८ | ४,८२७ | २,४२४ | २,४०३ | ७।०२ | १००।८७ |
| २६ | हरदौना | ६७६ | ४,८४१ | २,५१७ | २,३२४ | ७।१६ | १०८।३ |
| २७ | हथिहवा | १,०९७ | ८,६५६ | ४,५६८ | ४,०८८ | ७।८९ | १११।१४ |
| २८ | जहदी | ८५१ | ५,९६८ | २,८७८ | ३,०९० | ७।०१ | ९।३।१४ |
| २९ | कजरहवा | ६६२ | ४,६३८ | २,३४४ | २,२९४ | ७।०१ | १०२।७८ |
| ३० | कपिलवस्तु नपा | ७।२९ | ४३,४७१ | २१,७४६ | २१,७२५ | ६।३९ | १००।८५ |
| ३१ | खुरहुरिया | १,३६२ | ८,७१५ | ४,४७६ | ४,२३९ | ६।४ | १०५।५९ |
| ३२ | कृष्णनगर नपा | २९२२ | २०,३९५ | १०,६५७ | ९,७२८ | ६।८४ | १०९।६७ |
| ३३ | कुशहवा | ६८६ | ४,९७२ | २,५२४ | २,४४८ | ७।२५ | १०३।१ |
| ३४ | लवनी | १,०५५ | ७,०९२ | ३,५३८ | ३,५५४ | ६।७२ | ९।९।५५ |
| ३५ | लालपुर | ५८२ | ३,९३० | २,०२७ | १,९०३ | ६।७५ | १०६।५२ |
| ३६ | महाराजगंज | २,४२४ | १६,३०६ | ८,३३६ | ७,९७० | ६।७३ | १०४।५९ |
| ३७ | महुवा | ८२९ | ५,५४९ | २,७८३ | २,७६६ | ६।६९ | १००।६१ |
| ३८ | मानपुर | ५६२ | ३,९३४ | २,०३६ | १,८९८ | ७।० | १०७।२७ |

विपद्ध पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

| ३९ | भीलमी | ६५३ | ५,००७ | २,५१६ | २,४९१ | ७१६७ | १०११० |
|----|---------------|-------|--------|--------|--------|------|--------|
| ४० | नन्दनगर | ९६० | ६,९४० | ३,४२१ | ३,५१९ | ७२३ | ९७२२ |
| ४१ | निरलीहवा | १,९४१ | ११,२३५ | ५,४३५ | ५,८०० | ५१७९ | ९३१७ |
| ४२ | पकडी | १,१०२ | ७,२९३ | ३,५४६ | ३,७४७ | ६६२ | ९४६४ |
| ४३ | परसोहिया | ५५७ | ४,३४२ | २,१७२ | २,१७० | ७८ | १००१०९ |
| ४४ | पतरीया | १,२७७ | ८,०४७ | ३,८७३ | ४,१७४ | ६३ | ९२१७९ |
| ४५ | पत्थरदेइया | १,८४० | १०,९४९ | ५,५१९ | ५,४३० | ५१९५ | १०११६४ |
| ४६ | पिपरा | ७२२ | ५,६४८ | २,८४७ | २,८०१ | ७८२ | १०११६४ |
| ४७ | पुरुषोत्तमपुर | ४३० | ३,१४९ | १,५७७ | १,५७२ | ७३२ | १००१३२ |
| ४८ | रामनगर | ६३७ | ४,५५५ | २,३८६ | २,१६९ | ७१५ | ११०१० |
| ४९ | रंगपुर | ७३५ | ५,०८८ | २,५९४ | २,४९४ | ६१२ | १०४१०१ |
| ५० | सौराहा | ५६८ | ४,१२० | २,१४१ | १,९७९ | ७२५ | १०८११९ |
| ५१ | शिवगढी | १,१५१ | ६,३५० | २,९५६ | ३,३१४ | ५१५२ | ८७०१ |
| ५२ | शिवराज नपा | ८४४१ | ४९,९८८ | २४,९४८ | २५,०४० | ६३५ | १०११७८ |
| ५३ | सिहोखोर | ८०४ | ५,६८१ | २,८५४ | २,८२७ | ७०७ | १००१९६ |
| ५४ | सिसबा | ९५३ | ६,७८५ | ३,४६१ | ३,३२४ | ७१२ | १०४११२ |
| ५५ | सोमडिह | ८५२ | ६,०९७ | ३,११० | २,९०७ | ७०६ | १०६१९८ |
| ५६ | थुनिया | १,०७६ | ६,५१३ | ३,२३० | ३,२८३ | ६०५ | ९८३९ |
| ५७ | तितरखी | ६५४ | ४,७०४ | २,४२५ | २,२७९ | ७१९ | १०६१४१ |
| ५८ | उदयपुर | ६०६ | ४,२३८ | २,२१० | २,०२८ | ६१९ | १०८१९७ |
| ५९ | विद्यानगर | ६८५ | ५,३०१ | २,७२६ | २,५७५ | ७१४ | १०५१८६ |
| ६० | संस्थागत | ५७ | २,१०२ | १,९६० | १४२ | | |
| | जम्मा | ९१३२१ | ५७९९३६ | २८५५९९ | २८६३३७ | ६१२६ | १११७४ |

उमेर समूह अनुसारको गतिश तथा नपाको जनसंख्या

उमेर समूह अनुसारको गतिश तथा नपाको जनसंख्या

| क्र. सं | गतिशन्ति | लिमा | उमेर समूह | विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३ | |
|---------|----------|------|-----------|--|-------|
| | | | | १००-१५ | १५-२५ |
| १ | ५० | ५० | २०६ | १०६ | ५६ |
| २ | ५० | ५० | २०७ | १०७ | ५७ |
| ३ | ५० | ५० | २०८ | १०८ | ५८ |
| ४ | ५० | ५० | २०९ | १०९ | ५९ |
| ५ | ५० | ५० | २१० | ११० | ६० |
| ६ | ५० | ५० | २११ | १११ | ६१ |
| ७ | ५० | ५० | २१२ | ११२ | ६२ |
| ८ | ५० | ५० | २१३ | ११३ | ६३ |
| ९ | ५० | ५० | २१४ | ११४ | ६४ |
| १० | ५० | ५० | २१५ | ११५ | ६५ |
| ११ | ५० | ५० | २१६ | ११६ | ६६ |
| १२ | ५० | ५० | २१७ | ११७ | ६७ |
| १३ | ५० | ५० | २१८ | ११८ | ६८ |
| १४ | ५० | ५० | २१९ | ११९ | ६९ |
| १५ | ५० | ५० | २२० | १२० | ७० |
| १६ | ५० | ५० | २२१ | १२१ | ७१ |
| १७ | ५० | ५० | २२२ | १२२ | ७२ |
| १८ | ५० | ५० | २२३ | १२३ | ७३ |
| १९ | ५० | ५० | २२४ | १२४ | ७४ |
| २० | ५० | ५० | २२५ | १२५ | ७५ |
| २१ | ५० | ५० | २२६ | १२६ | ७६ |
| २२ | ५० | ५० | २२७ | १२७ | ७७ |
| २३ | ५० | ५० | २२८ | १२८ | ७८ |
| २४ | ५० | ५० | २२९ | १२९ | ७९ |
| २५ | ५० | ५० | २३० | १३० | ८० |
| २६ | ५० | ५० | २३१ | १३१ | ८१ |
| २७ | ५० | ५० | २३२ | १३२ | ८२ |
| २८ | ५० | ५० | २३३ | १३३ | ८३ |
| २९ | ५० | ५० | २३४ | १३४ | ८४ |
| ३० | ५० | ५० | २३५ | १३५ | ८५ |
| ३१ | ५० | ५० | २३६ | १३६ | ८६ |
| ३२ | ५० | ५० | २३७ | १३७ | ८७ |
| ३३ | ५० | ५० | २३८ | १३८ | ८८ |
| ३४ | ५० | ५० | २३९ | १३९ | ८९ |
| ३५ | ५० | ५० | २४० | १४० | ९० |
| ३६ | ५० | ५० | २४१ | १४१ | ९१ |
| ३७ | ५० | ५० | २४२ | १४२ | ९२ |
| ३८ | ५० | ५० | २४३ | १४३ | ९३ |
| ३९ | ५० | ५० | २४४ | १४४ | ९४ |
| ४० | ५० | ५० | २४५ | १४५ | ९५ |
| ४१ | ५० | ५० | २४६ | १४६ | ९६ |
| ४२ | ५० | ५० | २४७ | १४७ | ९७ |
| ४३ | ५० | ५० | २४८ | १४८ | ९८ |
| ४४ | ५० | ५० | २४९ | १४९ | ९९ |
| ४५ | ५० | ५० | २५० | १५० | १०० |

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, कपिलवर्षतु

विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

आगलागिको जोखिममा रहेका गाविस तथा नपाहरु

| क्र. सं | गाविस/नपा | घरधूरी | खरकोष्ठाना भएको घरधुरी | | दाउरा बाले | | गूङ्ग बाले | | टूकी बाले | |
|---------|---------------|--------|------------------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| | | | परिवार संख्या | प्रतिशत | परिवार संख्या | प्रतिशत | परिवार संख्या | प्रतिशत | परिवार संख्या | प्रतिशत |
| १ | अभिराव | ७९२ | ७८ | १० | २८२ | ३५.६०६ | ४४२ | ५५.८०८ | १८६ | २३.४८ |
| २ | अजीगरा | ६७७ | ११७ | १७ | २६४ | ३८.९९६ | ३७७ | ५५.६८७ | २८६ | ४२.२५ |
| ३ | बहादुरगंज | १,७३२ | ४०३ | २३ | १,४२५ | ८२.२७५ | ८५ | ४.९०७६ | ६७४ | ३८.९१ |
| ४ | बलरामपुर | ७२३ | १७० | २४ | १९७ | २७.२४८ | ४९० | ६७.७७३ | ४५३ | ६२.६६ |
| ५ | बलुहवा | ७६० | १४३ | १९ | ४९ | ६.४४७४ | ६७६ | ८८.९४७ | २९२ | ३८.४२ |
| ६ | बाणगंगा नपा | १५,९६५ | १,९३२ | १२ | ११,५५९ | ७२.४०२ | २९४ | १.८४१५ | २,०३२ | १२.७३ |
| ७ | बरैपुर | ४८८ | १६४ | ३४ | ४७३ | ९६.९२६ | ७ | १.४३४४ | ३२५ | ६६.६ |
| ८ | बसन्तपुर | ४५८ | ८६ | १९ | ७५ | १६.३७६ | ३५९ | ७८.३८४ | १८१ | ३९.५२ |
| ९ | बांसखोर | १,३६२ | ३०३ | २२ | ४ | ०.२९३७ | १,२९१ | १४.७८७ | ६५३ | ४७.९४ |
| १० | बैदौली | ७५३ | ११४ | १५ | ३३ | ४.३८२५ | ६६७ | ८८.५७९ | २७४ | ३६.३९ |
| ११ | भगावानपुर | ७८५ | ३४० | ४३ | ४६० | ५८.५९९ | २८९ | ३६.८१५ | ५९३ | ७५.५४ |
| १२ | भलवारी | ७५९ | ११९ | १६ | २० | २.६३५ | ६९१ | ११.०४१ | ४६१ | ६०.७४ |
| १३ | विजुवा | ८०७ | १५५ | १४ | २५ | ३.०९७९ | ७४१ | ११.८२२ | ४८५ | ६०.१ |
| १४ | विथुवा | ५९५ | २२९ | ३८ | ४४ | ७.३९५ | ४८८ | ८८.०९७ | ३७१ | ६२.३५ |
| १५ | भूकुटी नपा | ४६४७ | १६०४ | ३५ | ४०६३ | ८७.४२३ | १२७ | २.७३२९ | ८५८ | १८.४६ |
| १६ | बुढबाटिका नपा | ४१७७ | ६६३ | १६ | ३५२२ | ८४.३९९ | १ | ०.०२३९ | ५३४ | १२.७८ |
| १७ | धनकौली | १,३०६ | ४८७ | ३७ | १,०४० | ७९.६३२ | १९७ | १५.०८४ | ६४९ | ४९.६९ |
| १८ | धरमपनिया | ६६७ | १५६ | २३ | ३१ | ४.६४७७ | ६२१ | ९३.१०३ | ३७१ | ५५.६२ |
| १९ | दोहनी | ९३८ | १२९ | १४ | ३४६ | ३६.८८७ | ५३१ | ५६.६१ | ३७१ | ३३.१६ |
| २० | झुमरा | ७१६ | १०० | १४ | १६० | २२.३४६ | ५१० | ७१.२२९ | १६७ | २३.३२ |
| २१ | फुलिका | ९२० | २०८ | २३ | २९८ | २३.६९६ | ६८३ | ७४.२३९ | ५१० | ५५.४३ |
| २२ | गनेशपुर | ८५४ | ३६८ | ४३ | ६१२ | ७१.६६३ | १९८ | २३.१८५ | ४५० | ५२.६९ |
| २३ | गौरी | ६०० | ९३ | १६ | ५७ | ९.५ | ५२९ | ८८.१६७ | २७१ | ४५.१७ |
| २४ | गुगौली | १,६१४ | ८५१ | ५३ | १,५६२ | ९६.७७८ | १ | ०.०६२ | ८९५ | ५५.४५ |
| २५ | हरनामपुर | ६८८ | १४७ | २१ | ६ | ०.८७२१ | ६६१ | ९६.०७६ | ३१६ | ४५.९३ |
| २६ | हरदौना | ६७६ | १९० | २८ | ९५ | १४.०५३ | ५७० | ८४.३२ | ३५० | ५१.७८ |
| २७ | हथिहवा | १,०९७ | २९१ | २७ | ९ | ०.८२०४ | १,०३६ | १४.४३९ | ५९२ | ५३.१७ |
| २८ | जहदी | ८५१ | २३८ | २८ | १७२ | २०.२१२ | ६०९ | ७१.५६३ | ३१९ | ३७.४९ |
| २९ | कजरहवा | ६६२ | १३४ | २० | ११४ | १७.२२१ | ५३१ | ८०.२११ | ३७३ | ५६.३४ |
| ३० | कपिलवस्तु नपा | ७१२९ | १,१८४ | १७ | ३५३३ | ४९.५५८ | १,७८२ | २४.११६ | २,०२१ | २८.३५ |
| ३१ | खुरहुरिया | १,३६२ | ६७७ | ४५ | १,१५१ | ८४.५०८ | १६४ | १२.०४१ | ६६४ | ४८.७५ |
| ३२ | कृष्णनगर नपा | २९२२ | ४८७ | १७ | १,४१२ | ४८.३२३ | ८०३ | ७४.४८१ | ८५६ | २९.३ |
| ३३ | कुशहवा | ६८६ | १९८ | २९ | १ | ०.१४५८ | ४९५ | ७२.१५७ | ३५२ | ५१.३१ |
| ३४ | लवनी | १,०५५ | १५१ | १४ | ८२ | ७.७७२५ | ९१७ | ८८.१९९ | ४९० | ४६.४५ |
| ३५ | लालपुर | ५८२ | १७६ | ३० | २७३ | ४६.१०७ | २९८ | ५१.२०३ | ३०६ | ५२.५८ |
| ३६ | महाराजगंज | २,४२४ | ४४४ | १८ | १,१७० | ४८.२६७ | १,१३२ | ४६.७ | १,०२६ | ४२.३३ |
| ३७ | महुवा | ८२९ | २६१ | २१ | ४०६ | ४८.९७५ | ३८६ | ४६.५६२ | ५०९ | ६१.४ |
| ३८ | मानपुर | ५६२ | २२० | ३९ | ५३२ | १४.६६२ | १४ | २.४९११ | ४१३ | ७३.४९ |
| ३९ | भीलमी | ६५३ | ८९ | १४ | १७० | २६.०३४ | ४६३ | ७०.१०४ | ३२९ | ५०.३८ |
| ४० | नन्दनगर | ९६० | १८४ | १९ | १५ | १.५६२५ | १०४ | १४.१६७ | ६४७ | ६७.४ |
| ४१ | निर्गलीहवा | १,९४१ | ४४८ | २३ | १,६३८ | ८४.३८९ | ३६ | १.८५४७ | ३०५ | १५.७१ |

विपद्पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७३

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|-------|-------|----|-------|--------|-------|--------|-------|-------|
| ४२ | पकडी | १,१०२ | २९४ | २७ | २८९ | २६.२२५ | ६७ | ६०.८८९ | ३२७ | २९.६७ |
| ४३ | परसोहिया | ५५७ | ९० | १६ | ६ | १.०७७२ | ५२८ | १४.७९४ | २०७ | ३७.१६ |
| ४४ | पतरीया | १,२७७ | ३७५ | २९ | २३३ | १८.२४६ | ९२१ | ७२.१२२ | ४९७ | ३८.९२ |
| ४५ | पत्थरदेइया | १,८४० | १५४ | ५२ | १,३७३ | ७४.६२ | ३९२ | २९.३०४ | ८२४ | ४४.७८ |
| ४६ | पिपरा | ७२२ | ७२ | १० | ३४ | ४.७०९१ | ६२५ | ८६.५६५ | १७९ | २४.७९ |
| ४७ | पुरुषोत्तमपुर | ४३० | १२० | २८ | ८३ | १९.३०२ | ३२३ | ७५.११६ | १५४ | ३५.८१ |
| ४८ | रामनगर | ६३७ | १६३ | २६ | ६१४ | १६.३८९ | ९ | १.४१२९ | २४३ | ३८.१५ |
| ४९ | रंगापुर | ७३५ | ११० | १५ | ३ | ०.४०८२ | ७०१ | ९५.३७४ | ३४८ | ४७.३५ |
| ५० | सौराहा | ५६८ | ११३ | ३४ | ६२ | १०.९९५ | ४७२ | ८३.०९९ | ३०६ | ५३.८७ |
| ५१ | शिवगढी | १,१५१ | ६५४ | ५७ | १,०९० | १४.७ | ० | ० | २०६ | १७.९ |
| ५२ | शिवराज नपा | ८४४१ | २,४३३ | २९ | ६,२२७ | ७३.७७१ | १,०४४ | १२.३६८ | २,५५१ | ३०.२२ |
| ५३ | सिंहोखोर | ८०४ | २०७ | २६ | २१ | २.६११९ | ७५७ | १४.१५४ | ४१६ | ५१.७४ |
| ५४ | सिसवा | ९५३ | २८३ | ३० | ४६५ | ४८.७९३ | ४५० | ४७.२१९ | ५५६ | ५८.३४ |
| ५५ | सोमडिह | ८५२ | ११९ | १४ | १९ | २.२३ | ७५३ | ८८.३८ | ४१९ | ४९.१८ |
| ५६ | थुनिया | १,०७६ | ३४० | ३२ | ९६२ | ८९.४०५ | ५५ | ५.१११५ | ५११ | ४७.४९ |
| ५७ | तितरखी | ६५४ | २१५ | ३३ | १८४ | २८.१३५ | ४४६ | ६८.११६ | २५३ | ३८.६९ |
| ५८ | उदयपुर | ६०६ | १६४ | २७ | ३१७ | ५२.३१ | २७५ | ४५.३८ | २६८ | ४४.२२ |
| ५९ | विद्यानगर | ६८५ | १६६ | २४ | २७९ | ४०.७३ | ३७२ | ५४.३०७ | ४२६ | ६२.१९ |
| | जम्मा | ९१२६४ | २१४२३ | २४ | ४९५६१ | ५४.३१ | २९८९० | ३२.७५१ | ३०८४१ | ३३.८ |

स्रोत : केन्द्रिय तथ्यांक विभाग राष्ट्रीय जनगणना २०६८



कपिलवस्तु जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री इन्दु घिमिरे तथा विपद् व्यवस्थापन समितिका
अन्य सदस्यहरू आगलागी प्रभावित व्यक्तिहरूसँग छलफल तथा राहत सामग्री वितरण गर्दै ।